



**श्रम सांख्यिकी लघु पुस्तिका
2015**

**Pocket Book of Labour Statistics
2015**

भारत सरकार
Government of India
श्रम और रोजगार मंत्रालय
Ministry of Labour & Employment
श्रम ब्यूरो
Labour Bureau
शिमला/चण्डीगढ़
Shimla/Chandigarh

प्रस्तावना

श्रम सांख्यिकी लघु पुस्तिका 2015 संस्करण में संक्षिप्त रूप में श्रम के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में क्रमिक सांख्यिकी प्रस्तुत हैं, इनमें नियोजन, मजदूरी एवं उपाजन, मूल्य, औद्योगिक विवाद, दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं अनुपस्थिति और सामाजिक सुरक्षा इत्यादि सम्मिलित हैं। कुछ देशों के संकेतसूचक, भारत द्वारा अनुसमर्थित अन्तरीष्ट्रीय अभिसमय सहित राष्ट्रीय और अन्तरीष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण श्रम कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण भी दिया गया है। सारणियों के अन्त में विभिन्न सारणियों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां भी दी गई हैं। आशा की जाती है कि श्रम मामलों में रुचि रखने वाले पणधारियों के लिए यह प्रकाशन लाभदायक सिद्ध होगा। जहां तक संभव हो सका है, नवीनतम सुलभ सूचना प्रस्तुत करने हेतु प्रत्येक प्रयास किया गया है।

श्रम ब्यूरो, इस प्रकाशन को प्रकाशित करने हेतु श्रम और रोजगार मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न अधिकरणों और विभागों तथा भारत सरकार के अन्य संगठनों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए कृतज्ञ है।

इस प्रकाशन के सारांश और गुणवत्ता में और अधिक सुधार हेतु सुझाव आमंत्रित हैं।

श्रम ब्यूरो
शिमला/चण्डीगढ़
दिनांक: फरवरी , 2017

राजन कुमार
महानिदेशक

PREFACE

Pocket Book of Labour Statistics 2015 presents in concise form, the serial statistics in respect of a number of important aspects of labour, covering information on employment, wages and earnings, prices, industrial disputes, accidents, safety and absenteeism and social security etc. Key Indicators of some countries, ILO Conventions ratified by India alongwith brief account of the important labour activities, both at National and International levels, have also been added. Explanatory notes on various tables have been given at the end of the tables. It is hoped that this publication would be useful for stakeholders in labour matters. All out efforts have been made to present the latest available information.

Labour Bureau is grateful to the various agencies and departments of the Ministry of Labour & Employment and other organizations of the Government of India for extending their cooperation in bringing out this publication.

Suggestions for further improvements in contents and quality of this publication are welcome.

Labour Bureau
Shimla/Chandigarh
Dated: February, 2017

Rajan Kumar
Director General

सारणी Table		पृष्ठ Page
	भाग I PART I	1
	1 नियोजन Employment	
1.1	(क) कारखानों में उद्योग समूह अनुसार नियोजन	2
	(a) Employment in Factories by Industry Groups	
	(ख) राज्यवार पंजीकृत कारखानों, चालू कारखानों, विवरणियां भेजने वाले कारखानों और नियोजित कर्मकारों की संख्या (अनुमानित)	7
	(b) State-wise Number of Registered Factories, Working Factories, Factories submitting returns and Workers Employed (Estimated)	
	(ग) विवरणियां भेजने वाले कारखानों में औसत दैनिक नियोजन (आयु एवं लिंग अनुसार)	11
	(c) Average Daily Employment in Factories submitting Returns (By Age and Sex)	
1.2	मुख्य बागानों में नियोजित कर्मकारों की औसत संख्या	14
	Average Number of Workers Employed in Major Plantations	
1.3	विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत नियोजन	16
	Employment covered under various Acts.	
1.4	यू पी एस विधि पर आधारित 15 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के लिये श्रम शक्ति भागीदारी दर, कर्मकार जनसंख्या अनुपात एवं बेरोजगारी दर	18
	Labour Force Participation Rate, Worker Population Ratio and Unemployment Rate based on UPS approach for persons aged 15 years and above	
	2 मजदूरी एवं उपार्जन Wages and Earnings	
2.1	विनिर्माणकारी उद्योगों में नियोजित कर्मकारों का औसत वार्षिक उपार्जन	21
	Average Annual Earnings of Workers Employed in Manufacturing Industries	
2.2	विनिर्माणकारी उद्योगों में नियोजित कर्मकारों का औसत वार्षिक उपार्जन (उद्योगानुसार)	22
	Average Annual Earnings of Workers Employed in Manufacturing Industries (By Industry)	
2.3	अकुशल श्रमिकों हेतु प्रति दिवस न्यूनतम एवं अधिकतम मजदूरी	

सारणी Table		पृष्ठ Page
	Minimum and Maximum Wages per day for Unskilled Workers	24
	3 मूल्य Prices	
3.1	(क) औद्योगिक श्रमिकों के लिए वार्षिक औसत एवं माहवार अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2001=100	28
	(a) Annual Average and Month wise All-India CPI Nos. for Industrial Workers on Base 2001=100	
	(ख) औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 2001=100 (केन्द्रवार वार्षिक औसत)	30
	(b) Consumer Price Index Numbers (General) for Industrial Workers on Base 2001=100 (Centre-wise Annual Average)	
3.2	कृषि तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1986-87=100 (जुलाई से जून)	34
	Average CPI Numbers for Agricultural and Rural Labourers on base 1986-87=100 (July to June)	
	4 व्यवसाय संघ Trade Unions	
4.1	व्यवसाय संघों एवं उनकी सदस्यता में वृद्धि	36
	Growth of Trade Unions and their Membership	
4.2	विवरणियां भेजने वाले व्यवसाय संघों एवं उनकी सदस्यता (उद्योगानुसार)	37
	Number and Membership of Trade Unions submitting returns (By Industry)	
	5 औद्योगिक विवाद Industrial Disputes	
5.1	औद्योगिक विवादों के कारण कार्य स्थगन	
	Industrial Disputes resulting in Work Stoppages	39
5.2	(क) विवादों के परिणामस्वरूप कार्य स्थगन के कारण मानव दिनों की हानि (उद्योगानुसार)	40
	(a) Mandays Lost in Disputes resulting in Work Stoppages (By Industry)	
	(ख) विवादों के परिणामस्वरूप कार्य स्थगन के कारण मानव दिनों की हानि (राज्यानुसार)	43
	(b) Mandays Lost in Disputes resulting in Work Stoppages (By States)	

सारणी Table	पृष्ठ Page
5.3 विवादों का कारणानुसार प्रतिशत वितरण Percentage Distribution of Disputes by Causes	46
5.4 विवादों का अवधि के अनुसार प्रतिशत विवरण Percentage Distribution of Disputes by Duration	48
5.5 परिधि क्षेत्र अनुसार विवाद Disputes by Sphere	49
5.6 क्षेत्र अनुसार विवाद Disputes by Sectors	50
5.7 हड़ताल, तालाबन्दी एवं घेराव अनुसार विवाद Disputes by Strikes, Lockouts and Gheraos	51
5.8 कुल स्थाई बन्दीयां तथा उनसे प्रभावित कर्मकारों की संख्या (राज्यानुसार) Number of Permanent Closures and Workers Affected (by States)	52
5.9 छंटनीयां की संख्या तथा उनसे प्रभावित कर्मकार (राज्यानुसार) Number of Retrenchments and Workers Retrenched thereby (by States)	54
5.10 ईकाईयों में प्रभावित कामबन्दी, प्रभावित कर्मकार तथा नष्ट हुए मानव दिनों की हानि (राज्यवार) No. of Units affecting Lay-off, Workers Laid-off and Mandays Lost (by States)	56
6 दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं अनुपस्थिति Accidents, Safety and Absenteeism	
6.1 (क) कारखानों में औद्योगिक क्षतियां, उनकी आपात एवं आवृत्ति दर (राज्यानुसार) (a) Industrial Injuries in Factories, their Incidence and Frequency Rates (By States)	58
(ख) महत्वपूर्ण उद्योगों के अनुसार औद्योगिक क्षतियां उनकी आपात एवं आवृत्ति दर (समूहानुसार) (b) Industrial Injuries, their Incidence and Frequency Rates by Important Industries (by group)	61

सारणी Table		पृष्ठ Page
6.2	राज्यवार प्रत्यक्ष रूप में नियोजित नियमित श्रमिकों की अनुपस्थिती की दरें State-wise Absenteeism Rates amongst Directly Employed Regular Workers	65
7 सामाजिक सुरक्षा Social Security		
7.1	कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति क्षतियों की संख्या एवं क्षतिपूर्ति के लिए दी गई घन राशि Number of Compensated Injuries and Amount of Compensation Paid under the Employees' Compensation Act, 1923	73
7.2	मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत दिए गए मातृत्व लाभ Maternity Benefits paid under the Maternity Benefit Act, 1961	74
8 अन्तर्राष्ट्रीय तुलना International Comparison		
8.1	भिन्न-भिन्न देशों में चयनित मुख्य उद्योग समूहों में नियोजन Employment in Selected Major Groups of Industries in Different Countries	76
8.2	चुने हुए देशों में विनिर्माण में कर्मचारियों का औसत माहवार अभिहित उर्पाजन Mean Nominal monthly Earning of Employees in Manufacturing in Selected Countries	79
8.3	चुने हुए देशों में औद्योगिक विवाद Industrial Disputes in Selected Countries	80
8.4	चुने हुए देशों में व्यवसायिक घातक क्षति प्रति 1,00,000 नियोजित कर्मकार Fatal Occupational Injuries in Selected Countries per 1,00,000 workers employed	82
8.5	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-वार्षिक औसत परिवर्तन दर (सामान्य) Consumer Price Index Numbers – Annual Average rate of change (General)	84
9 भारत द्वारा अनुसमर्थित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय 9 ILO Conventions Ratified by India		
10 वर्तमान श्रम गतिविधियां 10 Current Labour Activities		

सारणी Table		पृष्ठ Page
	भाग II PART II	140
	1 जनसंख्या एवं श्रम शक्ति Population and Labour Force	
1.1	जनसंख्या का वितरण Distribution of Population	141
1.2	कर्मि एवं गैर-कर्मि जनसंख्या का वितरण Distribution of Working and non-Working Population	144
1.3	जनसंख्या का श्रम शक्ति की स्थिति के अनुसार प्रतिशत वितरण Percentage of persons in Labour Force	147
	2 नियोजन Employment	
2.1	(क) सार्वजनिक क्षेत्र में अनुमानित नियोजन (शाखानुसार) (a) Estimated Employment in Public Sector (by Branches)	151
	(ख) संगठित क्षेत्र में नियोजन (मुख्य उद्योगानुसार) (b) Employment in Organised Sector (by Major Industries)	152
2.2	(क) खानों में खनिजानुसार नियोजन (नियोजित कर्मकारों की औसत दैनिक संख्या) (a) Employment in Mines By Minerals (Average Daily No. of Workers Employed)	154
	(ख) खानों में राज्यानुसार कर्मकारों की औसत दैनिक संख्या (वर्गानुसार) (b) State-wise Average Daily No. of Workers Employed in Mines (By Category)	155
2.3	रेलवे, डाक, दूर संचार, बीमा तथा बैंकों में नियोजन Employment in Railways, Posts, Telecommunications, Insurance and Banks	161
2.4	अनुमानित नियोजन सूचकांक Index Numbers of Estimated Employment	163

सारणी Table		पृष्ठ Page
	3 रोजगार सेवाएं एवं प्रशिक्षण Employment Services and Training	
3.1	रोजगार कार्यालय एवं उनके कार्यकलाप Employment Exchanges and their Activities	164
3.2	रोजगार कार्यालयों की चालू पंजी में व्यावसायिक मुख्य समूहानुसार आवेदक Job Seekers on Live Register of Employment Exchanges classified by Broad Occupational Groups	166
3.3	रोजगार कार्यालयों की चालू पंजी में शिक्षित आवेदकों की संख्या Number of Educated Applicants on Live Register of Employment Exchanges	168
3.4	रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक के अधीन प्रशिक्षण कार्यकलाप Training Activities under the DGE&T	169
3.5	कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम Training Programmes Conducted by the DGFASLI	171
3.6	दत्तोपन्त टेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं व्यवसाय संघों तथा अन्य संस्थानों हेतु सहायता अनुदान Training Programmes conducted by Dattopant Thengadi National Board for Workers Education and Development (erstwhile CBWE) and Grants in aid to Trade Unions and other Institutions	173
	4 मजदूरी एवं उपार्जन Wages and Earnings	
4.1	खानों में कर्मकारों का उपार्जन Earnings of Workers in Mines	181
4.2	धन उपार्जन सूचकांक Index of Money Earnings	183
	5 दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं अनुपस्थिति Accidents, Safety and Absenteeism	
5.1	रेलवे की औद्योगिक क्षतियों की संख्या एवं आपात दर Number of Industrial Injuries and Incidence Rates in Railways	184

सारणी Table		पृष्ठ Page
5.2	खनिज वर्गानुसार खानों में औद्योगिक क्षतियां (खनिज श्रेणी अनुसार) Industrial Injuries in Mines (by Class of Minerals)	185
5.3	पत्तनों में रिपोर्ट-योग्य दुर्घटनाएं Reportable Accidents in Ports	190
5.4	जलयानों पर रिपोर्ट-योग्य दुर्घटनाएं तथा आवृत्ति दर Reportable Accidents on Board Ships and Frequency Rate	191
6 सामाजिक सुरक्षा Social Security		
6.1	(क) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के कार्य - सम्मिलित कारखानों एवं कर्मचारियों की संख्या a) Working of the Employees State Insurance Act- Number of Factories and Employees covered (ख) कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय एवं उपस्थिति b) ESI Dispensaries and Attendance (ग) कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/उपमृहों/अन्य अस्पतालों में उपलब्ध शैयाओं की संख्या c) Number of Beds available in ESI Hospitals/ Annexes/ other Hospitals (घ) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत बीमारी एवं प्रसूति लाभ d) Sickness and Maternity benefits under the ESI Scheme (ङ) कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के अन्तर्गत अंगहानि एवं आश्रितों को लाभ e) Disablement and dependants benefits under the ESI scheme (च) कर्मचारी राज्य बीमा निगम की आय एवं व्यय f) Income and Expenditure of the ESI	192
		193
		194
		195
		196
		197
6.2	(क) कर्मचारी भविष्य-निधि योजना के कार्य (a) Working of the Employees Provident Fund Scheme (ख) कर्मचारी भविष्य-निधि योजना के अंशदाता एवं क्षेत्रवार परिधि (b) Region-wise coverage and subscribers of the Employees' Provident Fund Scheme	198
		199

विषय सूची CONTENTS

सारणी Table		पृष्ठ Page
	(ग) कर्मचारी भविष्य-निधि योजना के अन्तर्गत प्राप्त अंशदान	201
	(c) Contributions received under Employees' Provident Fund Scheme	
	(घ) निधि निवेश और कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों को अनुमत ब्याज	202
	(d) Investment of Funds and Interest allowed to the Employees' Provident Fund Members	
	(ङ) कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत दिये गये ऋण एवं अग्रिम राशियों सहित धन-वापसी	203
	(e) Refunds including Loans and Advances granted under the Employees' Provident Fund Scheme	
	च) राज्यवार कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत दिये गये ऋण एवं अग्रिम राशियों सहित धन वापसी	204
	(f) State-wise Refunds including Loans and Advances granted under the Employees' Provident Fund Scheme	
	छ) राज्यवार कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत निर्णित दावे और भुगतान की गई धनराशि	206
	(g) State-wise Claims settled and amount paid under the Employees' Provident Fund Scheme	
	(ज) कर्मचारी-भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत प्रदान किया गया वापस न किये जाने वाला अग्रिम धन	208
	(h) Non-Refundable Advances granted under the Employees' Provident Fund Scheme	
	झ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अन्तर्गत आय और व्यय	210
	(i) Income and Expenditure under the Employees' Provident Fund Organisation	
6.3	अन्नक खान श्रमिक कल्याण निधि के कार्य	211
	Working of the Mica Mines Labour Welfare Fund	
6.4	खनिज लोहा, मैंगनीज एवं क्रोम खान श्रमिक कल्याण निधि के कार्य	212
	Working of Iron, Manganese and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund	

विषय सूची CONTENTS

सारणी Table		पृष्ठ Page
6.5	चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि के कार्य Working of Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund	213
6.6	बीड़ी कर्मकार श्रम कल्याण निधि के कार्य Working of Beedi Workers' Labour Welfare Fund	214
6.7	सिनेमा कर्मकार श्रम कल्याण निधि के कार्य Working of the Cine Workers Labour Welfare Fund	215
6.8	(क) कोयला खान भविष्य-निधि के कार्य (a) Working of Coal Mines Provident Fund	216
	(ख) कोयला खान भविष्य-निधि के कार्य (राज्यानुसार वितरण) (b) Working of Coal Mines Provident Fund (State wise distribution)	217
	(ग) कोयला खान भविष्य-निधि के अन्तर्गत प्रदान किये गए ऋण और अग्रिम धन (c) Loans and Advances granted under Coal Mines Provident Fund Scheme	218
	(घ) कोयला खान भविष्य-निधि योजना के अन्तर्गत धन वापसी के दावे (d) Claims for Refunds under the Coal Mines Provident Fund Scheme	219
	(ङ) कोयला खान भविष्य-निधि योजना के अन्तर्गत आय एवं व्यय (e) Income and Expenditure under the Coal Mines Provident Fund Scheme	220
	(च) पारिवारिक पेंशन निधि लाभ (f) Family Pension Fund benefits	221
	व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-I) Explanatory Notes (Part I)	222
	व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग -II) Explanatory Notes Part II	230
	अनुबन्ध Annexure	243

	संक्षेपण
अ० एवं नि० द्वीप समूह	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह
अ प्र	आन्ध्र प्रदेश
भ० सं० नि० लि०	भारत संचार निगम लिमिटेड
के० श्र० शि० बो०	केन्द्रीय श्रम शिक्षा बोर्ड
मू० श्र० आ० (के०)	मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय)
को० खा० भ० नि० आ०	कोयला खान भविष्य-निधि आयुक्त
के० सां० का०	केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय
द० एवं न० हवेली	दादर एवं नगर हवेली
म० नि० रो० एवं प्र०	महानिदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण
म० नि० का० सं० से० एवं श्र० सं०	महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान
म० नि० श्र० क०	महानिदेशक, श्रम कल्याण
म० नि० खा० सु०	महानिदेशक, खान सुरक्षा
क० भ० नि० सं०	कर्मचारी भविष्य-निधि संगठन
क० रा० बी० नि०	कर्मचारी राज्य बीमा निगम
भा० सं० बी० (सा० क्षेत्र) सं०	भारतीय सामान्य बीमा (सार्वजनिक क्षेत्र) संघ
हि प्र	हिमाचल प्रदेश
अ० श्र० सं०	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन
अ० श्र० सं०	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
ज० एवं क०	जम्मू एवं कश्मीर
जी० बी० नि०	जीवन बीमा निगम
म प्र	मध्य प्रदेश
म० ट० नि० लि०	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
रा० प्र० सं० का०	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय
क० औ० व० न०	कहीं और वर्गीकृत नहीं
रा० औ० व०	राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण
भा० रि० बैं०	भारतीय रिजर्व बैंक
उ प्र	उत्तर प्रदेश

ABBREVIATIONS

A & N Islands	Andaman and Nicobar Islands
AP	Andhra Pradesh
BSNL	Bharat Sanchar Nigam Limited
CBWE	Central Board for Workers Education
CLC(C)	Chief Labour Commissioner (Central)
CMPPFC	Coal Mines Provident Fund Commissioner
CSO	Central Statistical Office
D & N Haveli	Dadar & Nagar Haveli
DGE&T	Director General Employment and Training
DGFASLI	Director General Factory Advice Service and Labour Institute
DGLW	Director General Labour Welfare
DGMS	Director General Mines Safety
EPFO	Employees Provident Fund Organisation
ESIC	Employees' State Insurance Corporation
GIPSAI	General Insurance (Public Sector) Association of India
HP	Himachal Pradesh
ILC	International Labour Conference
ILO	International Labour Organisation
LIC	Life Insurance Corporation
MP	Madhya Pradesh
MTNL	Mahanagar Telephone Nigam Limited
NSSO	National Sample Survey Office
NEC	Not elsewhere classified
NIC	National Industrial Classification
RBI	Reserve Bank of India
U P	Uttar Pradesh

लघु पुस्तिका की सारणियों में प्रयुक्त संकेत
SYMBOLS USED IN THE TABLES OF THE POCKET
BOOK

-	शून्य या नगण्य Nil or negligible
..	अनुपलब्ध Not available
*	अनन्तिम Provisional
@	500 से कम Less than 500
£	संशोधित Revised

पूर्णांक करने की प्रक्रिया के कारण सम्भवतः सारणियों के आंकड़ों के योगफल न मिलते हों।

The totals of the figures in the tables may not necessarily tally due to rounding off

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण संकेतांक 2008 का विवरण अनुबन्ध में दिया गया है।

The description of the NIC Code 2008 is given in Annexure

भाग - I
PART - I

1 नियोजन**1 EMPLOYMENT****1.1 (क) कारखानों में उद्योग समूह अनुसार नियोजन****1.1(a) Employment in Factories by Industry Groups**

अनुमानित औसत दैनिक नियोजित कर्मकार

Estimated Average Daily Number of Workers Employed

(राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण/National Industrial Classification 2008)

कोड Code	2012	2013	कोड Code	2012	2013
1	2	3	1	2	3
01	120627	68807	103	34825	22401
011	1138	803	104	98615	66179
012	588	547	105	65890	40209
013	29		106	270991	209737
014	529	679	107	356885	157470
016	118343	66778	108	16296	9421
02	160	311	11	77864	50372
021	-	14	110	77864	50372
023	160	277	12	30528	23106
024		20	120	30528	23106
05	3471	3771	13	777857	261104
051	3450	3771	131	606930	203798
052	21		139	170907	57306
06	100	100	14	351917	94648
061	100	100	141	214705	89602
07	825	1290	142	5018	1085
071	750	1120	143	132194	3961
072	75	170	15	144215	41623
08	12312	11440	151	63407	13487
081	10049	10488	152	80721	28035
089	2263	952	16	105259	72893
09	125	30	161	62555	39764
091	125	30	162	42519	33129
10	870033	515737	17	147497	58891
101	11748	2305	170	147317	58782
102	14783	8015	18	123023	43266

1 नियोजन

1 EMPLOYMENT

सारणी 1.1 (क)

Table 1.1(a)

1	2	3	1	2	3
181	122899	43252	266	21483	20197
182	124	14	267	5188	3338
19	60361	71119	268	946	868
191	12369	38058	27	216281	104316
192	47932	33001	271	75470	33422
20	409890	143380	272	11935	5840
201	155966	72426	273	58011	33239
202	247375	69117	274	15259	6305
203	6539	1827	275	20963	11848
21	192517	112532	279	34643	13662
210	192482	112532	28	337599	165953
22	330249	126102	281	204624	106269
221	112248	42287	282	132476	59619
222	217941	83815	29	339847	85737
23	602222	499276	291	94518	34397
231	33501	20120	292	18929	8895
239	568631	479066	293	226400	42445
24	501501	443022	30	169251	74089
241	296866	294287	301	37060	18498
242	78853	53270	302	53921	25153
243	125768	95440	303	4674	2460
25	533140	226055	304	27704	14901
251	152735	63672	309	45892	13077
252	23213	6815	31	32724	16050
259	357150	155546	310	32642	15963
26	154262	61254	32	131913	29439
261	75550	12642	321	75389	12238
262	9791	3991	322	446	-
263	12745	7065	323	340	99
264	7045	1291	324	10623	6809
265	21267	11132	325	11451	2344

1 नियोजन

1 EMPLOYMENT

सारणी 1.1 (क)

Table 1.1(a)

1	2	3	1	2	3
329	33664	7949	452	207378	74349
33	54014	15209	453	4971	2526
331	53435	15157	454	11450	5809
332	579	52	46	6653	2161
35	165632	102435	461	669	100
351	160442	94598	462	50	
352	3700	2676	463	732	371
353	1490	5161	464	186	276
36	17172	5857	465	129	
360	17123	5808	466	4718	1262
37	2465	886	469	169	152
370	2465	886	47	16944	256
38	4936	5431	471	93	
381	44	91	472	150	
382	609	799	473	16269	256
383	4283	4541	475	236	
39	368		476	18	
390	368		477	178	
41	377	33	49	1088	725
410	377	33	491	64	62
42	515	516	492	42	96
421	469	382	493	982	567
422		100	50	68	246
429	46	34	502	50	232
43	587	450	51	967	15
431	312	56	511	967	
432	20	103	512		15
433	18	46	52	25823	21240
439	237	245	521	25250	21189
45	230172	84534	522	573	51
451	6373	1850	55	1300	1299

1 नियोजन

1 EMPLOYMENT

सारणी 1.1 (क)

Table 1.1(a)

1	2	3	1	2	3
551	1300	1299	749	-	47
56	133	76	75	10	10
561	36	36	750	10	10
562	97	40	81	757	
58	4007	1197	811	10	
581	4007	1099	813	747	
582	-	98	82	1542	1098
59	2169	884	829	1542	1098
591	1813	636	84	209	
592	356	248	841	150	
61	186		842	59	
612	186		85	271	
62	629	307	852	271	
620	629	307	86	74	81
63	130	200	861	24	24
631	30	100	862	50	12
69	65	70	869	-	45
692	65	70	87	-	9
70	137		872		9
701	137		88	50	
71	1448	88	881	50	
711	195		90	-	20
712	1253	88	900	-	20
72	8298	4078	92	-	3
721	8162	3973	920	-	3
722	136	105	93	10	688
73	54	52	931	10	
731	54	52	932		688
74	1086	113	95	6163	2253
741	58	8	951	2469	113
742	1028	58	952	3694	2140

1 नियोजन**1 EMPLOYMENT**

सारणी 1.1 (क)

Table 1.1(a)

1	2	3	1	2	3
	96	1286		824	
	960	1212		750	
	98	118			
	982	118			
	99	-		80	
	990	-		80	
योग Total	7335483	3659137			

स्त्रोत: श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

टिप्पण: 1. योग उद्योग संकेतांक के दो अंक स्तर पर आधारित हैं।

Note: 1. The totals are based on 2 digit level of industry codes

2. उद्योग संकेतों का विवरण कृपया अनुबन्ध में देखें।

2. For details of Industry Codes please see Annexure

3. आंकड़े राज्यों/संघीय क्षेत्रों से प्राप्त विवरणियों पर आधारित हैं।

3. Data based on the returns received from States/U.Ts

1.1(ख) राज्यवार पंजीकृत कारखानों, चालू कारखानों, विवरणियां भेजने वाले कारखानों और नियोजित कर्मकारों की संख्या

1.1(b) State-wise Number of Registered Factories, Working Factories, Factories submitting returns and Workers Employed
(अनुमानित) (Estimated)

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	कारखानों की संख्या Number of Factories				नियोजित कर्मकार Workers employ- ed	State/Union Territory
	पंजीकृत कारखाने Regis- tered Facto- ries	चालू कारखाने Working Factories	विवरणियां भेजने वाले Sub- mitting returns	नियोजित कर्मकार Workers employ- ed		
1	2	3	4	5	1	
2012						
आंध्र प्रदेश	45877	35689	11962	5677	Andhra Pradesh	
असम	4877	3730	349	1161114	Assam	
बिहार	9072	8847	85	174950	Bihar	
छत्तीसगढ़	3257	3257	387	168175	Chhattisgarh	
गोवा	692	692	584	12506	Goa	
हरियाणा	10986	10986	1332	235239	Haryana	
महाराष्ट्र	44934	37414	14003	174400	Maharashtra	

1 नियोजन

1 EMPLOYMENT

सारणी 1.1 (ख)
Table 1.1(b)

1	2	3	4	5	1
मेघालय	147	147	20	70454	Meghalaya
नागालैंड	161	161	13	822131	Nagaland
राजस्थान	12578	12559	1743	2089146	Rajasthan
तमिल नाडू	39489	39489	34152	9145	Tamilnadu
त्रिपुरा	1549	1549	421	3413	Tripura
अ० एवं नि० द्वीप समूह	51	44	34	82648	A & N Islands
चण्डीगढ	434	434	152	691381	Chandigarh
दादर एवं नगर हवेली	5659	4133	310	1577313	Dadar & Nagar Haveli
पुडुचेरी	2846	2030	241	57791	Puducherry
योग	182609	161161	65788	7335483	Total

1 नलडुऑन

1 EMPLOYMENT

सलरणी 1.1 (ख)
Table 1.1(b)

1	2	3	4	5	1
2013					
आंध्र प्रदेश	26494	21129	7393	345231	Andhra Pradesh
असम	5233	4093	358	39446	Assam
बलहलर	9548	9318	123	15776	Bihar
ऑणुडीगढ	425	425	158	7514	Chandigarh
ऑतुतीसगढ	3437	3437	360	115395	Chhattisgarh
गुवल	705	704	583	65063	Goa
हरलरलणल	11271	11271	1034	203896	Haryana
ऑलरखणुड	6651	5674	73	38784	Jharkhand
डुघललय	152	152	24	3451	Meghalaya
डुडुऑुऑेरी	2902	2035	254	27092	Puducherry
रलऑसुथलन	12932	12932	1892	167353	Rajasthan

1 नियोजन

1 EMPLOYMENT

सारणी 1.1 (ख)
Table 1.1(b)

1	2	3	4	5	1
तेलंगाना	19649	14790	5008	267043	Telangana
त्रिपुरा	1533	1533	404	16382	Tripura
योग	100932	87493	17664	1312426	Total

स्रोत: श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

टिप्पण: 1. चार राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों यथा अरुणाचल प्रदेश, लक्षदीप, मिजोरम एवं सिक्किम में कारखाना अधिनियम, 1948 लागू नहीं है।

Note : 1. The Factory Act 1948, is not implemented in four States/Union Territories namely Arunachal Pradesh, Lakshadweep, Mizoram & Sikkim.

2. शेष रह गए राज्यों/संघीय क्षेत्रों से आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।

2. Data not received from rest of the States /Union Territories

1 नियोजन

1 EMPLOYMENT

1.1(ग) विवरणियां भेजने वाले कारखानों में औसत दैनिक नियोजन
आयु एवं लिंग अनुसार

1.1(e) Average Daily Employment in Factories Submitting
Returns By Age and Sex

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	औसत दैनिक नियोजन Average Daily Employment						States / Union Territory
	वयस्क Adult		किशोर Adolescent		बालक Children		
	पुरुष Male	स्त्री Female	पुरुष Male	स्त्री Female	लड़के Boys	लड़कियां योग Girls Total	
	1	2	3	4	5	6	

2012

आंध्र प्रदेश	537301	95207	-	-	-	-	632508	Andhra Pradesh
असम	32951	4009	33	89	-	-	37082	Assam
बिहार	9278	24	-	-	-	-	9302	Bihar
छत्तीसगढ़	100086	2843	-	-	-	-	102929	Chhattisgarh
गोवा	55575	10817	-	-	-	-	66392	Goa
हरियाणा	172546	11906	-	-	-	-	184452	Haryana
महाराष्ट्र	1103043	80179	-	-	-	-	1183222	Maharashtra
मेघालय	2106	277	-	-	-	-	2383	Meghalaya
नागालैंड	835	221	4	3	-	-	1063	Nagaland
राजस्थान	182118	5550	-	-	-	-	187668	Rajasthan
तमिल नाडू	1049570	421651	5062	5998	-	-	1482281	Tamilnadu
त्रिपुरा	14126	4107	-	-	-	-	18233	Tripura

1 नियोजन

1 EMPLOYMENT

सारणी 1.1 (ग)
Table 1.1(c)

1	2	3	4	5	6	7	8	1
अ०नि०द्वीप समुह	4313	203	-	-	-	-	4516	I & N Islands
चण्डीगढ़	7256	426	-	-	-	-	7682	Chandigarh
दादर एवं नगर हवेली	38659	19041	-	-	-	-	57700	Dadar & Nagar Haveli
पुडुचेरी	20280	4567	-	-	-	-	24847	Puducherry
योग	3330043	661028	5099	6090	-	-	4002260	Total

2013

आंध्र प्रदेश	286951	58280	-	-	-	-	345231	Andhra Pradesh
असम	34665	4636	66	79	-	-	39446	Assam
बिहार	15470	306	-	-	-	-	15776	Bihar
चण्डीगढ़	7064	450	-	-	-	-	7514	Chandigarh
छत्तीसगढ़	112457	2938	-	-	-	-	115395	Chhattisgarh
गोवा	53928	11135	-	-	-	-	65063	Goa
हरियाणा	191125	12771	-	-	-	-	203896	Haryana
झारखण्ड	37208	1576	-	-	-	-	38784	Jharkhand
मेघालय	3032	419	-	-	-	-	3451	Meghalaya
पुडुचेरी	21605	5487	-	-	-	-	27092	Puducherry

1 नियोजन

1 EMPLOYMENT

सारणी 1.1 (ग)
Table 1.1(c)

1	2	3	4	5	6	7	8	1
राजस्थान	160404	6949	-	-	-	-	167353	Rajasthan
तेलंगाना	234147	32896	-	-	-	-	267043	Telangana
त्रिपुरा	12714	3668	-	-	-	-	16382	Tripura
योग	1170770	141511	66	79	-	-	1312426	Total

स्त्रोत: श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

टिप्पण: 1 चार राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों यथा अरुणाचल प्रदेश, लक्षदीप, मिजोरम एवं सिक्किम में कारखाना अधिनियम, 1948 लागू नहीं है।

Note: 1 The Factory Act 1948, is not implemented in four States/Union Territories namely Arunachal Pradesh, Lakshadweep, Mizoram and Sikkim.

2 गेष रह गए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आंकडें प्राप्त नहीं हुए हैं।

2 Data not received from rest of the States /Union Territories.

1.2 मुख्य बागानों में नियोजित कर्मकारों की औसत संख्या
**Table 1.2 Average Number of Workers Employed in
 Major Plantations ('000 में) (in 000's)**

वर्ष / राज्य	चाय Tea	कॉफी Coffee	रबड़ Rubber	Year/State
1	2	3	4	1
2005	626	22	26	2005
2006	422	18	26	2006
2007	610	19	18	2007
2008	714	22	17	2008
2009	720	20	20	2009
2010	630	13	15	2010
2011	697	17	18	2011
2012	634	16	16	2012
2013	846	17	15	2013

2012

असम	418.4	-	-	Assam
हिमाचल प्रदेश	@	-	-	Himachal Pradesh
कर्नाटक	1.5	9.0	0.7	Karnataka
केरल	29.1	1.5	8.9	Kerala
तमिलनाडु	42.7	5.8	3.0	Tamil Nadu
त्रिपुरा	9.8	-	3.2	Tripura
उत्तराखण्ड	1.2	-	-	Uttarakhand
पश्चिम बंगाल	131.2	-	-	West Bengal
अ० एवं नि० द्वीप समूह	-	-	@	A & N Islands

सलरणी 1.2
Table 1.2

1	2	3	4	1
2013				
असड	650.6	-	-	Assam
हलडलऑल डुरदेश	@	-	-	Himachal Pradesh
कनरुडक	1.1	10.3	1.1	Karnataka
केरल	23.5	1.1	10.2	Kerala
तडलल नलडु	41.3	5.2	2.9	Tamil Nadu
तुरलडुरल	5.6	-	0.6	Tripura
उतुतरलखणुड	1.2	-	-	Uttarakhand
डशुऑलड डंगलल	122.7	-	-	West Bengal
अ० एवुं नल० डुडलडु सडुडु	-	-	@	A & N Islands

सुतुरतः शुरड डुडुरु

Source : Labour Bureau

1 नियोजन

1 EMPLOYMENT

1.3 विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत नियोजन

Table 1.3 Employment covered under various Acts

अधिनियम का नाम	इकाइयों की संख्या No. of units	विवरणियां भेजने वाली इकाइयां Units submitting returns	औसत नियोजन Average employment	Name of the Act
1	2	3	4	1
2012				
बागान श्रम अधिनियम 1951	3747	1880	672760	Plantations Labour Act, 1951
मातृत्व हितलाभ अधिनियम 1961	118001	37013	1014875	Maternity Benefit Act, 1961
मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961	76225	18435	428625	Motor Transport Workers Act, 1961
कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923	2531962	Employees Compensation Act, 1923
औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम 1946	89186	20180	3879112	Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946
दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम	..	8692527	13784824	Shops & Commercial Establishments Act

1 नियोजन

1 EMPLOYMENT

सारणी 1.3

Table 1.3

1	2	3	4	1
2013				
बागान श्रम अधिनियम 1951	3796	1879	883088	Plantations Labour Act, 1951
मातृत्व हितलाभ अधिनियम 1961	86247	20836	611087	Maternity Benefit Act, 1961
मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961	118760	25785	555999	Motor Transport Workers Act, 1961
कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923	68336	6770	3980568	Workmen's Compensation Act, 1923
औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम 1946	75044	19977	3801341	Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946
दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम	..	8336637	15480668	Shops & Commercial Establishments Act

स्रोत: श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

टिप्पणी : आंकड़े केवल उन राज्यों/संघ क्षेत्रों से संबन्धित हैं जिन्होंने विवरणियां भेजी हैं।

Note : Data relate to only those States/U.T's which have submitted the returns.

+ औसत महिला कर्मकारों की संख्या

+ Aggregate No. of Women Workers

1 नियोजन

1 EMPLOYMENT

1.4-यू पी एस विधि पर आधारित 15 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के लिये श्रम शक्ति भागीदारी दर, कर्मकार जनसंख्या अनुपात एवं बेरोजगारी दर (प्रतिशत प्रति 1000 व्यक्ति)

1.4- Labour Force Participation Rate, Worker Population Ratio and Unemployment Rate based on UPS approach for persons aged 15 years and above (percent per 1000 persons)

रोजगार बेरोजगार सर्वेक्षण		Employment Unemployment Survey			
	दूसरा दौर	तीसरा दौर	चौथा दौर	पांचवां दौर	
	Second Round	Third Round	Fourth Round	Fifth Round	
	(2011-12)	(2012-13)	(2013-14)	(2015-16)	
1	2	3	4	5	
श्रम शक्ति भागीदारी दर Labour Force Participation Rate (ग्रामीण) (Rural)					
पु M	78.8	78.0	74.7	77.3	
म F	28.0	24.8	29.1	26.7	
कि T	-	-	-	51.1	
च P	54.8	52.8	54.7	53.0	
(शहरी) (Urban)					
पु M	73.3	73.0	73.8	69.1	
म F	17.9	16.9	18.5	16.2	
कि T	-	-	-	41.2	
च P	47.2	46.1	47.2	43.5	
(ग्रामीण + शहरी) (Rural + Urban)					
पु M	77.4	76.6	74.4	75.0	
म F	25.4	22.6	25.8	23.7	
कि T	-	-	-	48.0	
च P	52.9	50.9	52.5	50.4	

सारणी 1.4
TABLE 1.4

1	2	3	4	5
कर्मकार जनसंख्या अनुपात Worker Population Ratio (ग्रामीण) (Rural)				
पु M	76.6	74.9	71.6	74.1
म F	26.5	23.4	27.2	24.6
कि T	-	-	-	50.0
च P	52.9	50.5	52.1	50.4
(शहरी Urban)				
पु M	70.9	69.9	70.9	66.8
म F	15.7	14.7	16.2	14.3
कि T	-	-	-	36.9
च P	44.9	43.5	44.6	41.4
(ग्रामीण + शहरी Rural + Urban)				
पु M	75.1	73.5	71.4	72.1
म F	23.6	20.9	23.8	21.7
कि T	-	-	-	45.9
च P	50.8	48.5	49.9	47.8

सारणी 1.4
TABLE 1.4

1	2	3	4	5
बेरोजगारी दर Unemployment Rate (ग्रामीण) (Rural)				
पु M	2.7	4.0	4.2	4.2
म F	5.6	5.8	6.4	7.8
कि T	-	-	-	2.1
व P	3.4	4.4	4.7	5.1
शहरी Urban				
पु M	3.4	4.2	3.9	3.3
म F	12.5	12.8	12.4	12.1
कि T	-	-	-	10.3
व P	5.0	5.7	5.5	4.9
(ग्रामीण + शहरी Rural + Urban)				
पु M	2.9	4.0	4.1	4.0
म F	6.9	7.2	7.7	8.7
कि T	-	-	-	4.3
व P	3.8	4.7	4.9	5.0

स्त्रोत : श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

पु = पुरुष
M = Male

म = महिला
F = Female

कि = किन्नर
T = Transgender

व = व्यक्ति
P = Person

2.1 विनिर्माणकारी उद्योगों में नियोजित कर्मकारों का औसत वार्षिक उपार्जन
2.1 Average Annual Earnings of Workers Employed in Manufacturing Industries

	2012	2013	
कर्मचारियों की संख्या (000 में)	748	482	Number of employees (in 000's)
कुल मजदूरी बिल (रुपये लाख में)	605450	469313	Total Wage Bill (Rs in lakh)
प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक उपार्जन (रुपये)	80903	97281	Per Capita Average Annual Earnings (Rs.)

स्रोत : श्रम, ब्यूरो

Source Labour Bureau

1. अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, दादर एवं नगर हवेली, एवं लक्षदीव से वर्ष 2012 के लिए प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

1 The returns were not received from Arunachal Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Delhi, Gujarat, Jharkhand, M.P., Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Punjab, Sikkim, D&N Haveli and Lakshadweep for the year 2012

2 केन्द्रीय श्रमआयुक्त कार्यालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, चण्डीगढ़, दादर एवं नगर हवेली, दिल्ली, लक्षदीव व पुडुचेरी से वर्ष 2013 के लिए प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

2 The returns were not received from Central Labour Commissioner, Arunachal Pradesh, Assam, Chhattisgarh, Gujarat, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland, Punjab, Sikkim, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, West Bengal, Chandigarh, D&N Haveli, Delhi, Lakshadweep and Pudducherry for the year 2013

2.2 विनिर्माणकारी उद्योगों में नियोजित कर्मकारों का औसत वार्षिक
उपार्जन (उद्योगानुसार)2.2 Average Annual Earnings of Workers Employed in
Manufacturing Industries (By Industry)

(रुपयों में) (in rupees)

रा०औ०च० 2008		
NIC-2008		
कोड सं० Code No.	2012	2013
1	2	3
10	82744	90320
11	88298	85031
12	21967	64755
13	26540	71109
14	72090	90433
15	37055	81875
16	86751	86353
17	91692	183249
18	92889	101906
19	77895	71773
20	85779	88757
21	92207	102429
22	100398	107719

2 मजदूरी एवं उपार्जन

2 WAGES AND EARNINGS

सारणी 2.2
Table 2.2

1	2	3
23	77418	117841
24	95172	96455
25	79202	100352
26	77661	91931
27	86974	104157
28	84988	106119
29	74532	109897
30	81317	148563
31	82983	100643
32	72374	80274
<i>समस्त उद्योग</i> All Industries	80903	97281

स्त्रोत : श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

टिप्पण: मजदूरी की अधिकतम सीमा रु 10000 से रु 18000 प्रति माह 11 सितम्बर, 2012 से बढ़ा दी गई थी।

Note : Wage ceiling was enhanced from Rs 10000/- to Rs 18000 p.m. from 11th September, 2012

उद्योग संकेतों का विवरण कृपया अनुबन्ध में देखें।

For details of Industry Codes please see Annexure

2.3 अकुशल श्रमिकों हेतु प्रति दिवस न्यूनतम एवं अधिकतम मजदूरी
(31 दिसम्बर को)

2.3 Minimum and Maximum Wages per day for unskilled workers (as on 31st December)

केन्द्रीय सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित रोजगारों की संख्या जिन हेतु न्यूनतम मजदूरी निर्धारित / संशोधित की गई	न्यूनतम एवं अधिकतम मजदूरी प्रति दिन (रुपयों में)	Central Government/ State/ Union Territory
	No. of Scheduled Employments in which minimum wages fixed/ revised	Minimum and Maximum Wages Per day (in Rs.)	
1	2	3	4
		MIN	MAX

2013

मु०श्र०आ० (केन्द्रिय)	45	165.26	377.00	CLC (Central)
आन्ध्र प्रदेश	73	69.27	335.31	Andhra Pradesh
अरुणाचल प्रदेश	30	80.00	80.00	Arunachal Pradesh
असम	105	72.00	160.00	Assam
बिहार	88	163.00	176.00	Bihar
छत्तीसगढ़	46	198.57	200.07	Chhattisgarh
गोवा	21	150.00	150.00	Goa
गुजरात	54	100.00	248.00	Gujarat
हरियाणा	50	205.44	205.44	Haryana
हिमाचल प्रदेश	12	150.00	150.00	Himachal Pradesh
जम्मू एवं कश्मीर	28	150.00	150.00	Jammu & Kashmir
झारखण्ड	88	167.17	167.17	Jharkhand
कर्नाटक	79	196.65	314.93	Karnataka

सारणी 2.3
Table 2.3

1	2	3	4	1
केरल	73	150.00	532.50	Kerala
मध्य प्रदेश	38	148.00	212.00	Madhya Pradesh
महाराष्ट्र	67	100.00	368.00	Maharashtra
मेघालय	28	100.00	100.00	Meghalaya
मणिपुर	15	122.10	122.10	Manipur
मिजोरम	1	220.00	220.00	Mizoram
नागालैंड	54	115.00	115.00	Nagaland
ओड़िशा	84	126.00	150.00	Odisha
पंजाब	71	240.64	250.64	Punjab
राजस्थान	62	120.54	222.39	Rajasthan
सिक्किम	26	200.00	200.00	Sikkim
तमिलनाडू	73	85.00	389.85	Tamil Nadu
त्रिपुरा +	22	61.39	218.65	Tripura+
उत्तराखण्ड	58	144.05	231.35	Uttarakhand
उत्तर प्रदेश	64	142.00	241.36	Uttar Pradesh
पश्चिम बंगाल	56	131.46	220.73	West Bengal
अ एवं नि द्वीव समूह	7	241.00	271.00	A & N Islands
चण्डीगढ़	44	282.76	282.76	Chandigarh
दादर एवं नगर हवेली	56	196.20	196.20	D & N Haveli
दमन एवं दीव	72	196.20	196.20	Daman & Diu
दिल्ली	29	311.00	311.00	Delhi
लक्षद्वीप	9	254.80	254.80	Lakshadweep
पुडुचेरी	26	55.00	205.00	Puducherry

सारणी 2.3
Table 2.3

1	2	3	4	1
2014				
मुंश्रुंआ० (केन्द्रिय)	45	176.73	377.00	CLC (Central)
आन्ध्र प्रदेश	73	69.27	354.81	Andhra Pradesh
अरुणाचल प्रदेश	30	150.00	150.00	Arunachal Pradesh
असम	102	75.00	163.47	Assam
बिहार	88	170.00	186.00	Bihar
छत्तीसगढ़	46	213.69	222.69	Chhattisgarh
गोवा	21	215.00	215.00	Goa
गुजरात	56	100.00	276.00	Gujarat
हरियाणा	50	216.90	216.90	Haryana
हिमाचल प्रदेश	12	170.00	170.00	Himachal Pradesh
जम्मू एवं कश्मीर	28	150.00	150.00	Jammu & Kashmir
झारखण्ड	88	178.67	178.67	Jharkhand
कर्नाटक	80	213.00	336.44	Karnataka
केरल	73	150.00	547.80	Kerala
मध्य प्रदेश	64	187.00	253.00	Madhya Pradesh
महाराष्ट्र	67	120.00	439.35	Maharashtra
मेघालय	28	160.00	160.00	Meghalaya
मणिपुर	15	122.10	122.10	Manipur
मिजोरम	1	220.00	220.00	Mizoram
नागालैंड	54	115.00	135.00	Nagaland
ओडिशा	88	126.00	150.00	Odisha
पंजाब	71	256.52	266.52	Punjab
राजस्थान	62	189.00	232.84	Rajasthan

सारणी 2.3
Table 2.3

1	2	3	4	1
सिक्किम	26	220.00	220.00	Sikkim
तमिलनाडू	73	85.00	389.85	Tamil Nadu
त्रिपुरा +	24	71.98	271.86	Tripura+
तेलंगाना	73	69.27	380.49	Telangana
उत्तराखण्ड	58	151.80	268.00	Uttarakhand
उत्तर प्रदेश	64	142.00	246.75	Uttar Pradesh
पश्चिम बंगाल	61	162.88	257.00	West Bengal
अ एवं नि द्वीव समूह	7	261.00	291.00	A & N Islands
चण्डीगढ	44	209.80	305.38	Chandigarh
दादर एवं नगर हवेली	56	209.80	209.80	D & N Haveli
दमन एवं दीव	72	209.80	209.80	Daman & Diu
दिल्ली	28	332.00	332.00	Delhi
लक्षदीप	9	255.20	255.20	Lakshadweep
पुडुचेरी	29	55.00	205.00	Puducherry

स्रोत : न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत वार्षिक विवरणियाँ

Source : Annual Return under the Minimum wages Act, 1948

+ = खाद्य पदार्थ सहायकी दरों पर

+ = Plus food items at subsidized rates

3.1 (क) औद्योगिक श्रमिकों के लिए वार्षिक औसत एवं माहवार अखिल
भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2001=100
3.1 (a) Annual Average and month-wise All-India Consumer
Price Index Numbers for Industrial Workers on Base 2001=100

वर्ष/माह	सामान्य सूचकांक General Index		खाद्य सूचकांक Food Index		Year/Month
	2014	2015	2014	2015	
1	2	3	4	5	1
जनवरी	237	254	256	276	January
फरवरी	238	253	256	275	February
मार्च	239	254	258	276	March
अप्रैल	242	256	264	278	April
मई	244	258	267	283	May
जून	246	261	270	288	June
जुलाई	252	263	280	289	July
अगस्त	253	264	282	292	August
सितम्बर	253	266	280	296	September

3 मूल्य**3 PRICES**सारणी 3.1 (क)
Table 3.1 (a)

1	2	3	4	5	1
अक्तूबर	253	269	280	301	October
नवम्बर	253	270	280	302	November
दिसम्बर	253	269	277	299	December
(वार्षिक औसत)	247	261	271	288	(Annual Average)

स्त्रोत : श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

टिप्पण :

Note :

- i) औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार 2001=100 की नई श्रृंखला जनवरी, 2006 से अवमुक्त की गई है।
- i) New series of Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers on base 2001=100 has been released w.e.f. January, 2006.
- ii) 2001 एवं 1982 श्रृंखला के मध्य सामान्य सूचकांक और खाद्य सूचकांक के योजक घटक क्रमशः 4.63 और 4.58 हैं।
- ii) The linking factors between 2001 and 1982 series are 4.63 and 4.58 for General Index and Food Index respectively.

3.1 (ख) औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 2001=100 (केन्द्रवार वार्षिक औसत)

3.1 (b) Consumer Price Index Numbers(General) for Industrial Workers on Base 2001=100 (Centre-wise Annual Average)

केन्द्र	1982=100 श्रृंखला के साथ योजक घटक Linking Factor with 1982=100 series	2014	2015	Centre
1	2	3	4	1
गोदावरीखानी	+	262	274	Godavarikhani
गुन्टूर	4.57	251	259	Guntur
हैदराबाद	4.79	217	228	Hyderabad
विजयवाडा	+	240	251	Vijaywada
विशाखापत्तनम	4.64	249	263	Vishakhapathnam
वारंगल	4.75	259	272	Warangal
डुमडुमा तिनसुकिया	4.04	213	235	Doom Dooma Tinsukia
गुवाहाटी	4.80	214	226	Guwahati
लबाक सिल्चर	3.65	243	247	Labac Silcher
मरियानी जोरहाट	4.01	217	230	Mariani Jorhat
रंगापारा तेजपुर	4.17	213	228	Rangapara Tejpur
मुंगेर जमालपुर	4.30	253	274	Mungher Jamalpur
चण्डीगढ़	5.26	245	254	Chandigarh
भिलाई	4.20	277	291	Bhilai

सारणी 3.1 (ख)
Table 3.1(b)

1	2	3	4	1
दिल्ली	5.60	223	234	Delhi
गोवा	5.59	258	276	Goa
अहमदाबाद	4.62	238	249	Ahmedabad
भावनगर	4.76	225	239	Bhavnagar
राजकोट	4.38	237	248	Rajkot
सूरत	4.54	224	238	Surat
वड़ोदरा	4.39	230	244	Vadodara
फरीदाबाद	4.79	226	240	Faridabad
यमुनानगर	4.34	241	248	Yamunanagar
हिमाचल प्रदेश	4.53	222	232	Himachal Pradesh
श्रीनगर	5.62	219	235	Srinagar
बोकारो	+	251	268	Bokaro
गिरिडीह	+	293	289	Giridih
जमशेदपुर	4.23	265	288	Jamshedpur
झरिया	3.72	279	290	Jharia
कोडरमा	3.89	285	297	Kodarma
रांची हाटिया	4.20	286	297	Ranchi Hatia
बंगलौर	4.51	253	268	Bangalore
बेलगाम	5.02	254	266	Belgaum
हुबली धारवाड़	4.71	266	281	Hubli Dharwar
मरकारा	4.47	255	269	Mercara
मैसूर	+	258	267	Mysore
एरनाकुलम	4.52	248	260	Ernakulam
मुण्डाकयाम	4.37	264	274	Mundakkayam

सारणी 3.1 (ख)
Table 3.1(b)

1	2	3	4	1
क्विलोन	4.61	260	277	Quilon
भोपाल	4.83	251	260	Bhopal
छिंदवाडा	4.03	247	262	Chhindwara
इन्दौर	4.73	232	243	Indore
जबलपुर	4.53	240	256	Jabalpur
मुम्बई	5.18	257	276	Mumbai
नागपुर	4.68	277	294	Nagpur
नासिक	4.94	255	271	Nasik
पुणे	4.96	254	266	Pune
शोलापुर	4.73	261	281	Sholapur
अंगुल तलछर	+	256	265	Angul Talcher
राउरकेला	4.03	260	270	Rourkela
पुडुचेरी	4.88	256	271	Puducherry
अमृतसर	4.09	255	263	Amritsar
जालंधर	+	239	250	Jalandhar
लुधियाना	4.12	235	251	Ludhiana
अजमेर	4.78	240	248	Ajmer
भीलवाडा	4.62	245	259	Bhilwara
जयपुर	4.25	238	245	Jaipur
चेन्नई	4.95	230	248	Chennai
कोयम्बटूर	4.49	231	243	Coimbatore
कुनूर	4.58	241	261	Coonoor
मदुराई	4.51	239	259	Madurai
सेलम	4.45	233	254	Salem

सारणी 3.1 (ख)
Table 3.1(b)

1	2	3	4	1
तिरुचिरापल्ली	5.01	253	261	Tiruchirapally
त्रिपुरा	4.17	210	227	Tripura
आगरा	4.36	255	269	Agra
गाजियाबाद	4.78	240	256	Ghaziabad
कानपुर	4.50	255	268	Kanpur
लखनऊ	+	242	261	Lucknow
वाराणसी	4.96	247	265	Varanasi
आसनसोल	4.37	277	290	Asansol
दार्जिलिंग	3.80	232	239	Darjeeling
दुर्गापुर	5.13	282	287	Durgapur
हल्दिया	5.64	241	275	Haldia
हावड़ा	5.42	228	240	Howrah
जलपाईगुड़ी	3.96	241	252	Jalpaiguri
कोलकाता	5.12	239	251	Kolkata
रानीगंज	4.02	228	236	Raniganj
सिलीगुड़ी	+	233	241	Siliguri

स्रोत : श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

+ = आधार 2001 = 100 पर नई श्रंखला में नए केन्द्र शामिल किए गए हैं।

+ = New centres included in the new series on base 2001=100

3.2 कृषि तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
आधार वर्ष 1986-87=100 (जुलाई से जून)

**3.2 Average Consumer Price Index Numbers for
Agricultural and Rural Labourers on
Base 1986-87=100 (July to June)**

राज्य	कृषि श्रमिक		ग्रामीण श्रमिक		State
	Agricultural Labourers		Rural Labourers		
	2013-2014	2014-2015	2013-2014	2014-2015	
1	2	3	4	5	1
आन्ध्र प्रदेश	820	873	817	870	Andhra Pradesh
असम	740	789	746	796	Assam
बिहार	691	718	695	724	Bihar
गुजरात	777	822	775	821	Gujarat
हरियाणा	840	898	834	893	Haryana
हिमाचल प्रदेश	619	660	653	696	Himachal Pradesh
जम्मू एवं कश्मीर	730	765	726	760	Jammu & Kashmir
कर्नाटक	826	877	820	871	Karnataka
केरल	772	840	770	848	Kerala
मध्य प्रदेश	723	737	739	759	Madhya Pradesh
महाराष्ट्र	804	861	800	857	Maharashtra
मणिपुर	718	787	720	790	Manipur

सारणी 3.2
Table 3.2

1	2	3	4	5	1
मेघालय	756	794	751	792	Meghalaya
ओडिशा	714	764	714	764	Odisha
पंजाब	822	865	813	860	Punjab
राजस्थान	822	870	809	854	Rajasthan
तमिलनाडु	767	829	761	824	Tamil Nadu
त्रिपुरा	668	730	662	723	Tripura
उत्तर प्रदेश	734	766	732	764	Uttar Pradesh
पश्चिम बंगाल	730	755	739	765	West Bengal
अखिल भारत	764	808	765	811	All India

स्त्रोत : श्रम ब्यूरो
Source : Labour Bureau

4 व्यवसाय संघ

4 TRADE UNIONS

4.1 व्यवसाय संघों एवं उनकी सदस्यता में वृद्धि
4.1 Growth of Trade Unions and their Membership

	2012	2013	
पंजीकृत श्रमिक संघों की संख्या	Number of registered Trade Unions		
(क) नियोजन कर्ता संघ	56	+	a)Employers' Unions
(ख) कर्मकार व्यवसाय संघ	16712	11556	b)Workers' Trade Unions
योग	16768	11556	Total
विवरणियां भेजने वाले संघों की संख्या	Number of unions submitting returns		
(क) नियोजन कर्ता संघ	+	+	(a)Employers' Unions
(ख) कर्मकार व्यवसाय संघ	4785	2534	(b)Workers' Unions
योग	4785	2534	Total
विवरणियां भेजने वाले संघों की सदस्यता (000')	Membership of Unions submitting returns ('000)		
(क) नियोजन कर्ता संघ	+	+	(a)Employers' Unions
(ख) कर्मकार व्यवसाय संघ	9182	3231	(b)Workers' Unions
योग	9182	3231	Total
प्रति संघ औसत सदस्यता	1919	1275	Average Membership per Union

स्त्रोत : श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

+प्रतिवेदल नहीं किया + Not Reported
आंकड़े केवल उत्तर देने वाले राज्यों/संघ शासित प्रदेशों पर आधारित हैं।।
Figures based on responding States/UTs only

4 व्यवसाय संघ

4 TRADE UNIONS

4.2 विवरणियां भेजने वाले व्यवसाय संघों एवं उनकी सदस्यता
(उद्योगानुसार)

4.2 Number and Membership of Trade Unions Submitting
Returns (By Industry)

रा० औ० च० 2008	कर्मकार संघ Workers' Union				समस्त संघ All Unions				NIC 2008	
	संख्या Number		सदस्यता (‘000 में) Membership (in 000’s)		संख्या Number		सदस्यता (‘000 में) Membership (in 000’s)			
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1
क	273	92	2899	220	273	92	2899	220		A
ख	51	72	92	53	51	72	92	53		B
ग	1774	1025	1629	735	1774	1025	1629	735		C
घ	113	69	189	192	113	69	189	192		D
ङ	55	68	25	10	55	68	25	10		E
च	281	111	1225	329	281	111	1225	329		F
छ	197	56	234	98	197	56	234	98		G
ज	652	218	1169	387	652	218	1169	387		H

4 व्यवसाय संघ

4 TRADE UNIONS

सारणी 4.2
Table 4.2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1
झ	75	60	18	56	75	60	18	56	I	
ञ	217	46	114	67	217	46	114	67	J	
ट	216	161	194	123	216	161	194	123	K	
ठ	-	3	-	2	-	3	-	2	L	
ड	138	12	154	2	138	12	154	2	M	
ढ	40	39	55	16	40	39	55	16	N	
ण	181	118	124	44	181	118	124	44	O	
त	58	42	73	31	58	42	73	31	P	
थ	82	49	87	99	82	49	87	99	Q	
छ	54	16	27	2	54	16	27	2	R	
ध	270	72	300	136	270	72	300	136	S	
न	12	159	1	57	12	159	1	57	T	
प	46	46	572	572	46	46	572	572	U	
योग	4785	2534	9182	3231	4785	2534	9182	3231	Total	

स्रोत : श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

उद्योग संकेतों का विवरण कृपया अनुबन्ध में देखें।

For details of Industry Codes please see Annexure

5.1 औद्योगिक विवादों के कारण कार्य स्थगन

5.1 Industrial Disputes Resulting in Work Stoppages

	2013	2014*	
विवादों की संख्या	258	167	No. of Disputes
अन्तर्गस्त कर्मकारों की संख्या(000 में)	1838	1060	No. of Workers Involved (000' s)
श्रम-दिनों की हानि ('000 में)	12645	3811	Mandays Lost ('000' s)
मजदूरी की हानि (रुपये करोड़ में)	195.33 (59)	207.48 (110)	Wages Lost (Rs. in crore)
उत्पादन हानि (रुपये करोड़ में)	581.93 (47)	234.88 (52)	Value of Production Loss (Rs. In crore)

स्त्रोत : श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े सूचना से संबंधित मामलों की संख्या दर्शाते हैं।

Note : Figures in brackets indicate the number of cases to which the information relates.

5.2 (क) विवादों के परिणामस्वरूप कार्य स्थगन के कारण मानव दिनों की हानि
(उद्योगानुसार) ('000 में)5.2(a) Mandays Lost in disputes resulting in work stoppages
(By Industry) (in 000's)

	2013	2014*	2013	2014*	
उद्योग संकेतांक रा औ सं 2008	औद्योगिक विवादों के कारण Due to industrial disputes	औद्योगिक विवादों के अतिरिक्त अन्य कारण Due to reasons other than industrial disputes	औद्योगिक विवादों के अतिरिक्त अन्य कारण Due to reasons other than industrial disputes		Industry Code NIC 2008
1	2	3	4	5	1
क	909	62	447	-	A
01	909	62	447	-	01
02	-	-	-	-	02
ख	250	27	-	-	B
05	218	12	-	-	05
06	7	-	-	-	06
07	9	-	-	-	07
08	14	15	-	-	08
09	2	-	-	-	09
ग	7060	2076	8489	1815	C
10	116	154	273	50	10
11	11	7	57	22	11
12	7	1	-	-	12
13	3917	894	3434	1674	13
14	101	93	115	-	14
15	23	6	-	-	15
16	147	78	33	-	16

सारणी 5.2 (क)
Table 5.2 (a)

1	2	3	4	5	1
17	109	123	387	37	17
18	-	-	337	-	18
19	4	1	-	-	19
20	102	23	521	28	20
21	603	4	56	-	21
22	184	9	374	4	22
23	60	7	503	-	23
24	497	318	1261	-	24
25	270	37	139	-	25
26	135	120	45	-	26
27	135	13	350	-	27
28	103	107	385	-	28
29	90	73	84	-	29
30	11	8	-	-	30
31	7	-	13	-	31
32	427	@	122	-	32
33	1	-	-	-	33
घ	184	-	21	-	D
35	184	-	21	-	35
ड	-	-	-	-	E
च	12	1	-	-	F
छ	981	11	37	-	G

सारणी 5.2 (क)
Table 5.2 (a)

1	2	3	4	5	1
ज	142	449	24	-	H
झ	72	-	8	-	I
ञ	90	6	95	-	J
ट	2434	1151	-	-	K
ठ	-	-	-	-	L
ड	20	-	18	-	M
ढ	68	-	-	-	N
ण	42	-	-	-	O
त	-	1	-	-	P
थ	6	-	-	-	Q
द	76	19	-	-	R
ध	298	9	6	-	S
योग	12645	3811	9146	1815	Total

स्त्रोत : श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

टिप्पणी : राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के संकेतों के वर्णन अनुबंध में देखें

Note : Description of NIC Codes may be seen at Annexure

5.2 (ख) विवादों के परिणामस्वरूप कार्य स्थगन के कारण मानव दिनों की हानि

5.2(b) Mandays lost in Disputes resulting in work-stoppages
(राज्यानुसार) (By States) (000 में) (in '000)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	औद्योगिक विवादों के कारण Due to industrial disputes	औद्योगिक विवादों के अतिरिक्त अन्य कारण Due to reasons other than industrial disputes	State/Union Territory		
1	2	3	4	5	1
	2013	2014*	2013	2014*	
आन्ध्र प्रदेश	444	1044	1674	1674	Andhra Pradesh
अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	Arunachal Pradesh
असम	114	77	-	-	Assam
बिहार	130	160	71	72	Bihar
छत्तीसगढ़	92	42	-	-	Chhattisgarh
दिल्ली	26	-	-	-	Delhi
गोवा	11	-	-	-	Goa
गुजरात	162	156	2	-	Gujarat
हरियाणा	145	197	-	-	Haryana
हिमाचल प्रदेश	-	18	-	-	Himachal Pradesh
जम्मू व कश्मीर	-	-	-	-	Jammu & Kashmir

सारणी 5.2 (ख)
Table 5.2(b)

1	2	3	4	5	1
झारखण्ड	105	..	-	-	Jharkhand
कर्नाटक	167	180	1	-	Karnataka
केरल	579	382	69	69	Kerala
मध्य प्रदेश	279	129	-	-	Madhya Pradesh
महाराष्ट्र	1366	42	-	-	Maharashtra
मणिपुर	-	-	-	-	Manipur
मेघालय	-	-	-	-	Meghalaya
मिजोरम	#	#	#	#	Mizoram
नागालैंड	-	-	-	-	Nagaland
ओडिशा	-	-	-	-	Odisha
पंजाब	227	-	-	-	Punjab
राजस्थान	329	272	-	-	Rajasthan
सिक्किम	#	#	#	#	Sikkim
तमिलनाडु	358	685	1	-	Tamil Nadu
तेलंगाना	-	33	-	-	Telangana
त्रिपुरा	-	-	-	-	Tripura
उत्तराखण्ड	39	67	-	-	Uttarakhand
उत्तर प्रदेश	83	25	1	-	Uttar Pradesh
पश्चिम बंगाल	7981	302	7326	-	West Bengal

सारणी 5.2 (ख)
Table 5.2(b)

	1	2	4	5	1
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	A & N Islands
चण्डीगढ़	-	-	-	-	Chandigarh
दादर एवं नगर हवेली	-	-	-	-	D & N Haveli
दमन एवं दीव	-	-	-	-	Daman & Diu
लक्षदीप	-	-	-	-	Lakshadweep
पुडुचेरी	9	@	-	-	Puducherry
योग	12645	3811	9146	1815	Total

स्त्रोत: श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 अभी लागू होना है।

Industrial Disputes Act, 1947 is yet to be implemented.

5.3 - विवादों का कारणानुसार प्रतिशत वितरण
5.3 Percentage Distribution of Disputes by Causes

कारण समूह	2013	2014*	Cause Group
1	2	3	1
मजदूरी एवं भत्ते	22.5	48.5	Wages & Allowances
कार्मिक	8.1	9.0	Personnel
छंटनी	0.8	0.6	Retrenchment
काम-बन्दी	-	-	Lay-Off
अनुशासनहीनता	38.4	7.2	Indiscipline
हिंसा	1.2	1.2	Violence
छुट्टी एवं कार्य के घंटे/पारी में कार्य	-	-	Leave and Hours of Work/Shift Working
बोनस	3.5	3.0	Bonus
घेराव	-	-	Gherao
अन्तर/अन्तरा संघ प्रतिद्वन्द्विता	0.8	1.2	Inter/Intra Union Rivalry
श्रम पंचाटों और श्रम समझौतों इत्यादि का लागू न किया जाना	1.9	-	Non-implementation of agreements and awards etc.
मांगों का चार्टर	15.1	18.6	Charter of Demands

सारणी 5.3
Table 5.3

1	2	3	1
कार्य-भार	0.4	0.6	Work Load
अतिरिक्त श्रमिक	-	-	Surplus Labour
सुविधाओं का उन्नतिकरण	-	-	Betterment of Amenities
विनिर्माण प्रक्रिया का निलम्बन/ परिवर्तन	-	-	Suspension/change of manufacturing process
स्थाई आदेशों/ नियमावलियों/ सेवा शर्तों/ सुरक्षा उपाय	-	1.2	Standing orders/ rules/service conditions/safety measures
सरकारी आर्थिक नीति में बदलाव	-	1.8	Change of Govt. economic policy
अन्य	7.0	7.2	Others
ज्ञात नहीं	0.4	-	Not known

स्त्रोत : श्रम ब्यूरो
Source : Labour Bureau

5.4 - विवादों का अवधि के अनुसार प्रतिशत विवरण
5.4 Percentage Distribution of Disputes by Duration

अवधि	2013	2014*	Duration
1 दिन या कम	8.0	22.6	1 day or less
1 से अधिक 5 दिन तक	19.5	28.8	More than 1 upto 5 days
5 से अधिक 10 दिन तक	12.4	10.3	More than 5 upto 10 days
10 से अधिक 20 दिन तक	15.9	11.6	More than 10 upto 20 days
20 से अधिक 30 दिन तक	9.7	6.8	More than 20 upto 30 days
30 दिन से अधिक	33.6	19.9	More than 30 days
ज्ञात नहीं	0.9	-	Not Known

स्त्रोत : श्रम ब्यूरो
Source : Labour Bureau

5.5 परिधि क्षेत्र अनुसार विवाद

5.5 Disputes by Sphere

केंद्रीय अधिकार क्षेत्र	2013	2014*	Central Sphere
विवादों की संख्या	9	54	No. of disputes
अन्तर्ग्रस्त कर्मकार (‘000 में)	1649	875	Workers involved (in 000’s)
श्रम-दिनों की हानि (‘000 में)	2977	1202	Mandays lost (in 000’s)
मजदूरी की हानि (रुपये करोड़ में)	162.00 (8)	176.36 (50)	Wages lost (Rs. in crore)
उत्पादन हानि (रुपये करोड़ में)	186.96 (1)	28.48 (4)	Production loss (Rs. in crore)
राज्य अधिकार क्षेत्र			State Sphere
विवादों की संख्या	249	113	No. of disputes
अन्तर्ग्रस्त कर्मकार (‘000 में)	189	185	Workers involved (in 000’s)
श्रम-दिनों की हानि (‘000 में)	9668	2609	Mandays lost (in 000’s)
मजदूरी की हानि (रुपये करोड़ में)	33.33 (51)	31.13 (60)	Wages lost (Rs. in crore)
उत्पादन हानि (रुपये करोड़ में)	394.97 (46)	206.40 (48)	Production loss (Rs. in crore)

स्त्रोत : श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

टिप्पणी : कोष्ठक में दिये गए आंकड़े सूचना से संबंधित मामलों की संख्या दर्शाते हैं।

Note : Figures in brackets indicate number of cases to which the information relates.

5.6 - क्षेत्र अनुसार विवाद
5.6 Disputes by Sectors

	2013	2014*	
सार्वजनिक क्षेत्र			Public Sector
विवादों की संख्या	14	54	No. of disputes
अन्तर्ग्रस्त कर्मकार (‘000 में)	1708	1005	Workers involved (in 000)
श्रम-दिनों की हानि (‘000 में)	3075	1740	Mandays lost (in 000’s)
मजदूरी की हानि (रुपये करोड़ में)	155.27 (10)	172.06 (48)	Wages lost (Rs. in crore)
उत्पादन हानि (रुपये करोड़ में)	191.27 (4)	28.48 (4)	Production loss (Rs. in crore)
निजी क्षेत्र			Private Sector
विवादों की संख्या	244	113	No. of disputes
अन्तर्ग्रस्त कर्मकार (‘000 में)	130	55	Workers involved (in 000’s)
श्रम-दिनों की हानि (‘000 में)	9570	2071	Mandays lost (in 000’s)
मजदूरी की हानि (रुपये करोड़ में)	40.06 (49)	35.43 (62)	Wages lost (Rs. in crore)
उत्पादन हानि (रुपये करोड़ में)	390.66 (43)	206.40 (48)	Production loss (Rs. in crore)

स्त्रोत : श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

टिप्पणी : कोष्ठक में दिये गए आंकड़े सूचना से संबंधित मामलों की संख्या दर्शाते हैं।

Note : Figures in brackets indicate number of cases to which the information relates.

5.7 हड़ताल, तालाबन्दी एवं घेराव अनुसार विवाद
5.7 Disputes by Strikes, Lockouts and Gheraos

	2013	2014*	
			<u>Strikes</u>
<u>हड़तालें</u>			
संख्या	103	142	Number
अन्तर्गत कर्मकार (000 में)	1774	1052	Workers involved (in 000's)
श्रम-दिनों की हानि (000 में)	4045	2901	Mandays lost (in 000)
			<u>Lockouts</u>
<u>तालाबन्दी</u>			
संख्या	155	25	Number
अन्तर्गत कर्मकार (000 में)	64	8	Workers involved (in 000's)
श्रम-दिनों की हानि (000 में)	8600	911	Mandays lost (in 000)
			<u>Gheraos</u>
<u>घेराव</u>			
संख्या	-	-	Number
अन्तर्गत कर्मकार (000 में)	-	-	Workers involved (in 000's)
श्रम-दिनों की हानि (000 में)	-	-	Mandays lost (in 000's)

स्त्रोत : श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

5.8 कुल स्थाई बन्दीयां तथा उनसे प्रभावित कर्मकारों की संख्या
5.8 No. of Permanent Closures and Workers Affected thereby
(राज्यवार) (By States)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बन्दीओं की संख्या		प्रभावित कर्मकारों की संख्या		State/ Union Territory
	No. of Closures		No. of Workers affected		
	क A	ख B	क A	ख B	
1	2	3	4	5	1
2013					
आन्ध्र प्रदेश	1	-	728	-	Andhra Pradesh
छत्तिसगढ़	1	-	500	-	Chhattisgarh
गोवा	4	-	179	-	Goa
गुजरात	3	-	71	-	Gujarat
हिमाचल प्रदेश	2	-	191	-	Himachal Pradesh
कर्नाटक	2	-	71	-	Karnataka
त्रिपुरा	82	-	2736	-	Tripura
योग	95	-	4476	-	Total

टिप्पणी: अरुणाचल प्रदेश, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दादर एवं नगर हवेली के संबंध में वर्ष 2013 की सूचना अनुपलब्ध है तथा शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में सूचना शून्य है।

Note : Information for the year 2013 in respect of Arunachal Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Uttar Pradesh and Dadar & Nagar Haveli is not available and remaining States/Union Territories is 'Nil'

सारणी 5.8
Table 5.8

	क A	ख B	क A	ख B	
1	2	3	4	5	1
2014*					
आन्ध्र प्रदेश	3	-	326	-	Andhra Pradesh
चण्डीगढ़	1	-	8	-	Chandigarh
हरियाणा	2	-	59	-	Haryana
हिमाचल प्रदेश	2	-	70	-	Himachal Pradesh
कर्नाटक	5	-	552	-	Karnataka
ओडिशा	-	1	-	447	Odisha
तेलंगाना	2	-	2745	-	Telegana
त्रिपुरा	16	-	396	-	Tripura
उत्तराखण्ड	2	-	123	-	Uttarakhand
योग	33	1	4279	447	Total

स्त्रोत : श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

क राज्य क्षेत्र A State Sphere ख केन्द्रीय क्षेत्र B Central Sphere

टिप्पणी: अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, अ० नि० दीव समूह व दादर व नगर हवेली के संबंध में वर्ष 2014 की सूचना अनुपलब्ध है तथा शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में सूचना शून्य है।

Note : Information for the year 2014 in respect of Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Uttar Pradesh, West Bengal, Delhi, A & N Islands and D & N Haveli is not available and remaining States/Union Territories is 'Nil'

5.9 छंटनीओं की संख्या तथा उनसे प्रभावित कर्मकार (राज्यानुसार)

5.9 Number of Retrenchments and Workers Retrenched there by (By States)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	छंटनीओं की संख्या No. of Retrenchments		प्रभावित कर्मकारों की संख्या No. of Workers Affected		State/ Union Territory
	क A	ख B	क A	ख B	
1	2	3	4	5	1
2013					
गोवा	3	11	8	373	Goa
गुजरात	1	-	109	-	Gujarat
कर्नाटक	6	-	13	-	Karnataka
ओड़िशा	-	1	-	794	Odisha
योग	10	12	130	1167	Total

टिप्पणी: अरुणाचल प्रदेश, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दादर एवं नगर हवेली के संबंध में वर्ष 2013 की सूचना अनुपलब्ध है तथा शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में सूचना शून्य है।

Note : Information for the year 2013 in respect of Arunachal Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Uttar Pradesh and Dadar & Nagar Haveli is not available and remaining States/Union Territories is 'Nil'

सारणी 5.9
Table 5.9

	क A	ख B	क A	ख B	
1	2	3	4	5	1
2014*					
कर्नाटक	3	-	59	-	Karnataka
महाराष्ट्र	-	1	-	373	Maharashtra
ओडिशा	-	3	-	1222	Odisha
पुडुचेरी	5	-	35	-	Puducherry
राजस्थान	-	1	-	89	Rajasthan
उत्तराखण्ड	1	-	20	-	Uttarakhand
योग	9	5	114	1684	Total

स्त्रोत : श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

क राज्य क्षेत्र

ख केन्द्रीय क्षेत्र

A State Sphere

B Central Sphere

टिप्पणी: अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, अ० नि० दीव समुह व दादर व नगर हवेली के संबंध में वर्ष 2014 की सूचना अनुपलब्ध है तथा शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में सूचना शून्य है।

Note : Information for the year 2014 in respect of Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Uttar Pradesh, West Bengal, Delhi, A & N Islands and D & N Haveli is not available and remaining States/Union Territories is 'Nil'

5.10 ईकाईयों में प्रभावित कामबन्दी, प्रभावित कर्मकार तथा नष्ट हुए मानव दिनों की हानि (राज्यानुसार)

5.10 No. of Units affecting Lay-off, Workers Laid -off and Mandays Lost (By States)

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	कामबन्दी की संख्या		प्रभावित कर्मकारों की संख्या		मानव दिनों की हानि की संख्या		State/ Union Territory
	No. of Lay-Offs		No. of Workers Affected		No. of Mandays lost		
	कA	ख B	क A	ख B	क A	ख B	
1	2	3	4	5	6	7	1
2013							
आन्ध्र प्रदेश	1	-	115	-	29900	-	Andhra Pradesh
असम	1	-	106	-	1590	-	Assam
गुजरात	1	-	36	-	1368	-	Gujarat
हिमाचल प्रदेश	1	-	183	-	4392	-	Himachal Pradesh
कर्नाटक	47	-	2229	-	5975	-	Karnataka
केरल	5	-	394	-	39066	-	Kerala
पुडुचेरी	2	-	1416	-	67045	-	Puducherry
राजस्थान	1	-	2747	-	71422	-	Rajasthan
योग	59	-	7226	-	220758	-	Total

टिप्पणी: अरुणाचल प्रदेश, आरखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दादर एवं नगर हवेली के संबंध में वर्ष 2013 की सूचना अनुपलब्ध है तथा शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में सूचना शून्य है।

Note : Information for the year 2013 in respect of Arunachal Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Uttar Pradesh and Dadra & Nagar Haveli is not available and remaining States/Union Territories is 'Nil'

सारणी 5.10
Table 5.10

1	2	3	4	5	6	7	1
2014*							
आन्ध्र प्रदेश	2	-	343	-	69681		Andhra Pradesh
कर्नाटक	7	-	104	-	734	-	Karnataka
केरल	10	-	686	-	66804	-	Kerala
पुडुचेरी	2	-	1382	-	273420	-	Puducherry
योग	21	-	2515	-	410639	-	Total

स्त्रोत : श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

क राज्य क्षेत्र

ख केन्द्रीय क्षेत्र

A State Sphere

B Central Sphere

टिप्पणी: अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल, दिल्ली, अण्डमान एवं निकोबार द्विप और दादर एवं नगर हवेली के संबंध में वर्ष 2014 की सूचना अनुपलब्ध है तथा शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में सूचना शून्य है।

Note : Information for the year 2014 in respect of Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Uttar Pradesh, West Bengal, Delhi, Andaman & Nicobar Islands and Dadra & Nagar Haveli is not available and remaining States/Union Territories is 'Nil'

6.1 (क) कारखानों में औद्योगिक क्षतियां, उनकी आपात एवं आवृत्ति दर
(राज्यानुसार)

6.1 (a) Industrial Injuries in Factories, their Incidence and
Frequency Rates (by States)

State/ UT	क्षतियों की संख्या Number of injuries		आपात दर (प्रति हजार नियोजित कर्मकार) Incidence rate (Per thousand workers employed)		आवृत्ति दर (प्रति एक लाख कार्य दिवस) Frequency rate (per one lakh mandays worked)		राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र
	घातक Fatal	अघातक Non-Fatal	घातक Fatal	अघातक Non-Fatal	घातक Fatal	अघातक Non-Fatal	
1	2	3	4	5	6	7	1
2012							
आंध्र प्रदेश	153	1183	0.13	1.02	0.08	0.64	Andhra Pradesh
असम	8	70	0.05	0.4	0.08	0.66	Assam
बिहार	9	126	0.05	0.75	0.33	4.57	Bihar
छत्तीसगढ़	106	52	0.45	0.22	0.33	0.16	Chhattisgarh
गोवा	7	96	0.1	1.36	0.03	0.48	Goa
हरियाणा	15	28	0.02	0.03	0.02	0.04	Haryana
महाराष्ट्र	216	2392	0.1	1.14	0.06	0.66	Maharashtra
राजस्थान	34	699	0.05	1.01	0.06	1.18	Rajasthan
तमिल नाडू	110	333	0.07	0.21	2.88	8.73	Tamil nadu

सारणी 6.1 (क)
Table 6.1 (a)

1	2	3	4	5	6	7	1
त्रिपुरा	2	5	0.03	0.09	0.06	0.14	Tripura
चण्डीगढ़	1	2	0.08	0.16	0.04	0.09	Chandigarh
दादर एवं नगर हवेली	13	31	0.07	0.18	265.52	633.17	Dadar & Nagar Haveli
पुडुचेरी	8	30	0.1	0.36	0.11	0.4	Puducherry
अ०नि० द्वीप समूह	-	40	-	7.05	-	2.89	A & N Islands
योग	682	5087	0.09	0.69	0.09	0.66	Total

2013

आंध्र प्रदेश	152	562	0.25	0.93	0.16	0.6	Andhra Pradesh
असम	4	101	0.02	0.51	0.04	0.95	Assam
बिहार	4	156	0.02	0.83	0.08	3.3	Bihar
चण्डीगढ़	-	2	-	0.16	-	0.09	Chandigarh
छत्तीसगढ़	97	59	0.37	0.22	0.31	0.19	Chhattisgarh
गोवा	10	45	0.14	0.63	0.05	0.22	Goa
हरियाणा	41	37	0.05	0.04	0.01	0.01	Haryana
झारखण्ड	37	93	0.14	0.36	0.3	0.75	Jharkhand

सारणी 6.1 (क)
Table 6.1 (a)

1	2	3	4	5	6	7	1
मेघालय	-	15	-	1.44	-	1.68	Meghalaya
पुडुचेरी	3	25	0.04	0.31	0.04	0.31	Puducherry
राजस्थान	55	706	0.11	1.42	0.11	1.41	Rajasthan
तेलंगाना	89	145	0.15	0.25	0.12	0.19	Telangana
त्रिपुरा	2	5	0.04	0.09	0.07	0.17	Tripura
योग	494	1951	0.14	0.53	0.08	0.3	Total

स्त्रोत : श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

टिप्पण: 1. चार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों यथा अरुणाचल प्रदेश, लक्षदीप, मिजोरम एवं सिक्किम में कारखाना अधिनियम, 1948 लागू नहीं है।

Note : 1. The Factories Act 1948, is not implemented in four States /Union Territories viz. Arunachal Pradesh, Lakshadweep, Mizoram and Sikkim .

2. शेष रह गये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।

2. Data not received from rest of States / Union Territories.

6.1 (ख) महत्वपूर्ण उद्योगों के अनुसार औद्योगिक क्षतियों उनकी आपात एवं आवृत्ति दर (समूहनुसार)

6.1 (b) Industrial Injuries, their Incidence and Frequency Rates by Important Industries (by groups)

उद्योग रा० औ० व० Industry NIC 2008	क्षतियों की संख्या Number of injuries		आपात दर (प्रति हजार नियोजित कर्मकार) Incidence rate (per thousand workers employed)		क्षतियों की संख्या (प्रति हजार कर्मकार दिवस) Frequency Rate (per one lakh mandays worked)	
	घातक Fatal	अघातक Non- Fatal	घातक Fatal	अघातक Non- Fatal	घातक Fatal	अघातक Non- Fatal
	1	2	3	4	5	6
			2012			
01	3	6	0.02	0.05	0.06	0.11
02	1	-	6.25	-	-	-
05	2	3	0.58	0.86	0.28	0.42
07	-	1	-	1.21	-	4.33
08	6	1	0.49	0.08	0.57	0.1
10	99	495	0.11	0.57	0.12	0.59
11	6	32	0.08	0.41	0.07	0.35
12	1	7	0.03	0.23	0.03	0.18
13	37	1012	0.05	1.3	0.06	1.64
14	7	7	0.02	0.02	0.03	0.03
15	3	20	0.02	0.14	0.05	0.35

6 दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं अनुपस्थिति 6 ACCIDENTS, SAFETY AND ABSENTEEISM

सारणी 6.1 (ख)
Table 6.1 (b)

1	2	3	4	5	6	7
16	3	36	0.03	0.34	0.06	0.72
17	21	145	0.14	0.98	0.16	1.11
18	1	11	0.01	0.09	0.01	0.1
19	6	33	0.1	0.55	0.08	0.42
20	94	468	0.23	1.14	0.21	1.04
21	19	111	0.1	0.58	0.06	0.32
22	13	181	0.04	0.55	0.04	0.57
23	39	115	0.06	0.19	0.09	0.25
24	130	373	0.26	0.74	0.18	0.51
25	52	248	0.1	0.47	0.09	0.43
26	5	41	0.03	0.27	0.03	0.28
27	7	114	0.03	0.53	0.02	0.39
28	8	285	0.02	0.84	0.02	0.57
29	6	45	0.02	0.13	0.01	0.09
30	17	219	0.1	1.29	0.07	0.89
32	17	223	0.13	1.69	0.14	1.83
33	1	310	0.02	5.74	0.01	3.02
35	54	257	0.33	1.55	0.25	1.2
36	-	1	-	0.06	-	0.11
45	7	191	0.03	0.83	0.04	0.98
46	5	23	0.75	3.46	0.42	1.95
47	1	2	0.06	0.12	0.05	0.09
52	-	3	-	0.12	-	0.1
58	-	1	-	0.25	-	0.12
59	-	3	-	1.38	-	1.84

सारणी 6.1 (ख)
Table 6.1 (b)

84	3	51	14.35	244.02	-	-
94	8	13	-	-	-	-
योग Total	682	5087	0.09	0.69	0.09	0.66
2013						
01	-	1	-	0.01	-	0.03
05	1	-	0.27	-	0.15	-
07	1	1	0.78	0.78	279.33	279.33
08	3	-	0.26	-	0.28	-
10	38	296	0.07	0.57	0.09	0.7
11	1	15	0.02	0.3	0.02	0.26
12	1	6	0.04	0.26	0.03	0.18
13	66	455	0.25	1.74	0.3	2.06
15	2	6	0.05	0.14	-	-
16	1	21	0.01	0.29	0.04	0.87
17	14	35	0.24	0.59	0.18	0.44
19	40	21	0.56	0.3	0.71	0.37
20	36	161	0.25	1.12	0.17	0.78
21	13	21	0.12	0.19	0.06	0.1
22	13	41	0.1	0.33	0.08	0.27
23	48	239	0.1	0.48	0.14	0.71
24	101	173	0.23	0.39	0.19	0.33
25	16	41	0.07	0.18	0.07	0.19
26	1	1	0.02	0.02	0.02	0.02
27	5	28	0.05	0.27	0.03	0.19

सारणी 6.1 (ख)
Table 6.1 (b)

28	4	9	0.02	0.05	0.02	0.05
29	7	19	0.08	0.22	0.01	0.03
30	4	80	0.05	1.08	0.04	0.85
31	2	22	0.12	1.37	0.5	5.5
32	10	87	0.34	2.96	0.41	3.56
33	10	100	0.66	6.58	0.38	3.78
35	47	65	0.46	0.63	0.27	0.37
41	2	-	60.61	-	39.94	-
45	6	4	0.07	0.05	0.07	0.05
52	1	3	0.05	0.14	0.03	0.1
योग Total	494	1951	0.14	0.53	0.08	0.3

स्त्रोत : श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

टिप्पणी : 1. घातक और अघातक क्षतियों की दरों के योग से कुल क्षतियों की दर प्राप्त होती है। क्षतियों की संख्या (घातक और अघातक) दुर्घटना की सूचना पर आधारित है, जबकि आपात दर कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत प्राप्त वार्षिक विवरणियां में रिपोर्ट की गई क्षतियों के आधार पर निकाली गई है।

Note : 1. The number of injuries (fatal and non-fatal) have been worked out on the basis of notices of accidents whereas the incidence rate has been worked out on the basis of injuries reported in the annual returns received under the Factories Act, 1948

उद्योग संकेतों का विवरण कृपया अनुबन्ध में देखें।

For details of Industry codes please see Annexure

6.2 राज्यवार प्रत्यक्ष रूप में नियोजित नियमित श्रमिकों की अनुपस्थिती की दरें
6.2 State-wise Absenteeism rates amongst directly employed regular workers

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	प्रत्यक्ष रूप में नियमित कर्मकारों को नियुक्त करने वाले कारखानों की संख्या No. of factories repor- ting directly employed regular workers	अनुपस्थिति सूचित करने वाले कारखानों की प्रतिशतता Percentage of factories reporting absenteeism	कार्य हेतु अनुसूचित मानव दिवस (000' में) Mandays scheduled to work (in 000's)	State/ Union Territory
1	2	3	4	1
2010				
जम्मू एवं कश्मीर	547	99.45	4672	J & K
हिमाचल प्रदेश	1647	99.51	27703	H. P.
पंजाब	6730	95.72	87501	Punjab
चण्डीगढ़	244	98.77	2308	Chandigarh
उत्तरांचल	1287	99.22	18220	Uttaranchal
हरियाणा	2580	99.30	44308	Haryana
दिल्ली	1821	99.73	14326	Delhi
राजस्थान	4605	99.41	58978	Rajasthan
उत्तर प्रदेश	7186	99.65	77689	U. P.
बिहार	804	98.38	4858	Bihar
सिक्कम	19	94.74	317	Sikkim
नागालैंड	63	93.65	301	Nagaland
मणिपुर	33	96.97	335	Manipur
त्रिपुरा	34	88.24	274	Tripura
मेघालय	69	98.55	677	Meghalaya

सारणी 6.2
Table 6.2

1	2	3	4	1
असम	1320	94.02	9986	Assam
पश्चिम बंगाल	4658	98.69	73371	West Bengal
झारखण्ड	737	98.37	17498	Jharkhand
ओडिशा	932	98.5	7908	Odisha
छत्तीसगढ़	978	99.9	12155	Chhattisgarh
मध्य प्रदेश	1434	98.88	19931	M. P.
गुजरात	8528	99.07	117161	Gujarat
दमन एवं दीव	467	100	6656	Daman & Diu
दादर एवं नगर हवेली	507	99.8	5397	D & N Haveli
महाराष्ट्र	7852	98.40	93901	Maharashtra
आंध्र प्रदेश	13633	95.55	99682	A. P.
कर्नाटक	4833	98.24	73139	Karnataka
केरल	3156	99.02	38197	Kerala
तमिल नाडु	17014	98.78	250974	Tamil Nadu
पुडुचेरी	417	99.52	6017	Puducherry
अ० एवं नि० द्वीप समूह	9	100	77	A & N Islands
अखिल भारत	94142	98.16	1174518	All India
सार्वजनिक	1046	99.43	51724	Public
निजी	93096	98.15	1122795	Private

सारणी 6.2

Table 6.2

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	अनुपस्थिति के कारण मानव दिवसों की हानि (000' में) Mandays lost due to absence (in 000's)	वर्ष के दौरान अनुपस्थिति की प्रतिशतता Percentage of Absenteeism during the year		State/Union Territory
		2010	2009	
		1	5	
जम्मू एवं कश्मीर	301	6.44	4.80	J & K
हिमाचल प्रदेश	2819	10.18	13.09	H. P.
पंजाब	7905	9.03	11.74	Punjab
चण्डीगढ़	164	7.09	12.98	Chandigarh
उत्तरांचल	1523	8.36	7.59	Uttaranchal
हरियाणा	4499	10.15	11.05	Haryana
दिल्ली	1958	13.67	12.27	Delhi
राजस्थान	5056	8.57	9.80	Rajasthan
उत्तर प्रदेश	6848	8.81	10.18	U. P.
बिहार	267	5.49	5.16	Bihar
सिक्किम	7	2.36	0.97	Sikkim
नागालैंड	2	0.73	1.00	Nagaland
मणिपुर	18	5.23	1.51	Manipur
त्रिपुरा	8	2.82	1.87	Tripura
मेघालय	26	3.85	5.63	Meghalaya

सारणी 6.2

Table 6.2

1	5	6	7	1
असम	443	4.44	4.94	Assam
पश्चिम बंगाल	6176	8.42	8.72	West Bengal
झारखण्ड	562	3.21	5.76	Jharkhand
ओडिशा	511	6.46	6.34	Odisha
छत्तीसगढ़	810	6.67	5.90	Chhattisgarh
मध्य प्रदेश	1039	5.21	6.29	M. P.
गुजरात	8522	7.27	8.54	Gujarat
दमन एवं दीव	502	7.54	8.72	Daman & Diu
दादर एवं नगर हवेली	479	8.88	6.71	D & N Haveli
महाराष्ट्र	10318	10.99	11.22	Maharashtra
आंध्र प्रदेश	5296	5.31	6.05	A. P.
कर्नाटक	6193	8.47	7.88	Karnataka
केरल	4800	12.57	13.53	Kerala
तमिल नाडु	15355	6.12	6.26	Tamil Nadu
पुडुचेरी	290	4.82	6.01	Puducherry
अ० एवं नि० द्वीप समूह	11	14.52	11.47	A & N Islands
अखिल भारत	92710	7.89	8.75	All India
सार्वजनिक	4561	8.82	8.82	Public
निजी	88148	7.85	8.79	Private

सारणी 6.2
Table 6.2

1	2	3	4	1
राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	प्रत्यक्ष रूप में नियमित कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले कारखानों की संख्या No. of factories repor- ting directly employed regular workers	अनुपस्थिति सूचित करने वाले कारखानों की प्रतिशतता Percentage of factories reporting absenteeism	कार्य हेतु अनुसूचित मानव दिवस (000' में) Mandays scheduled to work (in 000's)	State/ Union Territory
2011				
जम्मू एवं कश्मीर	697	97.27	6032	J & K
हिमाचल प्रदेश	2071	97.2	29595	H. P.
पंजाब	6750	95.63	95226	Punjab
चण्डीगढ़	204	97.06	2075	Chandigarh
उत्तरांचल	2166	98.85	39405	Uttaranchal
हरियाणा	3452	97.19	53605	Haryana
दिल्ली	2181	98.35	19478	Delhi
राजस्थान	4226	96.36	44432	Rajasthan
उत्तर प्रदेश	8896	98.47	101863	U. P.
बिहार	992	90.22	5153	Bihar
सिक्किम	25	100	210	Sikkim
नागालैंड	52	94.23	256	Nagaland
मणिपुर	19	100	129	Manipur
त्रिपुरा	33	93.94	211	Tripura
मेघालय	21	80.95	317	Meghalaya

सारणी 6.2
Table 6.2

1	2	3	4	1
असम	1582	94.56	13550	Assam
पश्चिम बंगाल	4843	97.34	85837	West Bengal
झारखण्ड	1024	97.75	27371	Jharkhand
ओडिशा	1654	96.86	26065	Odisha
छत्तीसगढ़	1486	98.92	15525	Chhattisgarh
मध्य प्रदेश	1962	98.37	30572	M. P.
गुजरात	11555	98.51	142403	Gujarat
दमन एवं दीव	956	98.64	14737	Daman & Diu
दादर एवं नगर हवेली	703	99.72	9996	D & N Haveli
महाराष्ट्र	13236	98.28	170810	Maharashtra
आंध्र प्रदेश	13403	97.46	102661	A. P.
कर्नाटक	6544	97.33	132068	Karnataka
गोवा	394	98.22	6607	Goa
केरल	3591	98.89	49264	Kerala
तमिल नाडु	17424	98.86	281242	Tamil Nadu
पुडुचेरी	530	94.53	8326	Puducherry
अ० एवं नि० द्वीप समूह	12	91.67	93	A & N Islands
अखिल भारत	112684	97.80	1515114	All India
सार्वजनिक	1357	97.27	75285	Public
निजी	111327	97.81	1439828	Private

सारणी 6.2

Table 6.2

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	अनुपस्थिति के कारण मानव दिवसों की हानि (000' में) Mandays lost due to absence (in 000's)	वर्ष के दौरान अनुपस्थिति की प्रतिशतता Percentage of Absenteeism during the year		State/Union Territory
		2011	2010	
		1	5	
जम्मू एवं कश्मीर	344	5.71	6.44	J & K
हिमाचल प्रदेश	2875	9.72	10.18	H. P.
पंजाब	9507	9.98	9.03	Punjab
चण्डीगढ़	118	5.67	7.09	Chandigarh
उत्तरांचल	3306	8.39	8.36	Uttaranchal
हरियाणा	5870	10.95	10.15	Haryana
दिल्ली	2810	14.42	13.67	Delhi
राजस्थान	4060	9.14	8.57	Rajasthan
उत्तर प्रदेश	9386	9.21	8.81	U. P.
बिहार	271	5.25	5.49	Bihar
सिक्किम	4	1.96	2.36	Sikkim
नागालैंड	1	0.55	0.73	Nagaland
मणिपुर	7	5.8	5.23	Manipur
त्रिपुरा	2	0.87	2.82	Tripura
मेघालय	8	2.67	3.85	Meghalaya
असम	718	5.3	4.44	Assam

सारणी 6.2
Table 6.2

1	5	6	7	1
पश्चिम बंगाल	7235	8.43	8.42	West Bengal
झारखण्ड	1999	7.3	3.21	Jharkhand
ओडिशा	2451	9.4	6.46	Odisha
छत्तीसगढ़	812	5.23	6.67	Chhattisgarh
मध्य प्रदेश	2032	6.65	5.21	M. P.
गुजरात	11460	8.05	7.27	Gujarat
दमन एवं दीव	1520	10.32	7.54	Daman & Diu
दादर एवं नगर हवेली	847	8.48	8.88	D & N Haveli
महाराष्ट्र	18902	11.07	10.99	Maharashtra
आंध्र प्रदेश	5789	5.64	5.31	A. P.
कर्नाटक	12895	9.76	8.47	Karnataka
गोवा	664	10.05	0.00	Goa
केरल	5924	12.02	12.57	Kerala
तमिल नाडु	19866	7.06	6.12	Tamil Nadu
पुडुचेरी	3221	38.68	4.82	Puducherry
अ० एवं नि० द्वीप समूह	9	9.88	14.52	A & N Islands
अखिल भारत	134913	8.90	7.89	All India
सार्वजनिक	6098	8.10	8.82	Public
निजी	128815	8.95	7.85	Private

स्त्रोत : श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

7 सामाजिक सुरक्षा

7 SOCIAL SECURITY

7.1 कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति क्षतियों की संख्या एवं क्षतिपूर्ति के लिए दी गई धन राशि

7.1 Number of Compensated Injuries and Amount of Compensation paid under the Employees' Compensation Act, 1923

	2011	2012	2013	
क्षतिपूर्ति क्षतियों की संख्या				Number of compensated injuries
क) मृत्यु	2055	2592	2756	a) Death
ख) स्थायी विकलांगता	2170	2676	3078	b) Permanent disablement
ग) अस्थायी विकलांगता	1022	1086	1658	c) Temporary disablement
कुल	5247	6354	7492	Total
क्षतिपूर्ति के लिये दी गई धन राशि (रुपये लाख में)				Amount of compensation paid (Rs. In lakh)
क) मृत्यु	6865.08	10078.63	12392.95	a) Death
ख) स्थायी विकलांगता	4130.03	3852.00	4034.87	b) Permanent disablement
ग) अस्थायी विकलांगता	285.38	631.68	696.18	c) Temporary disablement
कुल	11280.49	14562.31	17124.00	Total

स्रोत : श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

आंकड़े केवल उत्तर देने वाले राज्यों से संबन्धित हैं।
The data relate to the responding States only.

7.2 मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत दिए गए मातृत्व लाभ
7.2 Maternity Benefits paid under the Maternity
Benefit Act, 1961

	2012	2013	
1	2	3	1
कारखाने			Factories
(क) नियोजित महिलाओं की संख्या	568286	293494	a) No. of women employed
(ख) दावे (संख्या)	2441	1440	b) Claims (number)
(ग) प्रदत्त			c) Paid :
(i) संख्या	2308	1551	i) Number
(ii) धन राशी (रुपये लाख में)	2205.76	928.31	ii) Amount (Rs. In akhs)
बागान			Plantations
(क) नियोजित महिलाओं की संख्या	159812	185115	a) No. of women employed
(ख) दावे (संख्या)	21988	26083	b) Claims (number)

सारणी 7.2
Table 7.2

1	2	3	1
(ग) प्रदत्त			c) Paid :
i) संख्या	459657	38814	i) Number
ii) धन राशी (रुपये लाख में)	439.36	616.23	ii) Amount (Rs.in lakhs)
अन्य			Others
(क) नियोजित महिलाओं की संख्या	286777	132478	a) No. of women employed
(ख) दावे (संख्या)	1716	1676	b) Claims (number)
(ग) प्रदत्त			c) Paid :
i) संख्या	1141	1434	i) Number
ii) धन राशी (रुपये लाख में)	282.50	80.49	ii) Amount (Rs.in lakhs)

स्त्रोत : श्रम ब्यूरो
Source : Labour Bureau

8.1 भिन्न-भिन्न देशों में चयनित मुख्य उद्योग समूहों में नियोजन
(आर्थिक क्रियाशीलता के अनुसार) ('000 में)8.1 Employment in Selected Major Groups of Industries in
Different Countries (by Economic Activity) (in 000's)

खनन और खदान Mining & Quarrying			
देश	2014	2015	Country
अफ्रीका			Africa
मोरिशियस	244+	233+	Mauritius+
अमेरिका			America
कैनेडा	Canada
संयुक्त राष्ट्र	United States
एशिया			Asia
भारत	India
जापान	Japan
पाकिस्तान	Pakistan
श्री लंका	Sri Lanka
यूरोप			Europe
फ्रांस	France
जर्मनी	11+	10+	Germany
इटली	Italy
स्लोवाकिया	3+	3+	Slovakia
ब्रिटेन	3+	3+	United Kingdom
ओशेनिया			Oceania
आस्ट्रेलिया	Australia
न्यूजीलैंड	77+	69+	New Zealand

सारणी 8.1
Table 8.1

चिनिमाण			
Manufacturing			
देश	2014	2015	Country
अफ्रीका			Africa
मोरिशियस	74+	77+	Mauritius
अमेरिका			America
कैनेडा	Canada
संयुक्त राष्ट्र	United States
एशिया			Asia
भारत	India
जापान	..	10620+	Japan
पाकिस्तान	Pakistan
श्री लंका	1535+	..	Sri Lanka
यूरोप			Europe
फ्रांस	3211+	3225+	France
जर्मनी	7808+	7759+	Germany
इटली	4134+	4122+	Italy
स्लोवाकिया	550+	598+	Slovakia
ब्रिटेन	3007+	2994+	United Kingdom
ओशेनिया			Oceania
आस्ट्रेलिया	Australia
न्यूजीलैंड	251+	264+	New Zealand

8 अन्तर्राष्ट्रीय तुलना

8 INTERNATIONAL
COMPARISON

सारणी 8.1

Table 8.1

परिवहन, भंडारण एवं संचार	Transport, Storage & Communication%		
देश	2014	2015	Country
अफ्रीका			Africa
मोरिशियस	274+	33+	Mauritius
अमेरिका			America
कैनेडा	Canada
संयुक्त राष्ट्र	United States
एशिया			Asia
भारत	India
जापान	..	3660+	Japan
पाकिस्तान	Pakistan
श्री लंका	528+	..	Sri Lanka
यूरोप			Europe
फ्रांस	1430+	1475+	France
जर्मनी	1924+	1958+	Germany
इटली	1039+	1033+	Italy
स्लोवाकिया	152+	161+	Slovakia
ब्रिटेन	1475+	1557+	United Kingdom
ओशेनिया			Oceania
ऑस्ट्रेलिया	Australia
न्यूजीलैंड	104+	101+	New Zealand

स्त्रोत : आई एल ओ वेबसाइट (डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू आई एल ओ ओआरजी)
Source : ILO website(www.ilo.org)

+ अन्तरराष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण संशोधन 4 + ISIC Rev 4

% अन्तरराष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण संशोधन 4 = परिवहन एवं भंडारण पर आधारित आंकड़े
% data based on ISIC Rev 4= Transport & Storage

8 अन्तर्राष्ट्रीय तुलना

8 INTERNATIONAL
COMPARISON8.2 चुने हुए देशों में विनिर्माण में कर्मचारियों का औसत माहवार अभिहित
उर्पाजन (स्थानीय मुद्रा) (आर्थिक क्रियाशीलता के अनुसार)8.2 Mean Nominal monthly Earning of Employees in Manufacturing in
Selected Countries (local Currency) (by Economic Activity)

देश	2014	2015	Country
अफ्रीका			Africa
मोरिशियस	..	14400+	Mauritius
मिस्र	Egypt
अमेरीका			America
कैनेडा	978	991	Canada
संयुक्त राष्ट्र	United States
एशिया			Asia
भारत	India
जापान	291400+	293800+	Japan
श्रीलंका	18372+	..	Sri Lanka
पाकिस्तान	Pakistan
यूरोप			Europe
स्लोवाकिया	992+	1026+	Slovakia
फ्रांस	France
ब्रिटेन	..	2580+	United Kingdom
जर्मनी	4236+	4375+	Germany
ओशेनिया			Oceania
आस्ट्रेलिया	35+	..	Australia
न्यूजीलैंड	4920+	5040++	New Zealand

स्त्रोत : आई एल ओ वैबसाइट (डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू आई एल ओ ओआरजी)

Source : ILO website(www.ilo.org)

+ अन्तरराष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण संशोधन 4

+ International Standard Industrial Classification Rev 4

8.3 चुने हुए देशों में औद्योगिक विवाद

(आर्थिक क्रियाशीलता के अनुसार)

8.3 Industrial Disputes in Selected Countries
(By Economic Activity)

देश Country	विवादों की संख्या No. of disputes		अन्तर्ग्रस्त कर्मकार Workers involved++		अकार्य दिवस Days not worked	
1	2	3	4	5	6	7
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
अफ्रीका Africa						
मोरिशियस Mauritius	..	12	..	3+	..	5939+
अमेरिका America						
कैनेडा Canada	154^	237^	80^	434^	1713090^	1820273^
संयुक्त राष्ट्र United states	11+	12+	34+	47+	200200+	740000+
एशिया Asia						
भारत India	143+	150+	1015+	472+	3601863+	2334098+
जापान Japan
मलेशिया Malaysia	0	0	0	0	0	0
पाकिस्तान Pakistan
फिलिपाइन्स Philippines	2+	5+	51+	1+	1260+	4882+
श्रीलंका Sri Lanka	38+	..	6+	..	37323+	..
यूरोप Europe						

सारणी 8.3
Table 8.3

1	2	3	4	5	6	7
स्लोवाकिया Slovakia	..	1	..	4+	..	1+
इटली Italy
स्विट्जरलैण्ड Switzerland	8+	13+	2+	..	4185+	13274+
ब्रिटेन United Kingdom	155+	106+	733+	81+	788300+	169600+
जर्मनी Germany	637+	1618+	58+	230+	154745+	1092121+
ओशेनिया Oceania						
ऑस्ट्रेलिया Australia	..	228+	..	73+	..	83+
न्यूजीलैंड New Zealand

स्त्रोत : आई एल ओ वेबसाइट (उक्त्यु उक्त्यु आई एल ओ ओआरजी)
Source : ILO website(www.ilo.org)

+ अन्तर्राष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण संशोधन 4

+ International Standard Industrial Classification Rev 4

++ = हजारों में ++ = thousands

^ अन्तर्राष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण संशोधन 3

^ International Standard Industrial Classification Rev 3

8.4 चुने हुए देशों में व्यवसायिक घातक क्षति प्रति 1,00,000 नियोजित
कर्मकार (प्रतिशत) (आर्थिक किमग्राशीलता के अनुसार)

8.4 Fatal Occupational Injuries in Selected Countries per 1,00,000
workers employed (percentage)
(By Economic Activity)

देश	खनन एवं खदान		Country
	Mining & quarrying		
	2014	2015	
1	2	3	4
मिस्र	Egypt
ट्यूनिशिया	Tunisia
कनैडा	5.9^	..	Canada
संयुक्त राष्ट्र	14.2+	..	United states
भारत	India
जापान	Japan
श्री लंका	Sri Lanka
पाकिस्तान	Pakistan
फिलिपाइन्स	Philippines
इटली	Italy
पोलैंड	15.2+	15.2+	Poland
स्लोवाकिया	..	0+	Slovakia
ब्रिटेन	..	1.4+	United Kingdom
ऑस्ट्रेलिया	4.1^	4.7^	Australia

सारणी 8.4
Table 8.4

	वर्गिमाण Manufacturing		
	2014	2015	
1	2	3	4
मिस्र	Egypt
ट्यूनिसिया	Tunisia
कनैडा	0.3^	..	Canada
संयुक्त राष्ट्र	2.3+	..	United states
भारत	India
जापान	Japan
श्री लंका	Sri Lanka
पाकिस्तान	Pakistan
फिलिपाइन्स	Philippines
इटली	Italy
पोलैंड	2.2+	2.2+	Poland
स्लोवाकिया	..	1.6+	Slovakia
ब्रिटेन	..	0.6+	United Kingdom
आस्ट्रेलिया	1.5^	1.3^	Australia

स्रोत : आई एल ओ वेबसाइट (उच्च उच्च उच्च आई एल ओ ओआरजी)
Source : ILO website(www.ilo.org)

+ अन्तर्राष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण संशोधन 4

+ International Standard Industrial Classification Rev 4

^ अन्तर्राष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण संशोधन3

^ International Standard Industrial Classification Rev 3

8.5 राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक- वार्षिक औसत परिवर्तन दर
(सामान्य) (प्रतिशत)8.5 National Consumer Prices Index- Annual average rate of change
(General) (percentage)

देश	2009	2010	2011	Country
1	2	3	4	1
अफ्रीका				Africa
घाना	19.2	10.7	..	Ghana
मिस्र	11.8	..	10.1	Egypt
मोरिशियस	2.5	2.9	..	Mauritius
अमेरिका				America
अर्जेंटाइना	6.4	10.3	9.8	Argentina
कनाडा	0.3	1.8	2.9	Canada
संयुक्त राष्ट्र				United States
एशिया				Asia
भारत +	10.6	12	9.1	India+
जापान	-1.4	-0.7	..	Japan
मलेशिया	0.6	1.7	3.2	Malaysia
पाकिस्तान	13.6	13.9	..	Pakistan
फिलीपाइन्स	3.2	3.8	..	Phillippines
श्रीलंका	3.4	5.9	..	Sri Lanka
यूरोप				Europe
स्लोवाकिया	1.6	0.9	3.9	Slovakia
फ्रांस	0.1	1.5	2.1	France

सारणी 8.5
Table 8.5

1	2	3	4	1
जर्मनी	0.4	1.1	2.3	Germany
इटली	0.7	1.5	2.8	Italy
पोलैंड	3.5	2.6	4.3	Poland
स्विटजरलैंड	-0.5	0.7	0.3	Switzerland
ब्रिटेन	-0.5	4.6	5.2	United Kingdom
ओशेनिया				Oceania
आस्ट्रेलिया	1.8	2.9	3.4	Australia
न्यूजीलैंड	2.1	2.3	..	New Zealand

स्त्रोत : आई एल ओ वेबसाइट (डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू आई एल ओ ओआरजी)

Source : ILO website(www.ilo.org)

+ औद्योगिक श्रमिक

+ Industrial Workers

9 भारत द्वारा अनुसमर्थित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय

9 INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION
CONVENTIONS RATIFIED BY INDIA

क्र० सं० Sl. No	अभिसमय शीर्षक एवं संख्या No. & Title of Convention	अनुसमर्थन के पंजियन की तिथि Date of Registration of Ratification
1	2	3
1	सं० 1 कार्य के घंटे (उद्योग) अभिसमय, 1919 No. 1 Hours of Work (Industry) Convention, 1919	14-07-1921
2+	सं०. 2, बेरोजगारी अभिसमय, 1919 No. 2, Unemployment Convention, 1919	14-07-1921
3	सं० 4 रात्रि-कार्य (महिलाएं) अभिसमय, 1919 No. 4, Night Work (Women) Convention, 1919	14-07-1921
4	सं० 5 न्यूनतम आयु (उद्योग) अभिसमय, 1919 No. 5 Minimum Age (Industry) Convention, 1919	09-09-1955
5	सं० 6 तरुण व्यक्तियों का रात्रि-कार्य (उद्योग) अभिसमय, 1919 No. 6, Night Work of Young Persons (Industry) Convention, 1919	14-07-1921

9 भारत द्वारा अनुसमर्थित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय

9 INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION
CONVENTIONS RATIFIED BY INDIA

1	2	3
6	सं० 11 संघ बनाने का अधिकार (कृषि), अभिसमय, 1921 No. 11 Right of Association (Agriculture) Convention, 1921	11-05-1923
7	सं० 14 साप्ताहिक विश्राम (उद्योग) अभिसमय, 1921 No. 14, Weekly Rest (Industry) Convention, 1921	11-05-1923
8	सं० 15 न्यूनतम आयु (ट्रिमर्स एवं स्टोकर्स) अभिसमय, 1921 No. 15, Minimum Age (Trimmers and Stokers) Convention, 1921	20-11-1922
9	सं० 16 तरुण व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच (समुद्र) अभिसमय, 1921 No. 16, Medical Examination of Young Persons (Sea) Convention, 1921	20-11-1922
10	सं० 18 कर्मकार क्षतिपूर्ति (व्यावसायिक रोग) अभिसमय, 1925 No.18, Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention, 1925	30-09-1927

9 भारत द्वारा अनुसमर्थित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय

9 INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION
CONVENTIONS RATIFIED BY INDIA

1	2	3
11	सं० 19 व्यवहार की समानता (दुर्घटना क्षतिपूर्ति) अभिसमय, 1925 No. 19, Equality of Treatment (Accident Compensation), 1925	30-09-1927
12	सं० 21 प्रवासी निरीक्षण अभिसमय, 1926 No. 21, Inspection of Emigrants Convention, 1926	14-01-1928
13	सं० 22 नाविकों के अनुबन्ध संबंधी अन्तर्नियम अभिसमय, 1926 No. 22, Seamen's Articles of Agreement Convention, 1926	31-10-1932
14	सं० 26 न्यूनतम मजदूरी नियतन तन्त्र अभिसमय, 1928 No. 26, Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928	10-01-1955
15	सं० 27 भार अंकित करना (जलयानों द्वारा वहित संवेष्ट पैकेज) अभिसमय, 1929 No. 27, Marking of Weight (Packages Transported by Vessels) Convention, 1929	07-09-1931

9 भारत द्वारा अनुसमर्थित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय

9 INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION
CONVENTIONS RATIFIED BY INDIA

1	2	3
16	सं० 29 श्रम बेगार अभिसमय, 1930 No. 29, Forced Labour Convention, 1930	30-11-1954
17	सं० 32 दुर्घटनाओं से संरक्षण (गोदी मजदूर) अभिसमय, (संशोधित), 1932 No. 32, Protection Against Accidents (Dockers) Convention (Revised), 1932	10-02-1947
18 ++	सं० 41 रात्रि कार्य (महिलाएं) अभिसमय, (संशोधित), 1934 No. 41, Night Work (Women) Convention (Revised), 1934	22-11-1935
19	सं० 42 कर्मकार क्षतिपूर्ति (व्यावसायिक रोग) अभिसमय, (संशोधित), 1934 No. 42, Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention (Revised), 1934	13-01-1964
20	सं० 45 सतह के नीचे कार्य (महिलाएं) अभिसमय, 1935 No. 45, Underground Work (Women) Convention, 1935	25-03-1938

9 भारत द्वारा अनुसमर्थित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय

9 INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION
CONVENTIONS RATIFIED BY INDIA

1	2	3
21	सं० 80 निर्णायक अन्तर्निर्णय संशोधन अभिसमय, 1946 No. 80 Final Articles Revision Convention, 1946	17-11-1947
22&	सं० 81 श्रम निरीक्षण अभिसमय, 1947 No. 81, Labour Inspection Convention, 1947	07-04-1949
23	सं० 88 रोजगार सेवा अभिसमय, 1948 No. 88, Employment Service Convention, 1948	24-06-1959
24	सं० 89 रात्रि कार्य (महिलाएं) अभिसमय, (संशोधित), 1948 No. 89, Night Work (Women) Convention (Revised), 1948	27-02-1950
25	सं० 90 तरुण व्यक्तियों का रात्रि कार्य (उद्योग) अभिसमय, (संशोधित), 1948 No. 90, Night Work of Young Persons (Industry) Convention (Revised), 1948	27-02-1950

9 भारत द्वारा अनुसमर्थित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय

9 INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION
CONVENTIONS RATIFIED BY INDIA

1	2	3
26	सं० 100 समान पारिश्रमिक अभिसमय, 1951 No. 100, Equal Remuneration Convention, 1951	25-09-1958
27	सं० 105 बेगार उन्मूलन, 1957 No.105 Abolition of Forced Labour, 1957	18-05-2000
28	सं० 107 देशी एवं जनजातीय जनसंख्या, अभिसमय, 1957 No. 107 Indigenous and Tribal Population Convention, 1957	29-09-1958
29	सं० 108 समुद्रयात्री (नाविक) पहचान दस्तावेज अभिसमय, 1958 No. 108 Seafarers Identify Document Convention 1958	17-01-2005
30	सं० 111 भेदभाव (रोजगार एवं व्यवसाय) अभिसमय, 1958 No. 111, Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958	03-06-1960
31	सं० 115 विकिरण संरक्षण अभिसमय, 1960 No. 115, Radiation Protection Convention, 1960	17-11-1975

9 भारत द्वारा अनुसमर्थित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय

9 INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION
CONVENTIONS RATIFIED BY INDIA

1	2	3
32	सं० 116 निर्णायक अन्तर्निर्णय संशोधन अभिसमय, 1961 No. 116 Final Articles Revision Convention, 1961	21-06-1962
33#	सं० 118 व्यवहार की समानता (सामाजिक सुरक्षा) अभिसमय, 1962 No. 118, Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962	19-08-1964
34	सं० 122 रोजगार नीति अभिसमय, 1964 No. 122, Employment Policy Convention, 1964	17-11-1998
35\$\$	सं० 123 न्यूनतम आयु (सतह के नीचे कार्य) अभिसमय, 1965 No. 123, Minimum Age (Under-ground Work) Convention, 1965	20-03-1975
36	सं० 136 बेन्जीन अभिसमय, 1971 No. 136, Benzene Convention, 1971	11-06-1991
37	सं० 141 ग्रामीण कर्मकार संगठन, अभिसमय, 1975 No. 141, Rural Workers' Organisation Convention, 1975	18-08-1977

9 भारत द्वारा अनुसमर्थित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय

9 INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION
CONVENTIONS RATIFIED BY INDIA

1	2	3
38	सं० 144 त्रिपक्षीय परामर्श (अन्तर्राष्ट्रीय श्रम मानक) अभिसमय, 1976 No. 144, Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976	27-02-1978
39	सं० 147 व्यापारी पोत परिवहन (न्यूनतम मानक) अभिसमय, 1976 No. 147 Merchant Shipping (Minimum Standard) Convention, 1976	26-09-1996
40**	सं० 160 श्रम सांख्यिकी अभिसमय, 1985 No. 160, Labour Statistics Convention, 1985	01-04-1992
41	सं० 174 बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं की रोकथाम No. 174 Prevention of Major Industrial Accidents	06-06-2008
42	सं० 142 मानव संसाधन विकास No. 142 Human Resources Development	25-03-2009
43	सं० 127 अधिकतम भार No. 127 Maximum Weight	26-03-2010

9 भारत द्वारा अनुसमर्थित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय

9 INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION
CONVENTIONS RATIFIED BY INDIA

1	2	3
प्रोटोकाल 1 Protocol 1	पी 89 रात्रि कार्य (महिला) का 1990 का प्रोटोकॉल अभिसमय, (संशोधित) 1948 P 89 Protocol of 1990 to the Night Work (Women) Convention (Revised), 1948	21-11-2003
44	सं० 185 समुद्री यात्रा (नाविक) पहचान दस्तावेज अभिसमय (संशोधित) 2003 No 185 Seafarers' Identity Documents Convention (Revised), 2003	09-10-2015
MLC%	समुद्री श्रम अभिसमय, 2006 (एम एल सी 2006) Martime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006)	

+ बाद में समाप्त कर दिया गया। अभिसमय के तहत बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों को प्रत्येक तिमाही में आन्तरिक तौर पर प्रस्तुत करना आवश्यक है जिसे व्यवहार्य नहीं समझा जाता।

+ Later denounced. The convention requires, internal furnishing of Statistics concerning unemployment every three months which is considered not practicable.

++ अभिसमय, संख्या 89 के अनुसमर्थन के फलस्वरूप परिवर्तन समाप्त
++ Convention denounced as a result of ratification of Convention No. 89
& भाग II को छोड़कर
& Excluding Part II

9 भारत द्वारा अनुसमर्थित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय

9 INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION
CONVENTIONS RATIFIED BY INDIA

1	2	3
	# शाखाएं (ग) तथा (घ), तथा शाखाएं (क) से (ग) तथा (झ)	
	# Branches (c) and (g) and branches (a) to (c) and (i)	
	\$\$ प्रारम्भ में न्यूनतम आयु 16 वर्ष निर्धारित की गई थी लेकिन 1989 में इसे 18 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था।	
	\$\$ Minimum age initially specified was 16 years but raised to 18 years in 1989	
	** भाग II का नियम 8	
	** Article 8 of Part II	
	% मानक ए 4.5 (2) एवं (10) के अनुसार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा की निम्नलिखित शाखायें चिन्हित की हैं: मातृत्व लाभ, असमान्यता लाभ, उत्तरजिवित्ता लाभ	
	% In accordance with Standard A4.5(2) and (10), the Government has specified the following branches of social security : maternity benefit; invalidity benefit and survivors' benefit.	

10 वर्तमान श्रम क्रियाकलाप

वर्ष 2015 के दौरान महत्वपूर्ण श्रम कार्यकलापों का अध्याय वार ब्योरा इस प्रकार है।

2 सम्मेलन/बैठकें

2.1 अन्तर्राष्ट्रीय

2.1.1 शासी निकाय का 323वां अधिवेशन

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के 323वें अधिवेशन का आयोजन 12-27 मार्च, 2015 के दौरान जेनेवा में हुआ। शासी निकाय की इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता सचिव, श्रम एवं रोजगार मन्त्रालय ने की।

शासी निकाय के 323वें अधिवेशन के कार्यवृत्त

संस्थागत अनुभाग (आईएनएस)

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (2016) के 105वें अधिवेशन तक एक निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय पर आईएलओ की उद्घोषणा के प्रभाव के मूल्यांकन हेतु तैयारी।

इस कार्यसूची मद पर हस्तक्षेप करते हुए श्रम एवं रोजगार, सचिव ने सामाजिक न्याय उद्घोषणा एवं आईएलओ के शताब्दी-समारोह से संबंधित कार्यकलाप के संबंध में विचार विमर्श किया तथा 2017 के कार्य पर मौलिक सिद्धांत एवं अधिकार के संबंध में तथा 2015 के बाद धारणीय विकास के बीच की कड़ियों को जोड़ने के लिए आईएलओ के दृष्टिकोण की प्रशंसा की ताकि सामाजिक न्याय उद्घोषणा के उद्देश्यों को व्यापक कवरेज दी जा सके।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के कार्यवृत्त (2017-19)

शासी निकाय की अंतिम बैठक में हस्तक्षेप के अनुसरण में भारत ने तीन मद्दों अर्थात् "बदलते वैश्विक परिदृश्य में प्रभावकारी तकनीकी सहयोग" तथा "श्रम प्रवसन" और "कार्य संसार में महिलाओं एवं पुरुषों के खिलाफ हिंसा" पर प्रस्तावों का समर्थन किया।

नीति विकास अनुभाग

अधिक महत्व वाले क्षेत्र: कार्य के अस्वीकार्य प्रारूपों से कामगारों की सुरक्षा इस कार्यवृत्त मद पर भारत सरकार ने कहा कि कामगारों की अस्वीकार्य कार्य से सुरक्षा का उद्देश्य इस संगठन के मौलिक उद्देश्यों के अनुरूप तथा उन सभी प्रकार के कार्यों जो आईएलओ के कार्यक्रम एवं बजट प्रस्ताव 2016-17 द्वारा दिए गए

10 Current Labour Activities

The Chapter presents in brief the important labour activities during the year 2015.

2. CONFERENCES/MEETINGS

2.1 INTERNATIONAL

2.1.1 THE 323rd SESSION OF THE GOVERNING BODY

323rd Session of the Governing Body (GB) of the International Labour Organization was held during 12-27 March 2015 in Geneva. The Indian delegation led by Secretary (L&E) participated in the Governing Body meetings.

Agenda of 323rd Session of Governing Body

Institutional Section (INS)

Preparation for the evaluation of the impact of the ILO Declaration on Social Justice for a fair Globalization by the 105th Session of the International Labour Conference (2016)

While intervening on this agenda item, Secretary (L&E) appreciated ILO's approach to draw linkages between Social Justice Declaration and activities related to the ILO's centenary, the 2017 discussions of Fundamental Principles and Rights at Work (FPRW) and the Post 2015 sustainable development agenda so as to give a broader coverage to the objectives of Social Justice Declaration.

Agenda of the International Labour Conference (2017-19)

In continuation to the intervention in last GB meeting, India supported consideration of proposals on three items "Effective ILO technical cooperation in a changing global context, and "Labour Migration" and "Violence against women and men in the world of work.

Policy Development Section

Area of Critical Importance: protecting workers from unacceptable forms of Work

On this agenda item, Government of India stated that the

10 वर्तमान श्रम क्रियाकलाप

आदर्श कार्यों के मौलिक सिद्धांतों की अवेहलना करते हैं, के उन्मूलन पर दिए जा रहे जोर की प्रशंसा करना है।

2014 में क्षेत्रक तथा तकनीकी बैठकें और 2016 में क्षेत्रक कार्य के लिए प्रस्ताव

इस कार्यवृत्त मद पर अंतःक्षेप करते हुए भारतीय प्रतिनिधि मंडल जिसकी अध्यक्षता सचिव, श्रम एवं रोजगार मन्त्रालय ने की थी, ने वर्णन किया कि क्षेत्रक कार्यकलाप आईएलओ के कार्यों का एक महत्वपूर्ण पहलु है और इसे बदलते समय के अनुसार और अधिक सुसंगत बनाने की आवश्यकता है।

आईएलओ की विकास सहयोग रणनीति 2015-17

भारत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संगठन के धारणीय लक्ष्यों सहित अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की विकास सहयोग रणनीति से कार्यालय के आदर्श कार्य कार्यवृत्त की संख्या में और अधिक मजबूती से सुधार करते हुए एक आदर्श विश्व के बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

अधिक महत्व वाले क्षेत्र: सामाजिक सुरक्षा दायरे का सृजन एवं विस्तार

इस कार्यवृत्त मद पर भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि भारत सरकार संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों के लिए सामाजिक सुरक्षा के लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सरकार आर-202 में समाहित नीतिगत प्रावधानों का सम्मान करती है। सामाजिक सुरक्षा दायरे को भी डीडब्ल्यूसीपी-2017 में देश के प्राथमिक क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है।

कार्यक्रम, वित्तीय तथा प्रशासनिक अनुभाग

भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने शासी निकाय के कार्यक्रम, वित्तीय तथा प्रशासनिक अनुभाग के कार्यवृत्त पर एसपीएजी समूह की ओर से हस्तक्षेप किया जिसमें 2016-17 के कार्यक्रम एवं बजट प्रस्ताव शामिल थे। इसमें नीति परिणामों एवं वृहत वैश्विक विकास कार्यवृत्त के बीच दीर्घावधि संपर्क करने पर जोर दिया गया विशेषकर 2015 के एसडीपी के उपरांत जिसके अन्तर्गत केन्द्र बिन्दु गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन के साथ-साथ जी20 फोरम के स्तर पर विचार-विमर्श की जा रही रोजगार रणनीति थी।

10 Current Labour Activities

objective of protecting workers from unacceptable forms of work is consistent with the fundamental objectives of the Organization and appreciated the emphasis on elimination of all kinds of work that deny fundamental tenets of decent work given by programme and budget proposal 2016-17 of ILO.

Sectoral and Technical meetings in 2014 and proposals for sectoral work in 2016

While intervening on this agenda item, Indian delegation led by Secretary(L&E) mentioned that the Sectoral activities are important aspect of the ILO work and there is a need to make them more relevant in changing times.

ILO's Development Cooperation Strategy 2015-17

India said that aligning development cooperation strategy of ILO with Sustainable Development Goals of UNO will add to achieve the bigger goal of a better world while improving substantially the strength of Decent Work Agenda of office.

Area of Critical Importance: Creating and extending social protection floors

On this agenda item, Indian Delegation stated that Govt. of India is committed to extend the benefits of Social security to both organized and unorganized sector workers. Govt. of India recognises the ethos contained in R-202. Social Protection Floor has also been included as the country priority area in DWCP-2017.

Programme, Financial and Administrative Section

The Indian Delegation presented intervention on behalf of ASPAG group on the agenda of Programme, Financial and Administrative Section of the Governing Body which comprised the Programme and Budget Proposals for 2016-17. It stressed on creating long term linkages between the policy outcomes with the larger global development agenda, particularly in the wake of post 2015 SDPs which focus on poverty eradication and job creation as

10 वर्तमान श्रम क्रियाकलाप

विधिक मामले तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम मानक अनुभाग (एलआईएलएस)

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संविधान में संशोधन हेतु 1986 एवं 1997 के प्रपत्र के सुधार को प्रोत्साहन देना।

भारत आईएलओ के मुख्य औद्योगिक महत्ता वाले 10 सदस्यों में से एक है जिन्होंने आईएलओ के संविधान में संशोधन के 1986 एवं 1997 प्रपत्र में सुधार को स्वीकार किया है। भारत ने उपर्युक्त प्रपत्रों में पूर्व सुधार हेतु अपने समर्थन को दोहराया जो कि आईएलओ के संविधान में संशोधन करने के लिए मुख्य रूप से अति आवश्यक है।

भारत ने प्रथमतः 1986 प्रपत्र में सुधार किया है क्योंकि इसमें शासी निकाय में भौगोलिक प्रतिनिधित्व की कवरेज को और अधिक किया जाना प्रार्थित है।

अभिसमयों एवं सिफारिशों का चुनाव जिनके अन्तर्गत 2016 में संविधान के अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत रिपोर्टों का अनुरोध किया जाना चाहिए।

भारत आईएलओ के मानकों का पूर्ण सम्मान करता है तथा संगठित एवं असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में कार्यरत कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं रक्षा के प्रति कटिबद्ध है। भारत ने अपने हस्तक्षेप में ओएसएच पर सामान्य सर्वेक्षण के प्रस्ताव का समर्थन किया जिसकी कार्य संसार के मौजूदा बदलते परिवेश और कार्यबल की बढ़ी हुई संवेदनशीलता में काफी अधिक महत्ता मानी जाती है।

उच्च स्तरीय अनुभाग

वैश्विक रोजगार तथा सामाजिक चुनौतियाँ: उभरती प्रवृत्तियाँ एवं अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भूमिका

भारत के हस्तक्षेप ने आर्थिक वृद्धि एवं नियोजन के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण संबंधों को रेखांकित किया। 2015 एसडीजी के उपरांत वृद्धि के रूप में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ-साथ अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के मध्य होने वाली बैठकों में हो रही बढ़ोतरी को स्वीकार किया। भारत ने आईएलओ से अनुरोध किया कि आर्थिक वसूली एवं वृद्धि के लिए नीतियों हेतु आदर्श कार्य एकीकृत हिस्सा है, को सुनिश्चित करने के लिए अपनी नेतृत्व भूमिका का निर्वहन करे।

10 Current Labour Activities

well as the employment strategy being discussed at the forum of G20.

Legal Issues and International Labour Standards Section (LILS)

Promotion of the ratification of the 1986 and 1997 Instruments for the Amendment of the constitution of the International Labour Organization

India is one of the 10 members of chief industrial importance of ILO to accept the ratification of 1986 and 1997 instruments of amendment of the constitution of ILO. Indian delegation reiterated India's support for earlier ratification of the aforesaid instruments which are primarily devised to bring out amendments in the Constitution of ILO. India has ratified the 1986 instrument primarily because it sought to widen the coverage of geographical representation in the Governing Body.

Choice of Conventions and Recommendations on which Reports should be requested under article 19 of the constitution in 2016

India has deep respect for ILO standards and is committed towards the safety, health and protection of workforce both in organized and unorganized workers. In its intervention, India supported the proposal of General Survey on OSH which assumes greater relevance in the present transitional phase of World of Work and increased vulnerability of workforce.

High Level Section

Global employment and social challenges: Emerging trends and role of ILO

India's intervention underlined the very critical relationship between economic growth and employment. As a build up to the post 2015 SDGs, it acknowledged the increasing interactions between UN organizations as well as other international fora. India urged for ILO to take the leadership role in these interactions to

10 वर्तमान श्रम क्रियाकलाप

शासी निकाय, आईएलओ का 324वाँ अधिवेशन

आईएलओ के शासी निकाय के 324वें अधिवेशन का आयोजन 13 जून, 2015 को जेनेवा में हुआ। इस निकाय में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया।

शासी निकाय, आईएलओ का 325वाँ अधिवेशन

आईएलओ के शासी निकाय के 325वें अधिवेशन का आयोजन 29-10-2015 से 12-11-2015 तक जेनेवा में हुआ। भारत वर्ष 2015-16 के लिए एसपीएजी समन्वयक था और इस क्षमता में भारत के लिए यह प्रथम शासी निकाय था।

ब्रिक्स एक अन्य समूह है जो शासी निकाय में एक साझा भूमिका हेतु उभर रहा है। इस वर्ष रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स साझे हित की विभिन्न कार्यवृत्त मदों पर साझा व्याख्यान देने में सफल रहा है जिसमें औपचारिकता की ओर पारगमन पर आईएलसी में हुए विचार-विमर्श, श्रम प्रवर्तन और आईएलओ की विकास सहयोग रणनीति के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई शामिल है।

शासी निकाय के 325वें अधिवेशन की कार्यसूची

संस्थागत अनुभाग (आईएनएस)

घारणीय विकास हेतु 2030 कार्यसूची

इस कार्यसूची मद पर हस्तक्षेप करते हुए भारत ने आईएलओ को 2015 के बाद के विकास मदों की प्रक्रियाओं में योगदान तथा उस केन्द्रीय भूमिका के लिए जिसमें आदर्श कार्य को धारणीय विकास की समग्र थीम में जगह दे दी गई है, के लिए प्रशंसा की। भारत ने क्षमता निर्माण में अन्य देशों की सहायता के लिए आईएलओ को एक मददकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए अनुरोध किया।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का कार्यवृत्त

इस कार्यवृत्त मद पर भारत ने एसपीएजी के बयान पर ही अपनी सहमति दर्शाई। वर्तमान में यह अत्यंत अनिवार्य है कि 2030 विजन के लक्ष्यों को प्रभावशाली तरीके से प्राप्त करने के लिए आईएलओ की रणनीतिक एवं नीतिगत इस कार्यवृत्त मद पर भारत ने एसपीएजी के बयान पर ही अपनी सहमति दर्शाई। वर्तमान में यह अत्यंत अनिवार्य है कि 2030 विजन के लक्ष्यों को

10 Current Labour Activities

ensure that decent work is integral to the policies for economic recovery and growth.

324th Session of the Governing body, ILO

324th Session of the Governing Body of the International Labour Organization was held on 13th June 2015 in Geneva. The Indian delegation participated in the Governing Body.

325th Session of the Governing Body

325th Session of the Governing Body (GB) of the International Labour Organization was held during 29.10.2015 to 12.11.2015 in Geneva. India is the ASPAG coordinator for the year 2015-16 and this was the first GB for India in this capacity.

BRICS is another group that is emerging to take a common position in GB discussions. BRICS under the Russian presidency this year, were successful in delivering group statements on a number of agenda items of common interest including the follow up to the ILC discussion on transition to formality, Labour Enforcement and Development Cooperation Strategy of ILO.

Agenda of 325th Session of Governing Body

Institutional Section (INS)

The 2030 Agenda for Sustainable Development

While intervening on this agenda item, India congratulated ILO for its contribution to the process of Post 2015 Developmental Agenda and the pivotal place that the concept of decent work has acquired in the overall theme of sustainable development. India called for ILO to work as a facilitator to help countries in capacity building.

Agenda of the International Labour Conference

On this agenda item, India aligned itself with the ASPAG statement. It is very essential now to strengthen ILO's strategic and

10 वर्तमान श्रम क्रियाकलाप

प्रभावशाली तरीके से प्राप्त करने के लिए आईएलओ की रणनीतिक एवं नीतिगत दृष्टिकोण को सुदृढ़ किया जाए। भारत ने 2017 आईएलसी के लिए "घरणीय विकास के लक्ष्यों (सामान्य विचार विमर्श) के सहयोग में प्रभावशाली विकास सहयोग" का समर्थन किया। इसके अलावा भारत ने कार्य संसार में महिलाओं तथा पुरुषों के विरुद्ध होने वाली हिंसा के खिलाफ भी अपनी आवाज बुलंद की।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (2016) के 105वें अधिवेशन तक एक निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय पर आईएलओ की उद्घोषणा के प्रभाव के मूल्यांकन हेतु तैयारी

भारत ने सम्मेलन चर्चा एक निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय पर आईएलओ की उद्घोषणा के प्रभाव पर व्यापक सहभागिता, ठोस निर्विष्टि तथा खुली चर्चा उपलब्ध करने हेतु अनुनेय व्यवस्थाओं के साथ एक तकनीकी समिति नियुक्ति करने के लिए सम्मेलन चर्चा हेतु संभावित व्यवस्थाओं के लिए एएसपीएजी का समर्थन किया और अपनी प्राथमिकता दर्ज करवाई।

नीति विकास अनुभाग

अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को अंतिम रूप देना: अधिक महत्व वाले क्षेत्र एवं अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को अंतिम रूप देना: अनौपचारिक से औपचारिक अर्थव्यवस्था के पारगमन को सुकर बनाने के लिए प्रयासों के संवध में लिए गए सकल्प पर अनुवर्ती कार्रवाई

भारत ने अपने अंतःक्षेप में कहा कि सिफारिश संख्या-204 को स्वीकार किया जाना जिसे 104वें आईएलसी के दौरान अंगीकार किया गया था, इस विषय को सुलझाने में जोकि मौजूदा समय में काफी महत्व रखता है, हमारे सामूहिक प्रयासों की सफलता को बयान करते हैं। हम एक ठोस कार्रवाई योजना एवं रणनीति जिसमें त्रिपक्षीय घटकों की सहभागिता हो, की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। अधिक से अधिक जोर नई रणनीतियों, लैंगिक संवेदनशीलता तथा विकल्पों के भिन्न-भिन्न प्रकारों पर होना चाहिए जिसे सदस्य देशों को प्रस्तावित किया जाना है जिनमें देश स्थितियों की विविधता दी गई है।

श्रम बाजार विनियमों और कार्य स्थितियों को औचित्यपूर्ण एवं आधुनिक बनाने के लिए काफी संख्या में श्रम कानूनों में सुधार किये गए हैं जिससे औपचारिक क्षेत्र के रोजगार में बढ़ोतरी होगी ताकि कार्य बल के बहुतायत

10 Current Labour Activities

policy approach to effectively address the goals set in the 2030 vision. India supported “Effective ILO development cooperation in support of the Sustainable Development Goals (general discussion)” for 2017 ILC. India also voiced its general support for the discussion on “Violence against women and men in the world of work”.

Preparation for the evaluation of the impact of the ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization by the 105th Session of the ILC (2016)

India aligned with ASPAG statement for the possible arrangements for the Conference discussion and recorded its preference for appointing a technical Committee with flexible arrangements to provide for wider participation, richer inputs and open discussions on the impact of the ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization.

Policy Development Section

Formalization of the Informal Economy: Area of Critical Importance & Formalization of the Informal Economy: Follow-up to the resolution concerning efforts to facilitate the transition from informal to formal economy

India in its intervention said that adoption of The Recommendation – 204 adopted at 104th ILC demonstrated the success of our collective efforts to address this subject which has assumed greater relevance in the present times. We acknowledge the need for a robust action plan and strategy with involvement of tripartite constituents. The emphasis must be on innovative strategies, gender sensitive analysis and range of options to be proposed to member countries given the diversity of the country circumstances.

Number of labour law reforms have been undertaken by

10 वर्तमान श्रम क्रियाकलाप

हिस्से को श्रम विनियामक के दायरे में लाया जा सके और उन्हें मूलभूत श्रम अधिकार प्रदान किये जा सकें जिसमें सामाजिक सुरक्षा एवं मजदूरी शामिल है। भारत सरकार एक सिंगल प्लेटफार्म पर असंगठित किया जा सके और उन्हें मूलभूत श्रम अधिकार प्रदान किये जा सकें जिसमें सामाजिक सुरक्षा एवं मजदूरी शामिल है। भारत सरकार एक सिंगल प्लेटफार्म पर असंगठित क्षेत्र के लिए मुख्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के अभिसरण हेतु ठोस प्रयास कर रही है।
अधिक महत्त्व वाले क्षेत्र: श्रम निरीक्षण के माध्यम से कार्यस्थल अनुकूलता को सुदृढ़ करना

इस विषय पर भारत द्वारा किया गया हस्तक्षेप एएसपीएजी की ओर से था। भारत के तर्कों ने इस अंतःक्षेप को एक नई दिशा प्रदान की। एएसपीएजी ने अब तक हुई प्रगति के संबंध में खुशी जाहिर की है तथा इस तथ्य की भी प्रशंसा की है कि 2016-17 के लिए कार्यक्रम एवं बजट में आऊटकम 7 के रूप में एसीआई 7 निरंतर बना रहा।

विविध मामले तथा अन्तरराष्ट्रीय श्रम मानक अनुभाग(एल आई एस एस)

मानक पहल: मानक समीक्षा तन्त्र पर त्रिपक्षीय कार्यकारी समूह

भारत द्वारा इस महत्वपूर्ण कार्यसूची मद पर एएसपीएजी अंतःक्षेप का मसौदा तैयार एवं प्रस्तुत किया गया। एएसपीएजी ने अपने हस्तक्षेप में दोहराया कि किस प्रकार पिछले 9 दशकों से अन्तरराष्ट्रीय श्रम मानकों को श्रम मामलों के संबंध में निर्देशक प्रपत्रों के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है।

3-4 सितम्बर, 2015 के दौरान अंकारा, तुर्की में जी20 श्रम एवं नियोजन मन्त्रियों की बैठक

अंकारा, तुर्की में जी20 श्रम एवं नियोजन मन्त्रियों की बैठक का आयोजन 3-4 सितम्बर, 2015 के दौरान हुआ। मन्त्रीय बैठक का आयोजन नियोजन कार्यकारी समूह की चतुर्थ बैठक से पहले हुआ तथा इसके बाद जी20 देशों के वित्त एवं श्रम मन्त्रियों की संयुक्त बैठक का आयोजन हुआ।

जी20 श्रम एवं रोजगार मन्त्रीय उद्घोषणा

अनुपालन हेतु तीन विषयक सत्र जी20 श्रम एवं रोजगार मन्त्री उद्घोषणा में समाहित विषयों पर आधारित थे। उद्घोषणा 3 "I" पर केन्द्रित रही अर्थात्

10 Current Labour Activities

Indian Govt. to rationalize and modernize the labour market regulations and working conditions which in turn will also boost growth of formal sector employment so that large excluded segment of work force can be brought into ambit of labour regulatory framework and provided with basic labour rights including social security and wages. Govt. of India is taking focused initiatives for convergence of major social security programmes for unorganized sector on a single platform.

Area of critical importance: Strengthening workplace compliance through labour inspection

The intervention for this was presented by India on behalf of ASPAG. Indian inputs shaped the intervention to a great extent. ASPAG appreciated the progress made so far and appreciated the fact that the ACI 7 continues as outcome 7 in the Programme and Budget for 2016–17.

Legal Issues and International Labour Standards Section (LILS)

The Standards Initiative: Tripartite Working Group on the Standards Review Mechanism

ASPAG intervention on this very critical agenda item was drafted and presented by India. ASPAG recalled in its intervention how International Labour Standards have been the guiding instruments on matters of labour for last 9 decades.

G20 Labour and Employment Ministers' Meeting at Ankara Turkey during 3-4th September 2015

G20 Labour and Employment Ministers' Meeting (LEMM) under Turkish Presidency was held in Ankara Turkey during 3-4 September 2015. The Ministerial Meeting was preceded by the 4th Meeting of Employment Working Group and was followed by the Joint Meeting of Finance and Labour Ministers of G20 Countries.

G20 Labour and Employment Ministers' Declaration

10 वर्तमान श्रम क्रियाकलाप

समावेशन, कार्यान्वयन तथा वृद्धि हेतु निवेश। उद्घोषणा के तीन भाग थे: (1) और ज्यादा समावेशी श्रम बाजार (2) मानव संसाधन में निवेश तथा (3) प्रभावकारी अनुवीक्षण के माध्यम से कार्यान्वयन जोकि तीन तकनीकी सत्रों का विषय भी था।

भारत के श्रम एवं रोजगार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) का सम्बोधन

श्रम एवं रोजगार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) ने प्रथम विषय सत्र जोकि 'और ज्यादा समावेशी श्रम बाजार' पर था, में जी20 के मन्त्रियों की बैठक को संबोधित किया। अपने हस्तक्षेप में मन्त्री ने कहा कि भारत समावेशी वृद्धि हेतु प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जहाँ तक जनसंख्या आँकड़ों का संबंध है तो हम पूरे विश्व में सबसे युवा देश हैं तथा हमारी प्रथम एवं मुख्य प्राथमिकता प्रत्येक वर्ष कार्यबल में शामिल हो रहे 10 मिलियन युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि सरकार वित्तीय समावेशन एवं सभी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जी20 को रोजगार एवं श्रम जुड़ाव के मामलों पर वृहत अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने हेतु एक मंच के रूप में कार्य करना चाहिए।

जी20 वित्त एवं श्रम मन्त्रियों की संयुक्त बैठक

जी20 वित्त एवं श्रम मन्त्रियों की बैठक एक सामूहिक बैठक थी जिसमें 'वृद्धि एवं नियोजन' तथा 'असमानताएँ' पर तुर्की के मुख्य विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। इस संयुक्त मंच पर हस्तक्षेप करते हुए माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) ने समग्र विकास और रोजगार सृजन पर तुर्की प्रेसीडेंसी द्वारा दिए जा रहे महत्व का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन आर्थिक वृद्धि का कारण एवं परिणाम दोनों ही हैं। एक तरफ तो हमें राष्ट्रीय तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि, अधिक संख्या में आर्थिक गतिविधियों की आवश्यकता है, उपयुक्त संख्या में रोजगार पैदा हो तथा दूसरी ओर हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा कार्यबल इन रोजगार अवसरों का लाभ लेना चाहिए।

10 Current Labour Activities

The three thematic sessions to follow were based on the themes contained in The G20 Labour and Employment Ministers' Declaration. The Declaration focused on 3 i's which are inclusiveness, investment and implementation.

The Declaration had 3 parts: (1) More Inclusive Labour Markets (2) Investing in Human Resources and (3) Implementation through effective monitoring which were also the themes of three technical sessions.

Address by Hon'ble MoS (Independent Charge), Labour and Employment, India

Hon'ble MoS (Independent Charge), Labour and Employment addressed the G20 Ministers meeting in the first theme session on "More Inclusive Labour Markets". In his intervention the minister said that India is committed to inclusive growth. He stated that We are the youngest nation in the world so far as demographics are concerned and to provide jobs to the 10 million youth joining the workforce every year is our first and foremost priority.

He said that Government is committed to financial inclusion and extending social security to all. He said that G20 must work as a platform to promote intense international cooperation of issues of Employment and Labour mobility.

Joint Meeting of G20 Finance and Labour Ministers

The joint meeting of G20 Finance and Labour Ministers was a closed meeting that deliberated upon the core themes of Turkish Presidency on "growth and employment" and "inequalities". Making his intervention to the joint forum, Hon'ble MoS (Independent Charge), Labour and Employment, He said that employment generation is both a cause and consequence of economic growth. On one side we need to have enough economic activity in national and global economies to ensure that sufficient jobs are generated and on the other hand we must make sure that

10 वर्तमान श्रम क्रियाकलाप

उन्होंने भारत में चलाई जा रही प्लैगशिप स्कीमों के बारे में बताया जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया तथा डिजिटल इंडिया जोकि मुख्यतः उपयुक्त संख्या में रोजगार पैदा करने के लिए, विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र में, वैश्विक निवेश को प्रोत्साहित करना है तथा इसके साथ ही उपयुक्त रूप से श्रमिकों को इन रोजगार अवसरों से लाभ प्राप्त करने के लिए कौशल प्रदान करना है और समस्त देश में वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी सेवाओं की अबाधित आपूर्ति कर रही है। उन्होंने सरकार द्वारा किये जा रहे श्रम सुधारों एवं नई पहलों के बारे में विचार-विमर्श किया जोकि लोक रोजगार सेवाओं को मजबूत करने के लिए किए जा रहे हैं।

एलईएमएम जी20 की चर्चाओं पर बैठक

श्रीमती प्रीति पटेल, श्रम मन्त्री, यूके

श्रम एवं रोजगार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) तथा भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने श्रम मन्त्री, यूके की अध्यक्षता में, जोकि यूनाईटेड किंगडम में भारतीय प्रवासी मन्त्री भी हैं, ब्रिटेन के प्रतिनिधि मंडल के साथ रचनात्मक बैठक की। इस विचार-विमर्श में दो देशों द्वारा श्रम बाजार की पहलों से संबंधित विभिन्न विषयों पर और भारतीय प्रधानमन्त्री की नवम्बर, 2015 में यूके की आगामी यात्रा के दौरान परस्पर सहयोग के निर्णायक क्षेत्रों की संभावनाओं को तलाशने पर विचार साझा किए गए।

तकनीकी सहयोग कार्यक्रम

भारत और आईएलओ रोजगार, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, कार्य स्थितियों में सुधार, तकनीकी सुविधाओं का उन्नयन एवं कौशल विकास, प्रबंधन परामर्श विकास, सामाजिक सुरक्षा, कौशल विकास तथा अन्य श्रम संबंधी मामलों पर विभिन्न तकनीकी कार्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण तथा लाभकारी सहयोग साझा करते हैं। आईएलओ भारत में श्रम एवं रोजगार मन्त्रालय के अन्तर्गत कई संस्थानों में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं का भी उपयोग करता है जैसे कि वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, केन्द्रीय श्रम संस्थान (मुम्बई), क्षेत्रीय श्रम संस्थान (कोलकाता, कानपुर, चेन्नेई) तथा रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के अन्तर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान और देश के अन्य विभिन्न उच्च संस्थान।

10 Current Labour Activities

our workforce is prepared to take advantage of these employment opportunities.

It is extremely critical that employment policy now takes the centre stage of development goals and growth strategy in both national and international context. He outlined India's flagship initiatives like Make in India, Skill India and Digital India which are collectively meant to encourage global investment particularly in manufacturing to create sufficient employment opportunities while at the same time appropriately skilling the labour to take advantage of these opportunities and providing for an efficient delivery of financial inclusion, health and education services across the country. He discussed the Labour reforms agenda being pursued by the government and the initiatives to strengthen the public employment services.

Meetings on the sidelines of G20 LEMM

Bilateral Meeting with Ms. Priti Patel, Labour Minister, UK

Minister of State (Independent Charge), Labour and Employment, and Indian delegation had a very constructive discussion with the British delegation led by Labour Minister UK. The discussion touched upon various issues related to the labour market initiatives taken by the two countries and on exploring possibilities of deciding upon areas of mutual cooperation during the forthcoming visit of Hon'ble Prime Minister of India to UK in November 2015.

Technical Cooperation Programmes

India and ILO share a very significant and fruitful cooperation in various technical programmes in the areas of employment, occupational safety & health, improvement of working conditions, up gradation of technical facilities and skills development, management consultation development, social security, skill development and other labour related issues.

10 वर्तमान श्रम क्रियाकलाप

बहुपक्षीय सहयोग

उच्च स्तरीय अन्तरराष्ट्रीय बैठकें

कुछ महत्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रीय बैठकें जिनमें भारत ने सक्रिय रूप से भाग लिया इस प्रकार हैं:

- जेनेवा, स्विटजरलैंड में 8-9 अप्रैल, 2015 के दौरान अनौपचारिक अर्थव्यवस्था हेतु आईएलओ के अनौपचारिक विचार-विमर्श सत्र
- सोचिच, रूस में 13-17 अप्रैल, 2015 के दौरान 'प्रथम रूसी श्रम सुरक्षा सप्ताह' के साथ-साथ इस्तांबुल, तुर्की में 06-05-2015 को 'श्रम हिस्से एवं असमानता पर गठित उप समूह' की प्रथम बैठक तथा 'जी20 नियोजन के कार्यकारी समूह की द्वितीय बैठक'
- लोक एवं अन्तरराष्ट्रीय संगठन में परिणाम आधारित प्रबंधन पर 08-19 मई, 2015 के दौरान तुरीन, इटली में प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 31 मई-13 जून, 2015 के दौरान जेनेवा में आयोजित आईएलओ के अन्तरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 104वें सत्र और आईएलओ के शासी निकाय का 324वां सत्र
- 02-09-2015 को अंकारा, तुर्की में आयोजित जी20 नियोजन के कार्यकारी समूह की चौथी बैठक
- अंकारा, तुर्की में 3-4 सितम्बर, 2015 के दौरान जी20 श्रम एवं रोजगार मन्त्रियों की बैठक
- 13-18 सितम्बर, 2015 के दौरान स्कोर कार्यक्रम के अन्तर्गत जकार्ता, इंडोनेशिया में आईएलओ के अंतर-मन्त्रालयी प्रतिनिधि मंडल
- 28 सितम्बर-02 अक्टूबर, 2015 के दौरान बैंकाक, थाईलैंड में 'प्रभावशाली मजदूरी नीतियों का निर्माण' पर आईएलओ का प्रशिक्षण कार्यक्रम
- तुरीन, इटली में 12-23 अक्टूबर के दौरान 'ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आदर्श कार्य पर अकादमी' पर आईएलओ का प्रशिक्षण कार्यक्रम

10 Current Labour Activities

ILO also utilizes the training facilities available in a number of institutions under the Ministry of Labour & Employment in India including V.V. Giri National Labour Institute, Central Labour Institute (Mumbai), Regional Labour Institutes (Kolkata, Kanpur & Chennai), Vocational Training Institutes under the Directorate General of Employment and Training and various other premier institutes of the country.

Multilateral Cooperation

High-level International Meetings

Some of the prominent International meetings where India participated actively include:-

- ILO's informal consultation for Informal Economy during 8-9 April, 2015 in Geneva, Switzerland.
- 'First All Russia Labour Protection Week' during 13-17 April, 2015 in Sochi, Russia as well as First Meeting of 'Sub Group on Labour Share and Inequalities' and 'Second Meeting of the G20 Employment Working Group on 06.05.2015 in Istanbul, Turkey.
- Training course at Turin, Italy during 08-19 May, 2015 on Result Based Management in Public & International Organization.
- 104th Session of International Labour Conference of ILO and 324th Session of Governing Body of ILO held at Geneva from 31st May to 13th June, 2015
- Fourth meeting of the G20 Employment Working Group on 02.09.2015 in Ankara, Turkey.
- G20 Labour and Employment Ministers' meeting during 3-4 September, 2015 in Ankara, Turkey.
- ILO's Inter-Ministerial delegation to Jakarta, Indonesian under the SCORE programme during 13-18 September, 2015.
- ILO's Training Programme on 'Building Effective Wage Policies' during 28th September to 2nd October, 2015 in Bangkok, Thailand.

10 वर्तमान श्रम क्रियाकलाप

- तुरीन, इटली में 26-30 अक्तुबर के दौरान 'घरेलू श्रमिक हेतु आदर्श कार्य' पर आईएलओ का प्रशिक्षण कार्यक्रम
- तुरीन, इटली में 12-23 अक्तुबर के दौरान 'युवा रोजगार' पर आईएलओ का प्रशिक्षण कार्यक्रम
- तुरीन, इटली में 29-30 अक्तुबर के दौरान आईएलओ के अन्तरराष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र की बोर्ड की बैठक का 78वां सत्र
- तुरीन, इटली में 02-13 नवम्बर के दौरान 'श्रम बाजार सख्यिकी और विश्लेषण पर अकादमी' पर आईएलओ का प्रशिक्षण कार्यक्रम
- मास्को, रूस में 18-19 नवम्बर के दौरान प्रथम ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मन्त्रियों की बैठक हेतु प्रारंभिक कार्यकारी समूह का सत्र
- 23-27 नवम्बर, 2015 के दौरान तुरीन, इटली में औपचारिकता की ओर पारगमन पर आईटीसी ग्लोबल नालेज शेयरिंग फोरम
- तुरीन, इटली में 23-11-15 से 04-12-2015 तक 'राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा व्यावसाय सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रणाली' पर आईएलओ का प्रशिक्षण कार्यक्रम
- तुरीन, इटली में 30-11-2015 से 11-12-2015 के दौरान 'श्रम प्रशासन और श्रम निरीक्षण पर अकादमी' पर आईएलओ का प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 03-04-2015 को सोफिया, बुल्गारिया में 5वां श्रम एवं रोजगार मन्त्रियों का सम्मेलन
कुछ महत्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रीय प्रतिनिधि मण्डलों द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का दौरा किया गया:
सहायक महानिदेशक तथा क्षेत्रीय निदेशक, आईएलओ कार्यालय एशिया एवं पैसिफिक ने श्रम एवं रोजगार मन्त्रालय का दौरा किया तथा 04-08-2015 को माननीय मन्त्री के साथ इनकी बैठक आयोजित हुई।
भारत में शैक्षणिक दौरे पर आए बांग्लादेशी प्रतिनिधि मंडल ने श्रम एवं रोजगार मन्त्रालय का दौरा किया तथा 18-08-15 को संयुक्त सचिव (एमजी) के साथ इनकी बहुपक्षीय वार्ता संपन्न हुई।

10 Current Labour Activities

- ILO's Training Programme on 'Academy on Decent Work in Rural Economy' during 12-23 October, 2015 in Turin, Italy.
- ILO's Training Programme on 'Decent Work for Domestic Worker' during 26-30 October, 2015 in Turin, Italy.
- ILO's Training Programme on 'Youth Employment' during 12-23 October, 2015 in Turin, Italy.
- 78th Session of the Board meeting of International Training Center of ILO during 29-30 October 2015 in Turin, Italy.
- 'Academy on Labour Market Statistics and Analysis' during 02-13 November, 2015 in Turin, Italy.
- Preparatory Working Group Session for First BRICS Labour and Employment Ministers meeting during 18-19 November, 2015 in Moscow, Russia.
- ITC/ILO's Global knowledge Sharing Forum on Transition to Formality during 23-27 November, 2015 in Turin, Italy.
- ILO's Training Programme on 'National programmed and systems of occupation safety and health' during 23.11.2015 to 04.12.2015 in Turin, Italy.
- ILO's Training Programme on 'Academy on Labour Administration and Labour Inspection' during 30.11.2015 to 11.12.2015 in Turin, Italy.
- 5th ASEM Labour and Employment Ministers' Conference during 03-04 December, 2015 in Sofia, Bulgaria.

Some of the prominent International Delegations visited India to meet officials of Ministry of Labour and Employment are:-

Assistant Director General and Regional Director, ILO Office for Asia and the Pacific to India visited Ministry of Labour & Employment. A meeting was held between Hon'ble LEM and Ms. Tomoko Nishimoto on 04.08.2015.

A Bangladesh delegation on study tour to India visited Ministry of Labour & Employment. A bilateral meeting was held with JS (MG) on 18.08.2015

10 वर्तमान श्रम क्रियाकलाप

उपमहानिदेशक (नीति), आईएलओ जेनेवा ने 05-10-2015को श्रम मन्त्रालय का दौरा किया। आपसी संबंधों पर विचार-विमर्श करने के लिए सचिव, एलएण्डई तथा सुश्री सांड्रा पोलास्की, उपमहानिदेशक (नीति), आईएलओ जेनेवा के बीच एक बैठक का आयोजन किया गया।

2-2 राष्ट्रीय

2-2-1 स्थाई श्रम समिति

स्थायी श्रम समिति के 47वें सत्र का आयोजन श्रम एवं रोजगार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार), नई दिल्ली में 10-07-2015 को हुआ। स्थाई श्रम समिति ने जुलाई, 2015 में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के 46वें सत्र के लिए कार्यसूची तैयारी की तथा इसके अतिरिक्त 43वें, 44वें तथा 45वें सत्र विशेषकर ठेका श्रमिक, न्यूनतम मजदूरी तथा स्कीम कामगार एवं त्रिपक्षीय प्रणाली पर इन सत्रों के निष्कर्षों और सिफारिशों से संबंधित कार्यान्वयन रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया।

2-2-2 भारतीय श्रम सम्मेलन

भारतीय श्रम सम्मेलन के 47वें सत्र का आयोजन 20-21 जुलाई, 2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में हुआ। सम्मेलन की शुरुआत माननीय श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमन्त्री द्वारा 20-07-2015 को किया गया।

माननीय प्रधानमन्त्री ने 46वें आईएलसी सत्र के शुरुआत करते हुए एनसीएस पोर्टल तथा ईएसआईसी 2.0 सुधारों का आरंभ किया। 46वें आईएलसी में निम्नलिखित विषयों पर केन्द्र रहा:

43वें, 44वें तथा 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन के निष्कर्षों/सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा विशेषतौर पर ठेका श्रमिक, न्यूनतम मजदूरी तथा स्कीम कामगार तथा त्रिपक्षीय मैकेनिज्म पर;

संगठित, असंगठित क्षेत्र तथा अन्तरराष्ट्रीय अप्रवासी कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा;

बोनस अधिनियम में संशोधन- भुगतान की उच्चतर सीमा, योग्यता सीमाओं, जब निष्पादन संकेतांक बोनस देने के लिए संतोषप्रद है तो हानि से

10 Current Labour Activities

Dy. Director General (Policy), ILO, Geneva visited Ministry of Labour & Employment on 05.10.2015. A meeting was held between Ministry of Labour & Employment led by Secretary (L&E) and ILO led by Ms. Sandra Polaskito to discuss the issues of mutual concern.

2.2 NATIONAL

2.2.1 STANDING LABOUR COMMITTEE

The 47th Session of Standing Labour Committee (SLC) was held on 10.07.2015, in New Delhi under the Chairmanship of Hon'ble Minister of State for Labour and Employment (Independent Charge). The 47th Session of Standing Labour Committee set the agenda for 46th Indian Labour Conference held in July, 2015 and also finalized the implementation report on the conclusions and recommendations of 43rd, 44th and 45th Indian Labour Conference, particularly on Contract Labour, Minimum Wages and Scheme Workers and Tripartite Mechanism.

2.2.2 Indian Labour Conference

The 46th Session of Indian Labour Conference was held on 20-21 July, 2015 at Vigyan Bhawan, New Delhi. The conference was inaugurated by the Hon'ble Prime Minister of India Shri Narendra Modi on 20-07-2015.

Hon'ble Prime Minister also dedicated NCS portal and launched ESIC 2.0 Reforms in the inaugural session of 46th ILC. The 46th ILC focused its deliberations on:

Implementation of the conclusions/recommendations of the 43rd, 44th and 45th Indian Labour Conference, particularly on Contract Labour, Minimum Wages and Scheme Workers and Tripartite Mechanism.

Social Security for the workers in organized sector, unorganized sector and international migrant workers.

10 वर्तमान श्रम क्रियाकलाप

जोड़े बिना न्यूनतम बोनस देने के निर्णय संबंधी निबंधनों को समाप्त करना;
प्रस्तावित श्रम कानून संशोधनों का निष्पादन केन्द्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा किया जाए ;

रोजगार एवं रोजगार सृजन
सामाजिक सुरक्षा कानून

भारतीय सामाजिक सुरक्षा योजना की परिधि में संगठित श्रम बल का केवल एक हिस्सा आता है जिसे संगठन के भीतर प्रत्यक्ष एवं नियमित नियोक्ता कर्मचारी संबंध रखने वाले श्रमिकों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है । भारत में सामाजिक सुरक्षा कानून अपनी शक्ति एवं उत्साह भारत के संविधान में दिए अनुसार राज्य योजना के निदेशक सिद्धांतों से प्राप्त करते हैं । ये या तो अकेले नियोक्ता के खर्च पर या नियोक्ता तथा कर्मचारी के संयुक्त अंश के आधार पर सामाजिक सुरक्षा लाभ की अनिवार्य रूप से व्यवस्था करते हैं । कर्मचारियों को उपलब्ध अधिकारों के संरक्षण तथा अनुपालन का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से नियोक्ता का होता है ।

भारत में अधिनियमित मुख्य सामाजिक सुरक्षा कानून इस प्रकार है:-

कर्मचारी प्रतिपूर्ति अधिनियम, 1923

अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नियोक्ताओं पर नियोजन के दौरान होने वाली घटनाओं के लिए कामगारों को भुगतान करने हेतु बाध्य करना है ।

यह अधिनियम कारखानों, खानों, बागानों, यांत्रिक शक्ति से चलने वाली मशीनें, निर्माण कार्य तथा कई अन्य खतरनाक व्यवसायों में काम कर रहे व्यक्तियों पर लागू होता है । यह अधिनियम नियोजन के दौरान कोई दुर्घटना होने तथा चोट लगने (कई व्यावसायिक बीमारियों सहित) की स्थिति में कामगारों और उनके आश्रितों को क्षतिपूर्ति के भुगतान की व्यवस्था करता है । राज्य सरकारें इस अधिनियम के इन प्रावधानों को विनिर्दिष्ट क्षेत्रों हेतु नियुक्त किए गए आयुक्तों के माध्यम से लागू करवाती हैं । राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन प्रावधानों की अनुपालना हो, नियम भी बनाती हैं ।

10 Current Labour Activities

Amendment of Bonus Act – Removal of conditions on payment ceiling, eligibility limits, decisions to pay minimum bonus without linking to loss when the performance indicator satisfy grant of bonus. Labour Laws amendments proposed/done either by the Central or State Governments

Employment and Employment Generation.

2.3 SOCIAL SECURITY LAWS

The social security schemes in India cover only a small segment of the organized work-force, which may be defined as workers who are having a direct regular employer–employee relationship within an organization. The social security legislations in India derives their strength and spirit from the Directive Principles of the State Policy as contained in the Constitution of India. These provide for mandatory social security benefits either solely at the cost of the employers or on the basis of joint contribution of the employers and the employees. While protective entitlements accrue to the employees, the responsibilities for compliance largely rest with the employers.

The principal social security laws enacted for the organized sector in India are :

The Employees' Compensation Act, 1923

The main objective of the Act is to impose an obligation upon the employers to pay compensation to workers for accidents arising out of and in the course of employment. The Act applies to the persons employed in factories, mines, plantations, mechanically propelled vehicles, construction works and certain other hazardous occupations. The Act provides for payment of compensation to the employees and their dependents in case of injury and accident (including certain occupational diseases) arising out of and in the course of employment and resulting in disablement or death.

10 वर्तमान श्रम क्रियाकलाप

द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों तथा संबंधित मन्त्रालयों/विभागों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 में दिसम्बर 2009 में कतिपय संशोधन कर दिए गए हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

कवरेज यह अधिनियम 10 अथवा इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले कारखानों पर लागू होता है। इस अधिनियम के प्रावधानों को क्षेत्र-वार चरणों में लागू किया जा रहा है। इस अधिनियम में समाहित प्रावधान के अनुसार "सक्षम सरकार" इस अधिनियमों के प्रावधानों को स्थापनाओं की अन्य श्रेणियों जैसे औद्योगिक, वाणिज्य, —कृषि अथवा अन्य तक भी विस्तार कर सकती है। इन प्रावधानों के उपबंधों के तहत राज्य सरकारों ने इनका विस्तार दुकानों, होटलों, रेस्तरांओं, सिनेमा जिसमें प्रीव्यू थियेटर शामिल हैं, सड़क मोटर परिवहन उपक्रम, अखबार स्थापनाएँ, शैक्षणिक तथा चिकित्सा संस्थानों जिनमें 10 अथवा इससे अधिक व्यक्ति नियोजित हों, तक कर दिया है।

प्रशासन इस स्कीम को एक सांविधिक निकाय नामतः कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से लागू किया जाता है जिसमें कर्मचारियों, नियोक्ताओं, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, चिकित्सा व्यवसाय तथा संसद का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य शामिल होते हैं। संघ का श्रम एवं रोजगार मन्त्री इसका अध्यक्ष होता है।

एक स्थाई समिति, जिसका गठन निगम के सदस्यों में से ही किया जाता है, जो स्कीम के संचालन हेतु कार्यकारी निकाय के रूप में काम करती है जिसका अध्यक्ष सचिव, श्रम एवं रोजगार मन्त्रालय, भारत सरकार होता है।

स्कीम को धन उपलब्ध करवाना तथा कार्यान्वयन

ईएसआई स्कीम को मुख्यतः नियोक्ताओं तथा कामगारों से प्राप्त अंशदान से चलाया जाता है।

ईएसआई स्कीम के तहत स्वास्थ्य एवं नकद लाभ

10 Current Labour Activities

The State Governments administer the provisions of this Act through the Commissioners appointed for specified areas. The State Governments also make rules for ensuring that the provisions of the Act are complied with. Keeping in view the recommendation of the Second National Commission on Labour and suggestions received from the related Ministries / Departments, certain amendments in the Workmen's Compensation Act, 1923 have been carried out in December, 2009

The Employees State Insurance Act, 1948

Coverage The Employees' State Insurance Act, 1948 applies to factories employing 10 or more persons. The provisions of the Act are being brought into force area-wise in stages. The Act contains an enabling provision under which the "appropriate government" is empowered to extend the provisions of the Act to other classes of establishments industrial, commercial agricultural or otherwise. Under these provisions, the State Governments have extended the provisions of the Act to shops, hotels, restaurants, cinemas including preview theatres, road motor transport undertakings, newspaper establishments, educational and medical institutions employing 10 or more employees.

Administration The ESI Scheme is administered by a statutory body called the Employees' State Insurance Corporation (ESIC), which has members representing Employers, Employees, Central and State Governments, Medical Profession and the Parliament. Minister for Labour & Employment is the Chairman. A Standing Committee, constituted from among the members of the Corporation, acts as the executive body for administration of the Scheme and is chaired by the Secretary, Ministry of Labour & Employment.

Funding and Operation of the Scheme

The ESI Scheme is mainly financed by contributions from the employers and employees.

10 वर्तमान श्रम क्रियाकलाप

चिकित्सा देखभाल के साथ-ही, ईएसआई स्कीम के तहत लाभार्थियों को कुछ नकद लाभ भी उपलब्ध करवाए जाते हैं।

चिकित्सा देखभाल इस स्कीम के तहत बीमा प्राप्त व्यक्तियों तथा उनके आश्रितों को प्राईमरी हेल्थ केयर से सुपर स्पेशियलिटी ट्रीटमेंट तक पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं दी जाती हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952

कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 कारखानों तथा कानून है। इस अधिनियम का उद्देश्य औद्योगिक कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को जब वे विपत्ति (कुर्की) में होते हैं तथा/या परिवार तथा सामाजिक उत्तरदायित्वा को पूरा करने के अयोग्य होते हैं तथा बुढ़ापे में उन्हें सुरक्षा देने हेतु विकलांगता, कमाने वाले की अकाल मृत्यु की स्थिति में तथा कुछ अन्य आकस्मिक घटनाओं के समय सामाजिक सुरक्षा तथा समय पर वित्तीय सहयोग देना है।

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961

यह अधिनियम सितम्बर, 1961 में पारित हुआ तथा 12 दिसम्बर, 1961 को इसे स्वीकृति प्राप्त हुई। प्रसूति प्रसुविधा लाभ 1961 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत शामिल महिलाओं को छोड़कर 10 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले कारखानों, खानों, सर्कस उद्योग, बागान इकाइयों तथा दुकानों या संस्थानों में महिलाओं के रोजगार को जन्म से पहले तथा बाद में निश्चित अवधि के लिए नियंत्रित करता है तथा प्रसूति और अन्य प्रसुविधाओं का प्रावधान करता है। यह अधिनियम सिक्किम राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। यह अधिनियम महिला श्रमिकों को गर्भावस्था की अवधि के दौरान रोजगार से बाहर होने के कारण निश्चित शर्तें पूरा करने पर प्रसूति अवकाश तथा कई मौद्रिक लाभों के भुगतान की व्यवस्था भी करता है। अशिष्ट कदाचार को छोड़कर गर्भावस्था के कारण महिला श्रमिक की अनुपस्थिति के दौरान उसकी सेवाएं समाप्त नहीं की जा सकती।

एक महिला अधिकांशतः 12 सप्ताहों के लिए प्रसूति प्रसुविधा ले सकती है।

10 Current Labour Activities

Health & Cash Benefits under ESI Scheme

Besides from medical care, the beneficiaries under ESI Scheme are also provided an array of cash benefits.

Medical Care The Scheme provides reasonable medical facilities from primary health care to super speciality treatment in respect of the insured persons and their family members.

Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952

The Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 is a welfare legislation enacted for the purpose of instituting provident funds, pension fund and deposit linked insurance fund for employees working in factories and other establishments. The Act aims at providing social security and timely monetary assistance to industrial employees and their families when they are in distress and/or unable to meet family and social obligations and to protect them in old age, disablement, early death of the bread winner and in some other contingencies.

The Maternity Benefit Act, 1961

The Act was passed in September, 1961 and received its assent on 12th December, 1961. The Act regulates the employment of women in factories, mines, the circus industry, plantation units and shops or establishments employing 10 or more persons except the employees covered under the Employees State Insurance (ESI) Act, 1948 for certain periods before and after birth and provides for maternity and other benefits. It extends to the whole of India, except the State of Sikkim. It also provides for maternity leave and payment of certain monetary benefits to women workers subject to fulfilment of certain conditions during the period when they are out of employment on account of pregnancy except for gross misconduct. Maximum period for which a woman can get maternity benefit is twelve weeks. The Act

10 वर्तमान श्रम क्रियाकलाप

इस अधिनियम को 2008 में संशोधित किया गया है। 19-12-2011 से इस अधिनियम के तहत 3500 रु का चिकित्सा बोनस दिया जा रहा है।

उपदान भुगतान अधिनियम, 1972

उद्देश्य उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 कारखानों, खानों, तेल क्षेत्रों, बागानों, बन्दरगाहों, रेलवे कम्पनियों, मोटर परिवहन उपक्रमों एवं दुकानों या अन्य संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए कर्मचारी की कम से कम पाँच वर्ष की निरंतर सेवा पर सेवानिवृत्ति अथवा उसकी सेवामुक्ति अथवा त्यागपत्र अथवा दुर्घटना अथवा बीमारी के कारण उसकी मृत्यु अथवा निशक्त होने पर उसका नियोजन समाप्त किए जाने पर उपदान के आवश्यक भुगतान की योजना की व्यवस्था करता है। बशर्ते कि पाँच वर्ष की नियमित सेवा का पूर्ण होना वहाँ वांछनीय नहीं होगा जहाँ किन्हीं कर्मचारियों का नियोजन मृत्यु अथवा निशक्तता के कारण समाप्त हो जाता है। उपदान के भुगतान का दायित्व इस अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के तहत नियोक्ता का होगा।

कवरज प्रत्येक कारखाना, खनन, आयल फील्ड, बागान, बंदरगाह तथा रेलवे कंपनी। प्रत्येक दुकान अथवा स्थापना जो एक राज्य में दुकान अथवा स्थापना से संबंधित कुछ समय के लिए लागू किसी कानून की परिभाषा के अधीन आती हो तथा जहाँ 10 अथवा 10 से अधिक व्यक्ति पूर्ववर्ती 12 माह के दौरान नियोजित थे अथवा हैं।

प्रत्येक मोटर परिवहन उपक्रम जिसमें 10 अथवा दस से अधिक व्यक्ति पूर्ववर्ती 12 माह के दौरान नियोजित थे अथवा हैं।

इस प्रकार की कोई अन्य स्थापना अथवा स्थापना की श्रेणी जहाँ 10 अथवा दस से अधिक व्यक्ति पूर्ववर्ती 12 माह के दौरान नियोजित थे अथवा हैं जैसा कि केन्द्रीय सरकार इसकी ओर से अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

कोई भी दुकान अथवा स्थापना एक बार कवर होने के उपरांत, ऐसा होते हुए भी कि उसमें काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या दस से कम हो जाए, तो भी उसे कवर ही माना जाएगा।

10 Current Labour Activities

has been amended in 2008. A medical bonus of Rs.3,500/- is being provided from 19.12.2011 under the Act

The Payment of Gratuity Act, 1972

Objective The Payment of Gratuity Act, 1972 provides for a scheme of compulsory payment of gratuity to employees engaged in factories, mines, oil-fields, plantations, ports, railway companies, motor transport undertakings, shops or other establishments on the termination of his employment after he has rendered continuous service for not less than five years on his superannuation, or on his retirement or resignation, or on his death or disablement due to accident or disease. Provided that the completion of continuous service of five years shall not be necessary where the termination of the employment of any employees is due to death or disablement. Payment of Gratuity is an employer's liability under the extant provisions of the PG Act.

Coverage Every factory, mine, oil-field, plantation, port and railway company. Every shop or establishment within the meaning of any law for the time being in force in relation to shops and establishments in a State, in which ten or more persons are employed or were employed on any day of the preceding twelve months.

Every motor transport undertaking in which ten or more were employed on any day of the preceding twelve months.

Such other establishments or class of establishments in which ten or more employees are employed or were employed on any day of the preceding twelve months as the Central government may, by notification, specify in this behalf. A shop or establishment once covered shall continue to be covered notwithstanding that the number of persons employed therein at any time falls below ten.

2.4 V.V. Giri National Labour Institute

10 वर्तमान श्रम क्रियाकलाप

वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान:

जुलाई, 1974 में स्थापित वी.वी.गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय श्रम के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा शिक्षा का शीर्ष संस्थान है।

वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान को विदेश मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा आईटीईसी/एससीएएपी के तहत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु सूचीबद्ध किया गया है।

3. श्रम अनुसंधान तथा सांख्यिकी

अखिल भारत आधार पर श्रम विषयों पर तथ्य तथा आंकड़ों के संग्रहण, संकलन तथा प्रकाशन से संबंधित मुख्य कार्य श्रम ब्यूरो द्वारा किया जा रहा है। रोजगार, मजदूरी, उपार्जन, औद्योगिक विवाद, अनुपस्थिति, श्रम आवर्त तथा कार्यकारी स्थितियों पर आंकड़ों के संग्रहण, विश्लेषण तथा प्रकाशन के अतिरिक्त, श्रम ब्यूरो श्रम के विभिन्न पहलुओं पर सर्वेक्षण तथा स्थितियों पर आंकड़ों के संग्रहण, विश्लेषण तथा प्रकाशन के अतिरिक्त श्रम ब्यूरो श्रम के विभिन्न पहलुओं पर सर्वेक्षण व अनुसंधान अध्ययन भी आयोजित करता है। इण्डियन लेबर स्टैटिस्टिक्स तथा पाकेट बुक आफ लेबर स्टैटिस्टिक्स सम्मिलित हैं। ब्यूरो महत्वपूर्ण श्रम कानूनों के कार्यान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट निकालता है। औद्योगिक श्रमिकों तथा खेतिहर श्रमिकों/ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

औद्योगिक श्रमिकों (चुनिन्दा 78 केन्द्रों तथा अखिल भारत) के लिए आधार 2001=100 पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जनवरी, 2006 से प्रतिमाह संकलित तथा प्रकाशित किए जाते हैं। ब्यूरो 20 राज्यों तथा अखिल भारत के लिए खेतिहर तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए अलग-अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की आधार 1986-87=100 पर दो श्रृंखलाएं भी निकाल रहा है। श्रम ब्यूरो की जारी कुछ मुख्य परियोजनाओं पर की गई चर्चा निम्नानुसार है :-

31 आवश्यक वस्तुओं के लिए खुदरा मूल्य सूचकांक:

शहरी क्षेत्रों में 31 चुनिन्दा आवश्यक वस्तुओं के संबंध में खुदरा मूल्य

10 Current Labour Activities

V.V. Giri National Labour Institute (VVGNDL), an autonomous body of the Ministry of Labour and Employment, Government of India set up in July, 1974, is a premier institute of Research, Training and Education in the area of Labour.

The Institute has been empanelled by Ministry of External Affairs, Government of India for conducting various international training programmes under ITEC / SCAAP programmes.

3. Labour Research and Statistics

A major part of work relating to collection, collation and publication of facts and figures on labour matters on All India basis is being carried out by the Labour Bureau. Besides collecting, analyzing and publishing data on employment, wages, earnings, industrial disputes, absenteeism, labour turnover and working conditions, the Labour Bureau also conducts surveys and research studies on various aspects of labour. The regular publications of Bureau include the monthly publication 'Indian Labour Journal' and 'annual publications 'Indian Labour Year Book', 'Indian Labour Statistics' and 'Pocket Book of Labour Statistics'. The Bureau also brings out annual reports on the working of important Labour Laws.

Consumer Price Index Numbers for IW and AL/RL

Consumer Price Index (CPI) Numbers for Industrial Workers (78 selected centres and All India) on base 2001=100 are being compiled from January, 2006 onwards and published every month. The Bureau is also bringing out two series of CPI Numbers on base 1986-87=100 separately for Agricultural and Rural Labourers for 20 States and All-India. Some of the major continuing projects of the Labour Bureau are discussed below:-

Retail Price Indices for 31 Essential Commodities

Retail Price Indices in respect of 31 selected commodities

10 वर्तमान श्रम क्रियाकलाप

सूचकांकों का प्रतिमाह संकलन किया जाता है तथा इन चुनिन्दा वस्तुओं के मूल्यों में अन्तर की जाँच करने तथा समय पर आवश्यक कार्रवाई करने के उद्देश्य से उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को भेजे जाते हैं। ये सूचकांक श्रृंखला के तहत औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा एकत्रित मूल्य आंकड़ों से निर्धारित भारों से प्राप्त किए गए भारण आरेखों के आधार पर संकलित किए जाते हैं। नई श्रृंखला के आधार पर 31 चुनिन्दा मदों के संबंध में आधार 2001=100 के साथ खुदरा मूल्य सूचकांक भी जनवरी, 2006 सूचकांक से प्रतिमाह संकलित किया जा रहा है। अक्तूबर, 2015 तक के सूचकांकों को संकलित कर लिया गया है तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय नई दिल्ली को भेज दिए गए हैं। अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन की सिफारिशों के अनुसार एफआईडीएस को आयोजित करने का अन्त राल 10 वर्षों से अधिक का नहीं होना चाहिए। तदनुसार श्रम ब्यूरो ने अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन की सिफारिशों का कड़ाई से पालन करते हुए वर्तमान श्रृंखला को संभावित आधार 2015=100 के साथ अद्यतन करने हेतु कार्य शुरू कर दिया है।

मजदूरी दर सूचकांक:

मजदूरी दर सूचकांक को द्वितीय व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण (1963-65) द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़ों के आधार पर संकलित किया जाता है। यह 1963-65=100 के साथ आधार वर्ष के रूप में निश्चित समय अवधि में मजदूरी दरों में देखे गए सापेक्ष परिवर्तनों की गति को सूचित करता है। ये सूचकांक ये सूचकांक तीन क्षेत्रों अर्थात् विनिर्माण, बागान तथा खनन में 21 चुनिन्दा उद्योगों के लिए संकलित किया जाता है। मूल मजदूरी तथा मंहगाई भत्ते पर आंकड़े जोकि भारत में संगठित क्षेत्र में श्रमिकों के उपार्जनों की नियमित प्रकृति के हैं, का प्रयोग करके सूचकांकों को संकलित किया जाता है। वर्ष 2014 तक मजदूरी दर सूचकांकों को संकलित कर दिया गया है।

व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण

व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य मजदूरी तथा उपार्जन में

10 Current Labour Activities

in urban areas are also compiled every month and supplied to the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public distribution every month with the objective to monitor the movement in prices of these selected commodities and to take timely remedial action. These indices are compiled on the basis of weighting diagram derived from the weights determined under Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers and Price data collected under these series. Retail Price Indices in respect of 31 selected items on the basis of New Series on base 2001=100 are also being compiled every month with effect from January, 2006 index. The indices upto October, 2015 have been compiled and supplied to the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, New Delhi. As per the recommendation of the ILO, the FIES should be conducted at intervals not more than 10 years. These surveys are conducted under the guidance of the TAC on Statistics of Price and Cost of Living Accordingly. Labour Bureau, adhering to the recommendation of ILO, has initiated the work with a view to update the existing series to probable base 2015=100.

Wage Rate Index

The wage rates Index Numbers are compiled on the basis of data thrown up by the Second Round of OWS (1963-65). These depict the relative changes experienced in wage rates over a period of time with 1963-65=100) as the base year. These indices are compiled for twenty one selected industries in three sectors viz., Manufacturing, Plantations and Mining. The indices are compiled using data on basic wage and dearness allowance, which are of regular nature of earnings of the workers in organized sector in India. Wage Rate Index Numbers have been compiled upto the year 2014.

Occupational Wage Survey

10 वर्तमान श्रम क्रियाकलाप

अन्त उद्योग, अन्तरा उद्योग तथा अन्तर्क्षेत्रीय विभिन्नताओं से संबंधित अध्ययनों के लिए तथा मजदूरी दर सूचकांक श्रृंखला के आधार के अद्यतन हेतु डेटाबेस उपलब्ध करवाना है। व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण के छठे दौर के तहत चार खनन (कोयला खानों, लोह अयस्क खानों, मैगनीज खानों तथा तेल खानों) उद्योगों के संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है। पांच वस्त्र तैयार वस्त्र उद्योगों दस इंजीनियरिंग उद्योगों तथा 9 इंजीनियरिंग उद्योगों के संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है।

ग्रामीण श्रम अन्वेषण

ग्रामीण श्रम अन्वेषण ग्रामीण श्रमिकों की निर्वाह तथा कार्य दशाओं को सुधारने के उद्देश्य से नीति तथा कार्यक्रम निर्धारण में अत्यधिक उपयोगी है। इस उद्देश्य हेतु राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा आंकड़ों का संग्रहण पंचवर्षीय आधार पर आयोजित इसके रोजगार तथा बेरोजगारी सर्वेक्षणों के भाग के रूप में किया जाता है। सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर रिपोर्टों की तैयारी तथा प्रकाशन का उत्तरदायित्व श्रम ब्यूरो को सौंपा गया है। यह संगठन ग्रामीण श्रम परिवारों के विभिन्न पहलुओं अर्थात् ऋणग्रस्तता, उपभोग व्यय, मजदूरी, उपाजन, रोजगार एवं बेरोजगारी तथा ग्रामीण श्रम परिवारों की मुख्य विशेषताओं पर रिपोर्टें निकालता है।

66वें (2009-10) दौर के आंकड़ें भेजने के लिए एनएसएसओ के साथ पत्राचार जारी रहा।

उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के तहत श्रम आंकड़ों का संग्रहण

(i) अनुपस्थिति (ii) श्रम आवर्त (iii) प्रति समय इकाई घटकों द्वारा औसत उपाजन (iv) श्रम लागत तथा (v) नियोजन से संबंधित श्रम आंकड़े विनिर्माण उद्योगों में प्रतिदर्श के साथ गणना आधार पर आयोजित उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण द्वारा एकत्रित किए जा रहे हैं।

उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (गणना तथा प्रतिदर्श) के तहत रोजगार तथा श्रम लागत पर आंकड़े भाग-I (2012-13) पर रिपोर्टें प्रकाशित कर दी गई है तथा खंड-II का कार्य जारी है।

10 Current Labour Activities

The Occupational Wage Surveys, inter-alia, aim to provide data base for studies relating to inter-industry, intra-industry and inter-regional differences in wages and earnings and for updation of the base of Wage Rate Index series. The reports in respect of four mining (Coal Mines, Iron Ore Mines, Manganese Mines and Oil Mines). Industries has been released under the 6th round of O.W.S. The report in respect of Five Textile, Textile Garment Industry Ten Engineering Industries and Nine Engineering Industries have been released.

Rural Labour Enquiry:

Rural Labour enquiries are of great assistance in designing the policies and programmes with the objective of ameliorating the living and working conditions of rural labour. The data for the purpose is collected by the NSSO as a part of its general Employment & Unemployment surveys conducted on quinquennial basis. The responsibility of preparation and publication of reports on the findings of the survey is entrusted to Labour Bureau. The Organization brings out reports on different aspects of Rural Labour Households viz., Indebtedness, Consumption Expenditure, Wages & Earnings, Employment & Unemployment and General Characteristics of Rural Labour Households.

Processing of data & generation of tables for 66th (2009-10) round data remained in progress.

Collection Of Labour Statistics Under Annual Survey Of Industries

Labour Statistics relating to (i) Absenteeism (ii) Labour Turnover (iii) Average earnings by components per unit of time (iv) Labour Cost and (v) Employment are being collected through the Annual Survey of Industries conducted on sample as well as on census basis in manufacturing industries.

10 वर्तमान श्रम क्रियाकलाप

श्रम के विभिन्न समूहों का सामाजिक सर्वेक्षण

इस स्कीम के तहत निम्न प्रकार के सर्वेक्षण आयोजित किए जा रहे हैं:

i) उद्योगों/नियोजकों के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की कार्यकारी एवं निर्वाह स्थितियों का सर्वेक्षण:

इस सर्वेक्षण का उद्देश्य उद्योगों/नियोजकों के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की स्थितियों में सुधार हेतु उनकी कार्यकारी तथा निर्वाह स्थितियों पर आंकड़े एकत्रित करना है। अब तक 31 सर्वेक्षण आयोजित किए गए हैं तथा सभी पर रिपोर्टें प्रकाशित कर दी गई हैं। अंतिम सर्वेक्षण असंगठित क्षेत्र के चमड़ा उद्योग में आयोजित हुआ था जिसमें फुटवियर एवं अन्य कला कार्य भी शामिल रहे हैं, जिसके संबंध में रिपोर्टें जारी की जा चुकी हैं।

ii) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन पर मूल्यांकन अध्ययन:

इस सर्वेक्षण का उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में विभिन्न सूचीबद्ध नियोजकों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के क्रियान्वयन की सीमा का मूल्यांकन करना है। अब तक ऐसे 28 अध्ययन आयोजित किए गए हैं तथा सभी रिपोर्टें प्रकाशित की जा चुकी हैं।

अंतिम सर्वेक्षण वर्ष 2014-15 में बीड़ी उद्योग में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के घटकों के मूल्यांकन के अन्तर्गत किया गया था। सर्वेक्षण का आयोजन मध्य प्रदेश में दिसम्बर, 2014 के दौरान किया गया था। इसकी रिपोर्ट अगस्त, 2015 में जारी कर दी गई है।

iii) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित श्रमिकों की कार्यकारी एवं निर्वाह स्थितियों पर सर्वेक्षण

श्रम ब्यूरो ने अनुसूचित जाति श्रमिकों तथा अनुसूचित जनजाति श्रमिकों दोनों के लिए 9 सर्वेक्षण आयोजित किए हैं। अंतिम सर्वेक्षण सितम्बर, 2009 माह में उड़ीसा के कालाहांडी, बोलनगिर तथा कोरापूत जिलों के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में आयोजित किया गया। इसकी रिपोर्ट को जारी कर दिया गया है।

iv) उद्योगों में महिला श्रमिकों की सामाजिक स्थितियों पर सर्वेक्षण

10 Current Labour Activities

Under ASI (Census and Sample), the Reports on Statistics on Employment and Labour Cost Vol. I (2012-13) has been released and Vol. II is in progress.

Socio -Economic Surveys Of Different Segments Of Labour.

Under this scheme following surveys are being conducted:-

i) Survey of Working & Living Conditions of Workers in Unorganised Sector of Industries/Employments:

The aim of the survey is to collect data on working and living conditions of workers engaged in the Unorganised Sector of Industries/employment for amelioration of their lot. So far, 31 surveys have been conducted and all the reports have been released. Latest survey in unorganised sector was conducted in leather industry including Footwear and other Art works, the report for which has been released.

ii) Evaluation Studies on Implementation of The Minimum Wages Act, 1948:

The surveys aim at evaluating the extent to which the Minimum Wages Act, 1948 has been implemented in various scheduled employments in different parts of the country. So far 28 such studies have been conducted and all the reports released.

The last Survey was conducted in Beedi Industry during the year 2014-15. Under the component of Evaluation of Minimum Wages Act, 1948, The survey was launched in the month of December, 2014 in Madhya Pradesh. The report has been released in the month of August, 2015.

iii) Survey on the Working and Living Conditions of Labour belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes:

Labour Bureau has conducted 9 surveys for both Scheduled Castes workers and Scheduled Tribes workers. The last ST survey was conducted in Scheduled Tribes Belt of Kalahandi, Bolangir &

10 वर्तमान श्रम क्रियाकलाप

इन सर्वेक्षणों का उद्देश्य महिला श्रमिकों पर आंकड़ों का एकत्रण संगत श्रम कानूनों की तुलना में उन्हें उपलब्ध कार्यकारी तथा निर्वाह स्थितियों तथा कल्याण सुविधाओं का अध्ययन करने की दृष्टि से करना है। अब तक ऐसे 22 सर्वेक्षण आयोजित किए जा चुके हैं तथा उन पर सभी रिपोर्टें प्रकाशित कर दी गई हैं।

श्रम सांख्यिकी में प्रशिक्षण: ब्यूरो द्वारा सांख्यिकी सूचना के प्रवाह संबंधी गुणवत्ता तथा समयबद्धता में सुधार करने के उद्देश्य से श्रम सांख्यिकी में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वर्ष 2015 के दौरान निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए :

(i) श्रम ब्यूरो कानपुर, में 08/01/2015 को उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम विभाग के 24 कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

(ii) उत्तरी क्षेत्र के विभिन्न केन्द्रों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिसमें जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चण्डीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार तथा झारखंड शामिल हैं।

क) फरीदाबाद 06/01/2015 (31 प्रतिभागी)

ख) शिलोंग में 07/04/2015 को श्रम विभाग के अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

ग) शिमला में 25-05-2015 को डीईएस, हिमाचल प्रदेश के प्रशिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

(iii) आईईएस तथा आईएसएस परिवीक्षाधीन अधिकारियों/जेसीसीएस/आईसीईएस परिवीक्षा अधिकारियों तथा सेवाकालीन वरिष्ठ आईईएस एवं आईएसएस अधिकारियों के लिए तदर्थ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

क) 02/02/2015 से 04/02/2015 तक 37वें बैच के 20 आईएसएस परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

ख) 09/02/2015 से 12/02/2015 तक 36वें बैच के 20 आईएसएस परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

ग) 08/01/2015 को आईएसईसी, कोलकाता से 13 प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

10 Current Labour Activities

Koraput districts of Orissa in the month of September, 2009. The report of the same has been released.

iv) Survey on the Socio-Economic Conditions of Women Workers in Industry:

These surveys aim at collecting data on women workers with a view to study their working and living conditions and welfare facilities available to them vis-à-vis the relevant Labour Laws. So far 22 surveys have been conducted under the segment and all the reports thereon have been released.

TRAINING IN LABOUR STATISTICS: The Bureau imparts training in Labour Statistics with the objective of improving the quality and timeliness in the flow of statistical information. The following training programme were conducted during 2015.

i) Training programme for twenty four labour department officials of Uttar Pradesh Government at Kanpur on 08/01/2015.

ii) Training Programmes at various Centres of Northern Region which includes Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Chandigarh, National Capital Territory Delhi, Uttar Pradesh, Utrakhand, Bihar and Jharkhand.

a) Faridabad 06/01/2015 (31 Participants).

b) Training programme for the benefit of Labour Department Officers on 07.04.2015 at Shillong.

c) Training programme for Trainer's training of DES, Himachal Pradesh on 25.05.2015 at Shimla.

iii) Organization of ad-hoc training programmes for IES and ISS probationers /JCCS / ISEC trainee-officers and in-service Senior Officers of IES and ISS Cadres.

a) Training programme for twenty ISS probationers 37th batch during 02/02/2015 to 04/02/2015

10 वर्तमान श्रम क्रियाकलाप

- घ) 24/06/2015 को आयुद्ध निर्माण, मेडाक, तेलंगाना के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
- ङ) 27/08/2015 को आयुद्ध निर्माण, रक्षा मन्त्रालय, मेडाक, तेलंगाना के 27 कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
- च) 08/10/2015 को आयुद्ध निर्माण, रक्षा मन्त्रालय, मेडाक, तेलंगाना के 20 कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
- छ) 23/11/2015 को श्रम अध्यन्न संस्थान, महाराष्ट्र से 18 प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
- ज) 02/12/15 को आयुद्ध निर्माण, मेडाक, तेलंगाना के 25 कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष 2015 के दौरान जारी/अंतिम रूप दिए गए प्रकाशनों की सूची

- 1 इंडियन लेबल जरनल (मासिक)
- 2 वर्ष 2014 के लिए 2001=100 आधार पर औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की वार्षिक रिपोर्ट
- 3 वर्ष 2013-14 के लिए 1986-87=100 आधार पर खेतीहर एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की वार्षिक रिपोर्ट
- 4 वर्ष 2013 के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की कार्य प्रणाली पर रिपोर्ट
- 5 वर्ष 2012 के लिए बागान श्रम अधिनियम, 1951 की वार्षिक समीक्षा
- 6 वर्ष 2012-13 के लिए प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961 की वार्षिक समीक्षा
- 7 वर्ष 2012 के लिए औद्योगिक स्थापनाएं (स्थाई आदेश) अधिनियम 1946 की समीक्षा

10 Current Labour Activities

- b) Training programme for twenty ISS probationers 36th batch during 09/02/2015 to 12/02/2015
- c) Training programme for thirteen participants from ISEC, Kolkata on 08/01/2015.
- d) Training programme for the employees of Ordnance Factory Medak from Telangana on 24/06/2015.
- e) Training programme for twenty seven participants from Defence Ministry of Ordnance Factory Medak on 27/08/2015.
- f) Training programme for twenty seven participants from Defence Ministry of Ordnance Factory Medak on 08/10/2015.
- g) Training programme for eighteen participants from Labour Studies Institute, Maharashtra on 23/11/2015
- h) Training programme for twenty five officials of Ordnance Factory Medak on 02/12/2015.

LIST OF PUBLICATIONS RELEASED / FINALISED DURING 2015

1. Indian Labour Journal (Monthly)
2. Annual Report on Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers Base 2001=100 for the year 2014.
3. Annual Report on Consumer Price Index Numbers for Agricultural & Rural Labourers Base 1986-87=100 for the year 2013-14.
4. Report on the Working of the Minimum Wages Act, 1948 for the year 2013.
5. The Annual Review on the Plantation Labour Act, 1951 for the year 2012.
6. The Review on the Maternity Benefits Act, 1961 for the years 2012 & 2013.

10 वर्तमान श्रम क्रियाकलाप

- 8 वर्ष 2012-13 के लिए दुकानें एवं वाणिज्यिक अधिनियम की वार्षिक समीक्षा
 - 9 मोटर वाहन कर्मकार अधिनियम, 1961 की समीक्षा (2012)
 - 10 वर्ष 2012 के लिए कर्मकार प्रतिपूर्ति अधिनियम, 1923 की वार्षिक समीक्षा
 - 11 वर्ष 2012 के लिए मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 की कार्य प्रणाली पर रिपोर्ट

 - 12 वर्ष 2012 के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कारखाना सांख्यिकी की वार्षिक रिपोर्ट
 - 13 भारत में ट्रेड यूनियन संबंधी रिपोर्ट-2012
 - 14 बीड़ी उद्योग में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के मूल्यांकन पर रिपोर्ट
 - 15 वर्ष 2013-14 के लिए ग्रामीण भारत में मजदूरी दरें संबंधी रिपोर्ट
 - 16 वर्ष 2011 तथा 2012 के लिए इंडियन लेबर ईयर बुक
 - 17 श्रम सांख्यिकी पाकेट बुक-2013
 - 18 भारतीय श्रम आंकड़ें 2012-13
 - 19 वर्ष 2014-15 के दौरान श्रम ब्यूरो द्वारा की गई गतिविधियों के मुख्य अंशों पर पाकेट बुक तदर्थ सर्वेक्षण
- तदर्थ सर्वेक्षण
- (i) चयनित क्षेत्रों (जुलाई से सितम्बर 2014, अक्टूबर से दिसम्बर, 2014 तथा जनवरी से मार्च 2015) में रोजगार में हुए बदलावों पर 23वीं, 24वीं तथा 25वीं रिपोर्ट
 - ii) चतुर्थ वार्षिक रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण से संबंधित रिपोर्ट

10 Current Labour Activities

7. The Review on the Industrial Establishments Act (Standing orders), 1946 for the year 2012.
 8. The Review on the Shops & Commercial Establishment Act for the years 2012 & 2013.
 9. The Review on the Motor Transport Workers' Act, 1961 – 2012.
 10. The Review on the Workmen's Compensation Act, 1923 – 2012.
 11. The Report on the Working of Payment of Wages Act, 1936 – 2012.
 12. The Annual Report on Statistics of Factories under the Factories Act, 1948 for the year 2012.
 13. The report on Trade Unions in India – 2012.
 14. The report on the Evaluation of Minimum Wages Act, 1948 in Beedi Industry.
 15. The Report on Wage Rates in Rural India for the year 2013-14.
 16. Indian Labour Year Book for the year 2011 & 2012
 17. Pocket Book of Labour Statistics 2013.
 18. Indian Labour Statistics 2012-13.
 19. Pocket Book on Highlights of activities undertaken by Labour Bureau 2014-15
- Ad-hoc Survey
- i) 23rd, 24th and 25th Quarterly Reports on Changes in Employment in Selected Sectors (July to Sept., 2014, Oct., to Dec., 2014 and January to March, 2015).
 - ii) The report on Fourth Annual Employment-Unemployment Survey.

भाग - II
PART - II

1.1 जनसंख्या का वितरण (जनगणना 2011)
1.1 Distribution of Population (2011 census)

जनसंख्या (000 में) Population (in 000's)				
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल Total	ग्रामीण Rural	शहरी Urban	State/ Union Territory
1	2	3	4	1
भारत	1210855	833749	377106	INDIA
जम्मू व कश्मीर	12541	9108	3433	Jammu & Kashmir
हिमाचल प्रदेश	6865	6176	689	Himachal Pradesh
पंजाब	27743	17344	10399	Punjab
चण्डीगढ़	1055	29	1026	Chandigarh
उत्तराखण्ड	10086	7037	3049	Uttarakhand
हरियाणा	25351	16509	8842	Haryana
एन सी टी दिल्ली	16788	419	16369	NCT Delhi
राजस्थान	68548	51500	17048	Rajasthan
उत्तर प्रदेश	199812	155317	44495	Uttar Pradesh
बिहार	104099	92341	11758	Bihar
सिक्किम	611	457	154	Sikkim
अरुणाचल प्रदेश	1384	1066	317	Arunachal Pradesh

सारणी 1.1

Table 1.1

1	2	3	4	1
नागालैंड	1979	1408	571	Nagaland
मणिपुर	2856	2022	834	Manipur
मिजोरम	1097	525	572	Mizoram
त्रिपुरा	3674	2712	961	Tripura
मेघालय	2967	2371	595	Meghalaya
असम	31206	26807	4399	Assam
पश्चिम बंगाल	91276	62183	29093	West Bengal
झारखण्ड	32988	25055	7933	Jharkhand
ओड़ीशा	41974	34971	7004	Odisha
छत्तीसगढ़	25545	19608	5937	Chhattisgarh
मध्य प्रदेश	72627	52557	20069	Madhya Pradesh
गुजरात	60440	34695	25745	Gujarat
दमन एवं दीव	243	60	183	Daman & Diu
दादर एवं नगर हवेली	344	183	161	D & N Haveli
महाराष्ट्र	112374	61556	50818	Maharashtra
आन्ध्र प्रदेश	84581	56362	28219	Andhra Pradesh
कर्नाटक	61095	37469	23626	Karnataka

सारणी 1.1
Table 1.1

1	2	3	4	1
गोवा	1459	552	907	Goa
लक्षद्वीप	64	14	50	Lakshadweep
केरल	33406	17471	15935	Kerala
तमिलनाडु	72147	37230	34917	Tamil Nadu
पुडुचेरी	1248	395	853	Puducherry
अ० एवं नि०द्वीप समूह	381	237	143	A & N Islands

स्त्रोत : भारत के महापंजियक एवं जनगणना आयुक्त

Source : Registrar General & Census Commissioner of India

1.2 कर्मी एवं गैर-कर्मी जनसंख्या का वितरण (जनगणना 2011)

1.2 Distribution of Working and Non-Working Population
(2011 Census)

(दस लाख में) (In millions)

कर्मकार श्रेणी	पुरुष Males	महिलाएं Females	योग Total	Workers Category
1	2	3	4	1
क-कर्मी जनसंख्या				A. Working Population
कृषक	82.76	36.05	118.81	Cultivators
कृषि श्रमिक	82.74	61.59	144.33	Agricultural Labourers
पारिवारिक उद्योग कर्मकार	9.78	8.56	18.34	Household Industry Workers
अन्य कर्मकार	156.66	43.75	200.41	Other Workers
कुल कर्मी जनसंख्या (मुख्य एवं सीमान्त)	331.94	149.95	481.89	Total Working Population (Main + Marginal)
ख-गैर-कर्मी	291.33	437.64	728.97	B. Non-Working Population
कुल जनसंख्या (क+ख)	623.27	587.59	1210.86	Total Population (A+B)

सारणी 1.2
Table 1.2

कर्मकार श्रेणी	कुल जनसंख्या में प्रतिशत वितरण % distribution to total population	कुल पुरुष जनसंख्या में पुरुष कर्मकारों की प्रतिशतता % of male workers to total male population	Working category
1	5	6	1
क-कर्मि जनसंख्या			A- Working Population
कृषक	9.81	13.28	Cultivators
कृषि श्रमिक	11.92	13.27	Agricultural Labourers
पारिवारिक उद्योग कर्मकार	1.52	1.57	Household Industry Workers
अन्य कर्मकार	16.55	25.14	Other Workers
कुल कर्मि जनसंख्या (मुख्य एवं सीमान्त)	39.80	53.26	Total Working Population (Main + Marginal)

सारणी 1.2
Table 1.2

	1	5	6	1
ख-गैर-कर्मि जनसंख्या		60.20	46.74	B- Non Working Population
कुल जनसंख्या (क+ख)		100.00	100.00	Total Population (A+B)

स्त्रोत : भारत के महारजिस्ट्रार/ www.censusindia.gov.in

Source : Registrar General of India/ www.censusindia.gov.in

टिप्पणी : आंकड़ों की परिसीमाओं, परिधि, कार्य प्रणाली एवं अन्य विवरण के लिए वेबसाइट का अवलोकन करें

Note : For limitations of data, coverage, methodology and other details, kindly refer to the website.

पूर्णांक करने के कारण योग सम्भवतः न मिले।

Total may not tally due to rounding off figures.

1.3 जनसंख्या का श्रम शक्ति की स्थिति के अनुसार प्रतिशत वितरण
(कार्यरत एवं बेरोजगार जनसंख्या में सामान्य मुख्य स्थिति
एवं वर्तमान साप्ताहिक स्थिति)

(ग्रामीण एवं शहरी) २००० से ५९वें से ६८वें दौर तक

1.3 Percentage of persons in Labour Force (employed and
unemployed in the population in usual principal status and
current weekly status) (Rural & Urban) 59th to 68th round

सर्वेक्षण अवधि Survey Period	संदर्भ काल Reference Period	(क) ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत (a) Percentage of Rural Population		
		श्रम शक्ति Labour Force	नियोजित Emp- loyed	अनियोजित Unem- ployed
1	2	3	4	5
जनवरी, 03 से दिसम्बर, 03 Jan, 2003 to Dec, 2003	वर्ष Year	44.47	43.74	0.73
	साप्ताह Week	44.29	43.20	1.09
जनवरी, 04 से जून, 04 Jan, 2004 to June, 2004+	वर्ष Year	43.98	42.96	1.02
	साप्ताह Week	45.07	43.00	2.07
जुलाई, 04 से जून, 05 July, 2004 to June, 2005	वर्ष Year	45.07	43.96	1.10
	साप्ताह Week	47.04	45.19	1.85

सारणी 1.3
Table 1.3

1	2	3	4	5
जुलाई, 05 से जून, 06 July, 2005 to June, 2006	वर्ष Year	43.90	42.84	1.07
	साप्ताह Week	45.71	43.88	1.83
जुलाई, 07 से जून, 08 July, 2007 to June, 2008	वर्ष Year	43.37	42.42	0.96
	साप्ताह Week	44.53	42.79	1.74
जुलाई, 09 से जून, 10 July, 2009 to June, 2010	वर्ष Year	42.19	41.32	0.87
	साप्ताह Week	43.46	42.01	1.45
जुलाई, 11 से जून, 12 July, 2011 to June, 2012	वर्ष Year	40.35	39.42	0.93
	साप्ताह Week	42.04	40.62	1.42

सारणी 1.3
Table 1.3

सर्वेक्षण अवधि Survey Period	संदर्भ काल Reference Period	(ख) शहरी जनसंख्या का प्रतिशत (b) Percentage of Urban Population		
		श्रम शक्ति Labour Force	नियोजित Emp-loyed	अनि-योजित Unem- ployed
1	2	6	7	8
जनवरी 04 से जून, 04 Jan, 2004 to June, 2004	वर्ष Year	38.85	36.78	2.07
	साप्ताह Week	39.77	37.23	2.53
जुलाई, 04 से जून, 05 July, 2004 to June, 2005	वर्ष Year	40.00	37.88	2.12
	साप्ताह Week	41.05	38.57	2.48
जुलाई, 05 से जून, 06 July, 2005 to June, 2006	वर्ष Year	38.72	36.64	2.08
	साप्ताह Week	39.37	36.95	2.42
जुलाई, 07 से जून, 08 July, 07 to June, 08	वर्ष Year	38.99	37.24	1.75
	साप्ताह Week	39.55	37.56	1.99

सारणी 1.3
Table 1.3

जुलाई, 09 से जून, 10	वर्ष	38.17	36.75	1.41
July, 2009 to June, 2010	Year			
	साप्ताह	38.79	37.14	1.65
	Week			
जुलाई, 11 से जून, 12	वर्ष	38.35	36.88	1.47
July, 2011 to June, 2012	Year			
	साप्ताह	39.13	37.41	1.72
	Week			

स्रोत : रा० प्र० सं० सं०

Source : N.S.S.O.

टिप्पण: प्रतिशतता की गणना डिनोमिनेटर में 5 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या से की गई है।

Note : Percentages are calculated by taking population for age 5 years and above in the denominator.

वर्ष का संबन्ध सामान्य मुख्य स्थिति एवं साप्ताह का साप्ताहिक स्थिति से है।

Year corresponds to usual principal status and week correspond to current weekly status

2.1(क) सार्वजनिक क्षेत्र में अनुमानित नियोजन (शाखानुसार)
मार्च के अंत में

2.1(a) Estimated Employment in Public Sector
(By Branches) at the end of March

(लाखों में) (In lakhs)

शाखा	2011	2012	Branch
केन्द्रीय सरकार	24.63	25.20	Central Government
राज्य सरकारें	72.18	71.84	State Governments
अर्ध- सरकारी (केन्द्रीय + राज्य)	58.14	57.98	Quasi Government (Central +State)
स्थानीय निकाय	20.53	21.07	Local Bodies
योग	175.48	176.09	Total

स्त्रोत : म० नि० रो० एवं प्र०
Source: DGE&T

2 नियोजन

2 EMPLOYMENT

2.1 (ख) संगठित क्षेत्र में नियोजन (मुख्य उद्योगानुसार) मार्च के अन्त में
2.1(b) Employment in Organised Sector (By Major Industries) at the end of March
 (लाखों में) (in lakhs)

उद्योग भाग कोड	2011		2012		Indus- try sect- ion Code
	सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	निजी क्षेत्र Private Sector	सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	निजी क्षेत्र Private Sector	
1	2	3	4	5	1
क	4.62	9.16	4.58	9.21	A
ख	0.15	0.02	0.16	0.03	B
ग	10.90	1.32	10.75	1.38	C
घ	10.16	53.97	10.71	55.26	D
ङ	8.31	0.70	8.20	0.62	E
च	8.47	1.02	8.32	1.18	F
छ	1.59	3.38	1.60	3.75	G
ज	0.11	2.08	0.12	2.24	H
झ	23.84	1.89	24.93	2.14	I
ञ	10.99	4.26	10.99	4.57	J
ट	2.62	12.91	2.63	14.58	K
ठ	47.51	0.14	47.56	0.15	L
ड	26.54	18.06	26.26	18.37	M
ढ	13.72	2.79	13.46	3.12	N
ण	2.70	1.44	2.67	1.74	O

2 नियोजन

2 EMPLOYMENT

सारणी 2.1 (ख)
Table 2.1(b)

1	2	3	4	5	1
त	0.01	0.09	0.02	0.10	P
थ	0.46	0.98	0.39	0.97	Q
योग	172.71	114.22	173.32	119.40	Total

स्त्रोत : (वार्षिक नियोजन संकलन वर्ष 2011 तथा 2012) मॉनिटरिंग एंड प्रोग्राम

Source : (Annual Employment Review, 2011 & 2012) DGE&T

टिप्पण :

Note :

- वर्ष 2011 व 2012 के लिए जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर और दमन एवं दीव के संबंध में रा० औ० व० 1998 के अनुसार सूचना योग में शामिल नहीं है अतः उद्योगानुसार आंकड़ें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के साथ आपस में न मिलें।
- Industry wise break up may not tally with the Public and Private Sector due to non inclusion of data as per NIC 1998 in respect of J&K, Manipur & Daman & Diu in 2011 & 2012
- सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दादर एवं नगर हवेली तथा लक्षद्वीप को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह प्रोग्राम से बाहर है।
- Excludes Sikkim, Arunachal Pradesh, Dadar & Nagar Haweli and Lakshadweep as these are not yet covered under the programme

2 नियोजन

2 EMPLOYMENT

2.2 (क) खानों में खनिजानुसार नियोजन
(नियोजित कर्मकारों की औसत दैनिक संख्या)
2.2(a) Employment in Mines by Minerals
(Average Daily No. of Workers Employed)

('000 में) (in 000's)

खनिज पदार्थ	2011	2012	2013	Mineral
कोयला	366	359	358	Coal
खनिज तांबा	3	4	4	Copper
क्रोमाइट	9	9	10	Chromite
हीरा	-	-	-	Diamond
सोना	3	3	3	Gold
जिप्सम	-	-	-	Gypsum
खनिज लोहा	53	55	53	Iron Ore
चूना पत्थर	29	30	34	Lime Stone
मैगनेसाइट	2	2	2	Magnesite
खनिज मैगनीज	16	17	17	Manganese Ore
अभ्रक	1	1	1	Mica
पत्थर	7	7	7	Stone
अन्य	50	52	54	Others

स्त्रोत : म० नि० खा० सु०
Source : DGMS

2 नियोजन

2 EMPLOYMENT

2.2(ख) खानों में राज्यानुसार फर्मकारों की औसत दैनिक संख्या
(वर्गानुसार)

2.2(b) State-wise Average Daily No. of Workers Employed in
Mines (By Category)
(⁰⁰⁰ में) (in 000's)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सतह के नीचे Below Ground	खादान कार्य Open Cast	सतह पर Above Ground	State/Union Territory
1	2	3	4	1
2011£				
आन्ध्र प्रदेश	44	12	8	Andhra Pradesh
अरुणाचल प्रदेश	0.4	Arunachal Pradesh
असम	1	1	1	Assam
बिहार	@	@	@	Bihar
छत्तीसगढ़	18	5	9	Chhattisgarh
गोवा	-	-	-	Goa
गुजरात	..	2	1	Gujarat
हरियाणा	-	-	-	Haryana
हिमाचल प्रदेश	-	-	-	Himachal Pradesh
जम्मू व कश्मीर	1	-	-	Jammu & Kashmir
झारखण्ड	40	24	31	Jharkhand
कर्नाटक	-	-	-	Karnataka

2 नियोजन

2 EMPLOYMENT

सारणी 2.2 (ख)
Table 2.2(b)

1	2	3	4	1
केरल	-	-	-	Kerala
मध्य प्रदेश	25	8	13	Madhya Pradesh
महाराष्ट्र	11	11	12	Maharashtra
मणिपुर	Manipur
मेघालय	Meghalaya
मिजोरम	Mizoram
नागालैंड	Nagaland
ओड़ीसा	4	9	6	Orissa
पंजाब	Punjab
राजस्थान	-	1	0.2	Rajasthan
तमिलनाडु	..	10	4	Tamil Nadu
त्रिपुरा	Tripura
उत्तराखण्ड	..	-	..	Uttarakhand
उत्तर प्रदेश	..	6	2	Uttar Pradesh
पश्चिम बंगाल	35	4	17	West Bengal
अ० एवं नि० द्वीप समूह	A & N Islands

2 नियोजन

2 EMPLOYMENT

सारणी 2.2(ख)
Table 2.2(b)

1	2	3	4	1
		2012₹		
आन्ध्र प्रदेश	40	22	13	Andhra Pradesh
अरुणाचल प्रदेश	Arunachal Pradesh
असम	1	1	1	Assam
बिहार	Bihar
छत्तीसगढ़	19	12	13	Chhattisgarh
गोवा	Goa
गुजरात	..	5	1	Gujarat
हरियाणा	Haryana
हिमाचल प्रदेश	Himachal Pradesh
जम्मू व कश्मीर	1	Jammu & Kashmir
झारखण्ड	39	32	38	Jharkhand
कर्नाटक	Karnataka
केरल	Kerala
मध्य प्रदेश	28	16	16	Madhya Pradesh
महाराष्ट्र	11	11	13	Maharashtra
मणिपुर	Manipur
मेघालय	Meghalaya
मिजोरम	Mizoram

2 नलडुऑन**2 EMPLOYMENT**सारणी 2.2(ख)
Table 2.2(b)

1	2	3	4	1
नागालैंड	Nagaland
ओड़ीसा	6	29	25	Odisha
पंजाब	Punjab
राजस्थान	..	16	8	Rajasthan
तमिलनाडु	..	15	4	Tamil Nadu
त्रिपुरा	Tripura
उत्तराखण्ड	Uttarakhand
उत्तर प्रदेश	..	6	3	Uttar Pradesh
पश्चिम बंगाल	34	5	16	West Bengal
अ० एवं नि० द्वीप समूह	A & N Islands

2 नियोजन

2 EMPLOYMENT

सारणी 2.2(ख)
Table 2.2(b)

1	2	3	4	1
2013				
आन्ध्र प्रदेश	40	23	13	Andhra Pradesh
अरुणाचल प्रदेश	-	-	0.4	Arunachal Pradesh
असम	0.4	0.8	0.6	Assam
बिहार	@	@	@	Bihar
छत्तीसगढ़	19	13	12	Chhattisgarh
गोवा	-	-	-	Goa
गुजरात	..	5	1.6	Gujarat
हरियाणा	-	-	-	Haryana
हिमाचल प्रदेश	-	-	-	Himachal Pradesh
जम्मू व कश्मीर	0.4	-	-	Jammu & Kashmir
झारखण्ड	39	33	38	Jharkhand
कर्नाटक	-	-	-	Karnataka
केरल	-	-	-	Kerala
मध्य प्रदेश	25	14	18	Madhya Pradesh
महाराष्ट्र	10	12	13	Maharashtra
मणिपुर	-	-	-	Manipur
मेघालय	-	0.4	0.1	Meghalaya
मिजोरम	-	-	-	Mizoram

2 नलडुऑन

2 EMPLOYMENT

सलरणी 2.2(ख)
Table 2.2(b)

1	2	3	4	1
नलडलडुड	-	-	-	Nagaland
ओडुडसल	5.8	32.3	28.2	Odisha
डुडलड	..	-	-	Punjab
रलडसुथलन	4	16	8	Rajasthan
तडुडलनलडु	-	20	5	Tamil Nadu
तुरलडुरल	-	-	-	Tripura
उतुतरलखणुड	-	-	-	Uttarakhand
उतुतर डुरडेश	-	4.7	4.2	Uttar Pradesh
डुडुडलड डुडुडलड	33	4.8	15.6	West Bengal
अ० ँवुं नल० दुडुडलड सडुडुड	..		-	A & N Islands

सुतुरुत : ड० नल० खल० सु०
Source : DGMS

2 नियोजन

2 EMPLOYMENT

2.3 रेलवे, डाक, दूर संचार, बीमा तथा बैंकों में नियोजन (31 मार्च को)
**2.3 Employment in Railways, Posts, Telecommunications,
 Insurance and Banks (As on 31st March)**
 ('000 में) (in 000's)

	2013	2014	2015	
रेलवे ++	1307	1334	1326	Railways ++
डाक	466.30	459.95	..	Posts
दूर संचार ##	Telecommuni- cations ##
बीमा				Insurance
i) जीवन	116.71	120.38	117.45	i) Life
ii) गैर जीवन ^	66	66	64	ii) Non-Life ^
i) बैंक #&	1220.73	1253.96	1291.54	i) Banks #&
ii) भारतीय रिजर्व बैंक &	17.45	17.33	16.67	ii) Reserve Bank of India &

स्रोत: रेलवे बोर्ड, तार विभाग, दूरसंचार विभाग, जी० बी० नि०, भा० सं० बी० सा० क्षेत्र सं० एवं भा० रि० बैंक

Source : Railway Board; Deptt. Of Posts; Deptt. Of Telecommunications; LIC, GIPSA & RBI.

++ रेलवे संरक्षण विशेष बल के कर्मचारी भी शामिल हैं।

++ Includes Railways Protection Special Force personnel also

इसमें 2001 से आगे भारतीय संचार निगम लिमिटेड तथा 2000 से आगे एम टी एन एल शामिल है।

Includes BSNL from 2001 onwards and MTNL from 2000 onwards.

सारणी 2.3

Table 2.3

^ आंकड़े केवल चार सार्वजनिक क्षेत्र गैर जीवन बीमा साधारण बीमा कम्पनियों (भा० बी० सार्व० क्षेत्र की सहयोगी कम्पनियों) नामतः नेशनल इंशोरेंस कम्पनी लि०, न्यू इंडिया इंशोरेंस कम्पनी लि०, ओरिएण्टल इंशोरेंस कम्पनी लि० और युनाइटेड इंडिया इंशोरेंस कम्पनी लि० से संबंधित हैं।

^ The statistics relate only to four non life general Insurance Companies in public Sector (GIPSA member companies) namely National Insurance Co. Ltd., New India Insurance Co. Ltd., The Oriental Insurance Co. Ltd., and United India Insurance Co. Ltd.

& वर्ष 2013 से आंकड़े जुन के अन्त से दिये जा रहे हैं।

& from 2013, data are furnished as on end June

आंकड़ों में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक, क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक सहित के आंकड़े शामिल हैं।

Figures includes data of all Scheduled Commercial Banks including Regional Rural Banks

2 नियोजन

2 EMPLOYMENT

2.4 अनुमानित नियोजन सूचकांक

2.4 Index Numbers of Estimated Employment

क्षेत्र	आधार Base	2013	2014	2015	Sector
1	2	3	4	5	1
दूर संचार	1960=100	Tele communi- cations
रेल	1960=100	113.3	115.6	114.9	Railways
डाक	1970=100	113.45	111.90	..	Posts
बैंक [^] %	1961=100	931.0	955.9	983.7	Banks [^] %
कारखाने	1980=100	Factories
खाने	1970=100	96.05	Mines
कोयला खाने	1970=100	91.73	Coal Mines
बागान	1970=100	Plantation
i) चाय		114.87	i) Tea
ii) काफी		40.24	ii) Coffee
iii) रबड़		43.69	iii) Rubber

स्त्रोत : श्रम ब्यूरो, मॉनिस्टांसु, रेलवे बोर्ड, डाक विभाग, दूरसंचार विभाग, एवं भारि बैं
Source : Labour Bureau; DGMS; Railway Board; Deptt. Of Posts; Deptt. Of
Telecommunication and RBI

[^] बैंको में भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रिय ग्रामिण बैंको सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक शामिल हैं।

[^] Banks include all Scheduled Commercial Banks including Regional Rural Banks and Reserve Bank of India

% श्रंखलाबद्ध सूचकांक के लिए योजक संबन्धित पद्धती

% link relative method for chain indices

3.1 रोजगार कार्यालय एवं उनके कार्यकलाप

3.1 Employment Exchanges and their Activities

1	2	3	4	1
	2012	2013	2014	
रोजगार कार्यालयों की संख्या +	956	956	978	No. of Employment Exchanges +
पंजीकरण ('000 में)	9722	5969	5957	Registration (in 000's)
अधिसूचित रिक्तियां ('000 में)	683	511	762	Vacancies notified (in 000's)
नियुक्तियां ('000 में)	428	348	338	Placements (in 000's)
चालू पंजियों में आवेदक ('000 में)+	44790	46802	48261	Total number of applicants on Live Register (in 000's) +

सारणी 3.1

Table 3.1

1	2	3	4	1
क) अनुसूचित जाति आवेदक ('000 में)	7166	7292	..	a) Scheduled Castes applicants (in 000's)
(ख) अनुसूचित जनजाति आवेदक ('000 में)	2530	2487	..	b) Scheduled Tribes applicants (in 000's)
(ग) अन्य आवेदक ('000 में)	..	33082	..	c) Other applicants (in 000's)

स्त्रोत : मा नि० रो० एवं प्र०

Source : DGE&T

+ वर्ष के अन्त में

+ At the end of the year

3.2 रोजगार कार्यालयों की चालू पंजी में व्यावसायिक मुख्य समूहानुसार आवेदक

3.2 Job Seekers on Live Register of Employment Exchanges
classified by Broad Occupational Groups

(31 दिसम्बर को) (000 में) (as on 31 December) (in 000's)

व्यवसायिक समूह एन सी ओ 2004	चालू पंजियों में संख्या Number on Live Registers			Occupational Groups NCO 2004
	2011	2012	2013	
1	2	3	4	1
विधायक, वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रबंधक	139.5	109.6	96.0	Legislators, Senior Officials & Managers
पेशेवर	3016.1	2929.3	2592.7	Professional,
तकनीकी एवं सम्बंधित पेशेवर	1808.3	1831.7	1743.7	Technicians and Associate Professionals
लिपिक	935.1	865.3	1520.7	Clerks
सेवा संबंधी कर्मकार तथा दुकान एवं बाजार विक्रय कर्मकार	319.5	341.0	332.0	Service workers and shops and market sales workers
कुशल कृषक एवं मत्स्य कर्मकार	125.0	137.4	70.3	Skilled Agriculture and Fishery workers

सारणी 3.2
Table 3.2

1	2	3	4	1
शिल्प तथा संबंधित व्यवसाय कर्मकार	1406.3	1330.8	1369.0	Craft and related trade workers
प्लांट एवं मशीन चालक	881.7	737.5	872.0	Plant and machine operators
प्रारंभिक व्यवसाय	277.4	290.4	390.8	Elementary occupations
व्यवसाय अवर्गीकृत कर्मकार	31262.7	36217.1	37815.0	Workers not classified by Occupations
योग	40171.6	44790.1	46802.5	Total

स्त्रोत : म० नि० रो० एवं प्र०
Source : DGE&T

3.3 रोजगार कार्यालयों की चालू पंजी में शिक्षित आवेदकों की संख्या

3.3 No. of Educated Applicants on Live Register of
Employment Exchanges

(000' में) (in 000's)

आवेदक वर्ग	चालू पंजी में संख्या+			Category of Applicants
	Number on Live Register+			
	2011	2012	2013	
दसवीं पास	15348	16836	18760	Matriculates
उच्चतर माध्यमिक, इटरमीडिएट और अवर स्नातक सहित	9678	11744	12118	Higher Secondary including Intermediate and Under Graduates
स्नातक तथा उससे उच्च	7080	8918	9142	Graduates and above
योग	32105	37497	..	Total

स्त्रोत : म० नि० रो० एवं प्र०

Source : DGE&T

+ वर्ष के अन्त में + at the end of the year

3 रोजगार सेवाएं एवं प्रशिक्षण

3 EMPLOYMENT
SERVICES AND TRAINING

3.4 रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक के अधीन प्रशिक्षण कार्यकलाप शिल्पकार प्रशिक्षण योजनाओं के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों में स्थान-क्षमता और शिष्टु अधिनियम, 1961 के अर्न्तगत शिष्टुओं की संख्या

3.4 Training Activities under the DGE&T

Seating capacity of Industrial Training /Centres under the Craftsmen Training Schemes and the number of Apprentices engaged under the Apprentice Act, 1961

प्रशिक्षण योजना	संख्या Number		Scheme/Activity
	2013	2014	
1	2	3	1

क शिल्पकार प्रशिक्षण योजना

A. Craftsman Training Scheme

रा० व्य० प्र० प० से सम्बद्ध प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों की संख्या	10750	..	No. of Training Institutes/Centres affiliated to N.C.V.T
सरकारी औ०प्र०सं०	2275	..	Govt. ITI
निजी औ० प्र० के०	8475	..	Pvt. ITC
स्थान-क्षमता	1523696	..	Seating capacity

सारणी 3.4
Table 3.4

1	2	3	1
ख शिक्ष अधिनियम, 1961 के अधीन प्रशिक्षण			
B. Training under the Apprentices Act 1961			
प्रतिष्ठानों की संख्या जो शिक्षुओं को रखती है	28500	28500*	No. of Establishments engaging Trade apprentices
प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षुओं की सीटें	359396	384000*	No. of Trade Apprenticeship seats located

स्त्रोत : म० नि० रो० एवं प्र०
Source : DGE&T

रा०व्य०प्र०प० = राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद
NCVT = National Council of Vocational Training
औ० प्र० सं० = औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
ITI = Industrial Training Institute
औ० प्र० के० = औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र
ITC = Industrial Training Centre

3 रोजगार सेवाएं एवं प्रशिक्षण**3 EMPLOYMENT SERVICES AND TRAINING****3.5 कारखाना सप्ताह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम**

(केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय श्रम संस्थानों और गोदी सुरक्षा निरीक्षणालयों में)

3.5 Training Programmes conducted by DGFASLI
(Central, Regional Labour Institutes and Dock Safety Inspectorate)

निम्न द्वारा संचालित कार्यक्रम	प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या No. of Training Programmes	प्रतिनिहित संस्थानों की संख्या No. of Organisations represented	भाग लेने वालों की संख्या No. of Participants	Programmes Conducted by
1	2	3	4	1
2014				
के०श्र०सं० मुम्बई	157	545	3616	CLI, Mumbai
के०श्र०सं० कोलकाता	75	707	2150	RLI Kolkata
के०श्र०सं० कानपुर	7	51	86	RLI Kanpur
के०श्र०सं० चेन्नई	28	481	815	RLI Chennai
के०श्र०सं०फरिदाबाद	8	66	121	RLI Faridabad
गोदी सुरक्षा	15	63	253	Dock Safety

सारणी 3.5
Table 3.5

1	2	3	4	1
2015				
के०श्र०सं० मुम्बई	183	439	4282	CLI, Mumbai
के०श्र०सं० कोलकाता	45	254	1190	RLI Kolkata
के०श्र०सं० कानपुर	29	75	159	RLI Kanpur
के०श्र०सं० चेन्नई	21	113	472	RLI Chennai
के०श्र०सं० फरिदाबाद	5	25	72	RLI Faridabad
गोदी सुरक्षा	14	54	210	Dock Safety

स्त्रोत : म० नि० का० सं० एवं श्र० सं०

Source : DGFASLI

के०श्र०सं० = केन्द्रीय श्रम संस्थान
के०श्र०सं० = क्षेत्रीय श्रम संस्थानCLI = Central Labour Institute
RLI = Regional Labour Institute

3 रोजगार सेवाएं एवं प्रशिक्षण**3 EMPLOYMENT SERVICES AND TRAINING**

3.6 दत्तोपन्त टेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं व्यवसाय संघों तथा अन्य संस्थानों हेतु सहायता अनुदान 31-3-2015 तक

3.6 Training Programmes conducted by Dattopant Thengadi National Board for Workers Education and Development (erstwhile CBWE) and Grants in aid to Trade Unions and other Institutions upto 31-3-2015

योजना/ वर्ष	खोले गये क्षेत्रीय निदेश- शालाय Regional Directorates opened	शिक्षा अधि- कारी Educ- tion Offi- cers	प्रशि- क्षार्थी Train- ers	व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम Person- ality Devel- opment Prog- rammes	Plan/ Year
1	2	3	4	5	1
सातवीं योजना					Seventh Plan
1985-90	1	78	6588	19677	1985-90
वार्षिक योजनाएं					Annual Plans
1990-91	1	0	1209	3957	1990-91
1991-92	3	24	1305	3904	1991-92
आठवीं योजना					Eighth Plan
1992-97	0	75	5721	17397	1992-97

सारणी 3.6

Table 3.6

1	2	3	4	5	1
नौवीं योजना					Ninth Plan
1997-2002	1	0	2737	16495	1997-2002
दसवीं योजना					Tenth Plan
2002-07	1	81	1470	10606	2002-07
ग्यारवी योजना					Eleventh Plan
2007-12	0	0	1134	7275	2007-12
(बाहरवी योजना)					(Twelfth Plan)
वार्षिक योजनाए	0	0	204	1158	Annual Plan
2012-13					2012-13
2013-14	0	0	195	988	2013-14
2014-15	0	0	185	1075	2014-15

सारणी 3.6
Table 3.6

योजना/ वर्ष	कर्मकार Workers in		ग्रामीण स्वयं सेवक Rural Volun- teers	Plan/Year
	इकाई स्तर कक्षाएं Unit Level Classes	कम अवधि कार्य-क्रम Short Term Progra- mmes		
1	6	7	8	1
सातवीं योजना				Seventh Plan
1985-90	279194	170485	236	1985-90
वार्षिक योजनाएं				Annual Plans
1990-91	52385	46041	169	1990-91
1991-92	52424	47504	124	1991-92
आठवीं योजना				Eighth Plan
1992-97	230281	240562	1054	1992-97

सारणी 3.6

Table 3.6

1	6	7	8	1
नौवीं योजना				Ninth Plan
1997- 2002	112171	706939	149	1997-2002
दसवीं योजना				Tenth Plan
2002-07	28071	336173	0	2002-07
ग्यारवी योजना				Eleventh Plan
2007-12	15361	281622	0	2007-12
(बाहरवी योजना) वार्षिक योजनाए				(Twelfth Plan) Annual Plan
2012-13	2318	46542	0	2012-13
2013-14	1757	47169	0	2013-14
2014-15	2306	43437	0	2014-15

सारणी 3.6
Table 3.6

योजना/वर्ष	कर्मकार Workers in			Plan/Year
	ग्रामीण जानकारी कैम्प Rural Aware- ness Camp	असंगठित क्षेत्र कैम्प Unorga- nised Sector Camps	कार्यात्मक व्यस्क साक्षरता कक्षाएं Function- al Adult Literacy Classes	
1	9	10	11	
सातवीं योजना				Seventh Plan
1985-90	451936	60027	64749	1985-90
वार्षिक योजनाएं				Annual Plans
1990-91	139798	17138	13607	1990-91
1991-92	136861	18321	9972	1991-92
आठवीं योजना				Eighth Plan
1992-97	494239	84909	40258	1992-97

सारणी 3.6
Table 3.6

1	9	10	11	
				Ninth Plan
नौवीं योजना				
1997-2002	403588	187672	9310	1997-2002
				Tenth Plan
दसवीं योजना				
2002-07	516765	623111	1698	2002-07
				Eleventh Plan
ग्यारवीं योजना				
2007-12	500276	700578	343	2007-12
(बाहरवीं योजना) वार्षिक योजनाएं 2012-13	90442	281710	366	(Twelfth Plan) Annual Plan 2012-13
2013-14	91742	285942	185	2013-14
2014-15	66564	237208	51	2014-15

सारणी 3.6

Table 3.6

योजना/वर्ष	व्यवसायिक संघ/ संस्थान जिन्हें अनुदान सहायता दी गई		Plan/Year
	Grants-in-aid to Trade Unions/ Institutions		
	अनुदान प्राप्त संघों / संस्थानों की संख्या	दी गई राशी Amount paid (in Rs)	
	Number of Unions / Institutions receiving grant		
1	12	13	1
सातवीं योजना 1985-90	1072	4158329.00	Seventh Plan 1985-90
वार्षिक योजनाएं 1990-91	122	637841.00	Annual Plans 1990-91
1991-92	128	535341.40	1991-92
आठवीं योजना 1992-97	469	2432077.85	Eighth Plan 1992-97

सारणी 3.6
Table 3.6

1	12	13	1
नौवीं योजना			Ninth Plan
1997-2002	366	2325711.90	1997-2002
दसवीं योजना			Tenth Plan
2002-07	255	3351626.00	2002-07
ग्यारवीं योजना			Eleventh Plan
2007-12	192	5011108.00	2007-12
(बाहरवीं योजना)			(Twelfth Plan)
वार्षिक योजनाएं			Annual Plan
2012-13	51	782928.00	2012-13
2013-14	39	593961.00	2013-14
2014-15	35	512325.00	2014-15

स्त्रोत : के०श्र०सि०बो०
Source : CBWE

4 मजदूरी एवं उपार्जन

4 WAGES AND EARNINGS

4.1 खानों में कर्मकारों का उपार्जन (धन उपार्जन)
4.1 Earnings of Workers in Mines (Money Earnings)
 (रुपयों में) (In Rupees)

खनिज पदार्थ	दिसम्बर में औसत साप्ताहिक उपार्जन Average Weekly Earnings in December		Mineral
	2012	2013	
1	2	3	1
कोयला खनिक (समस्त भारत)			Coal Miners (All India)
(क) सतह के नीचे (खनिक और भारक)	11066	8447	a) Below ground (Miners and Loaders)
(ख) खादान कार्य (खनिक और भारक)	7602	6683	b) Open-Cast Working (Miners and Loaders)
(ग) कुल	11436	10124	c) Overall
अभ्रक (झारखण्ड)			Mica (Jharkhand)
(क) सतह के नीचे (पाश्चिम खनिक और भारक)	881	942	a) Below ground (Face Workers and Loaders)
(ख) खादान कार्य (खनिक और भारक)	..	1370	b) Open-Cast Working (Miners and Loaders)
(ग) कुल	883	1442	c) Overall
मैंगनीज (मध्य प्रदेश)			Manganese (Madhya Pradesh)

सारणी 4.1
Table 4.1

1	2	3	1
(क) सतह के नीचे (पार्श्व खनिक और भारक)	2783	6248	a) Below ground (Face Workers and Loaders)
(ख) खादान कार्य (खनिक और भारक)	600	2390	b) Open-Cast Working (Miners and Loaders)
(ग) कुल	2680	3201	c) Overall
खनिज लोहा (समस्त भारत)			Iron Ore (All India)
(क) सतह के नीचे (पार्श्व खनिक और भारक)	a) Below ground (Face Workers and Loaders)
(ख) खुला खादान कार्य (खनिक और भारक)	2638	4796	b) Open-Cast Working (Miners and Loaders)
(ग) कुल	3691	5050	c) Overall

स्त्रोत : म० नि० खा० ंसु०
Source : DGMS

4.2 धन उपार्जन सूचकांक (आधार 1975=100)
4.2 Index of Money Earnings (Base 1975=100)

खनिज पदार्थ	2012	2013	Mineral
बाक्साइट	3955.48	4469.24	Bauxite
चीनी मिट्टी	3883.09	6202.02	China Clay
क्रोमाइट	5274.99	5964.98	Chromite
तांबा	5739.47	3144.35	Copper
डोलोमाइट	2852.37	1979.38	Dolomite
तापसह मिट्टी	4087.99	8712.06	Fire Clay
कच्चा सीसा एवं स्फलेराइट	5318.85	6587.15	Galena & Sphalerite
सोना	1222.85	1275.64	Gold
जिप्सम	5125.91	8354.28	Gypsum
लोहा	6068.21	7487.47	Iron
चूना-पत्थर	3864.81	5262.48	Lime Stone
मैग्नेसाइट	2905.56	3089.49	Mangnesite
मैग्नीज	6744.42	13212.7	Manganese
अभ्रक	2358.17	1563.13	Mica
सेलखड़ी	3636.87	4746.5	Stealite
पत्थर	5182.29	6926.12	Stone
धातुमय	4806.86	6717.88	Metalliferous
कोयला	4092.69	2733.52	Coal

स्त्रोत : म० नि० खा० ंसु०
Source : DGMS

5.1 रेलवे की औद्योगिक क्षतियों की संख्या एवं आपात दर
5.1 Number of Industrial Injuries and Incidence Rates
in Railways

	2013	2014	2015	
क्षतियों की संख्या				No. of Injuries
घातक	49	183	188	Fatal
अघातक	1199	918	1097	Non-Fatal
क्षतियों की आपात दर (प्रति हजार कर्मकार)				Incidence rates of Injuries (per 1000 workers)
घातक	0.04	0.14	0.14	Fatal
अघातक	0.93	0.70	0.84	Non-Fatal

स्त्रोत : रेलवे बोर्ड
Source : Railway Board

5.2 खनिज वर्गानुसार खानों में औद्योगिक क्षतियां
5.2 Industrial Injuries in Mines
(खनिज श्रेणी अनुसार) (By Class of Minerals)

खनिज	संख्या Number		दर प्रति हजार व्यक्ति नियोजित Rate per 1000 persons employed		Mineral
	घातक Fata- lity	गम्भीर क्षति Serio- usly Injured	घातक Fata- lity	गम्भीर क्षति Serio- usly Injured	
1	2	3	4	5	1
2013					
1. कोयला	82	468	0.23	1.31	1. Coal
2. गैर -कोयला					2. Non-Coal
तेल	5	18	0.19	0.69	Oil
एपाटाइट एवं राक फोस्फेट	1	-	54	-	Apatite & Rock Phosphate
एस्बैस्टस	2	-	Asbestos
चिनी मिट्टी, मिट्टी, सफेद मिट्टी	1	-	35	-	China Clay, Clay, White Clay
क्रोमाईट	-	3	-	0.30	Chromite
तोबा	-	8	-	2.14	Copper

सारणी 5.2
Table 5.2

1	2	3	4	5	1
डोलोमाइट	1	2	0.34	0.69	Dolomite
गैलेना एवं स्फेलेराइट	3	10	0.67	2.23	Galena & Sphalerite
सोना	1	2	0.29	0.59	Gold
ग्रेनाइट	11	2	0.89	0.16	Granite
जिप्सम	2	-	5.68	-	Gypsum
लोहा	5	6	0.09	0.11	Iron
लेटराइट	1	-	2.70	-	Laterite
चूना पत्थर	3	3	0.09	0.09	Limestone
मैग्नेसाइट	0	1	-	0.42	Magnesite
मैंगनीज	2	-	0.11	-	Manganese
मारबल	12	3	5.45	1.36	Marble
अभ्रक	2	-	3.46	-	Mica
क्वार्ट्ज	1	2	0.92	1.85	Quartz
सिलिका	1	-	0.34	-	Silica
सिलिमनाइट	-	1	-	0.25	Sillimanite
स्टीआटाइट	1	2	0.21	0.41	Steatite
पत्थर	19	4	2.54	0.53	Stone
परमाणु खनिज	-	1	Atomic Mineral
गैर कोयला	74	68	0.35	0.32	Non-Coal
कोयला और गैर-कोयला	156	536	0.27	0.94	Coal & Non- Coal

सारणी 5.2
Table 5.2

1	2	3	4	5	1
2014*					
1. कोयला	60	393	0.16	1.07	1. Coal
2. गैर -कोयला					2. Non-Coal
तेल	5	10	0.19	0.39	Oil
एस्बैस्टस	2	-	Asbestos
चिनी मिट्टी, मिट्टी, सफेद मिट्टी	1	-	0.35	-	China Clay, Clay, White Clay
क्रोमाईट	-	3	-	0.30	Chromite
तोबा	1	1	0.27	0.27	Copper
डोलोमाइट	1	3	0.34	1.03	Dolomite
गैलेना एवं स्फेलेराइट	2	13	0.45	2.90	Galena & Sphalerite
सोना	-	2	-	0.59	Gold
ग्रेनाइट	2	-	16	-	Granite
लोहा	3	15	0.06	0.28	Iron
चूना पत्थर	4	5	0.12	0.15	Limestone
मैंगनीज़	1	1	0.06	0.06	Manganese
मारबल	4	2	1.82	0.91	Marble
अभ्रक	2	-	3.46	-	Mica
सिलिमनाइट	-	1	-	0.25	Sillimanite
स्टीआटाइट	3	-	0.62	-	Steatite

5 दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं
अनुपस्थिति

5 ACCIDENTS, SAFETY
AND ABSENTEEISM

सारणी 5.2
Table 5.2

1	2	3	4	5	1
पत्थर	11	4	1.47	0.53	Stone
परमाणु खनिज	2	-	Atomic Mineral
गैर कोयला	45	60	0.21	0.28	Non-Coal
कोयला और गैर-कोयला	105	453	0.18	0.78	Coal & Non-Coal
2015*					
1. कोयला	60	294	0.16	0.80	1. Coal
2. गैर -कोयला					2. Non-Coal
तेल	5	25	0.19	0.96	Oil
एस्बैस्टस	4	-	Asbestos
चिनी मिट्टी, मिट्टी, सफेद मिट्टी	-	1	-	0.35	China Clay, Clay, White Clay
तांबा	1	2	0.27	0.54	Copper
डोलोमाइट	-	1	-	0.34	Dolomite
गैलेना एवं स्फेलेराइट	3	4	0.67	0.89	Galena & Sphalerite
सोना	1	5	0.29	1.47	Gold
ग्रेनाइट	6	2	0.49	0.16	Granite
लोहा	10	9	0.19	0.17	Iron

5 दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं
अनुपस्थिति

5 ACCIDENTS, SAFETY
AND ABSENTEEISM

सारणी 5.2
Table 5.2

1	2	3	4	5	1
चूना पत्थर	5	1	0.15	0.03	Limestone
मैगनेसाइट	1	-	0.42	-	Magnesite
मैगनीज़	1	1	0.06	0.06	Manganese
मारबल	9	-	4.09	-	Marble
सैंडस्टोन	1	-	0.97	-	Sandstone
सिलिका	1	-	0.34		Silica
सिलिमेनाइट	-	2	-	0.51	Sillimanite
सटीआटाइट	1	-	0.21	-	Steatite
पत्थर	8	1	1.07	0.13	Stone
गैर कोयला	57	54	0.27	0.26	Non-Coal
कोयला और गैर-कोयला	117	348	0.20	0.60	Coal & Non- Coal

स्त्रोत : मॉनिटरिंग सु०
Source : DGMS

5.3 पत्तनों में रिपोर्ट-योग्य दुर्घटनाएं
5.3 Reportable Accidents in Ports

पत्तन	2013-14		2014-15		Port
	घातक Fatal	अघातक Non- Fatal	घातक Fatal	अघातक Non- Fatal	
मुम्बई	1	17	2	28	Mumbai
जवाहर लाल नेहरु पत्तन	0	6	0	8	J.N. Port
काण्डला	1	1	2	10	Kandla
मोर्मुगोआ	0	3	0	3	Mormugao
कोलकाता	5	13	2	10	Kolkata
पारादीप	1	2	0	2	Paradip
विशाखापत्तनम	2	0	0	3	Visakha- patnam
चेन्नई	0	1	0	1	Chennai
कोचीन	1	6	0	5	Cochin
नया मैंगलौर	1	1	0	0	New Mangalore
तूतीकोरन	1	2	0	2	Tuticorin
योग	13	52	6	72	Total

स्त्रोत : मॉनिटोरिंग एवं अंश
Source : DGFASLI

5 दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं
अनुपस्थिति

5 ACCIDENTS, SAFETY
AND ABSENTEEISM

5.4 जलयानों पर रिपोर्ट-योग्य दुर्घटनाएं तथा आवृत्ति दर
5.4 Reportable Accidents on Board Ships and Frequency Rate

पत्तन	प्रतिवेदन योग्य दुर्घटनाएं Reportable Accidents		आवृत्ति दर Frequency Rate		Port
	2013- 2014	2014- 2015	2013- 2014	2014- 2015	
मुम्बई	10	15	4.63	7.32	Mumbai
जवाहर लाल नेहरू पत्तन	00	0	0.00	0.00	J.N. Port
काण्डला	1(1)	3	0.45	1.26	Kandla
मोर्मुगोआ	1	1	1.18	1.18	Mormugao
कोलकाता	7	3	5.32	2.32	Kolkata
पारादीप	1	1	3.66	3.83	Paradip
विशाखापत्तनम	1(1)	1	0.93	0.96	Vishakapatnam
चेन्नई	0	0	0.00	0	Chennai
कोचीन	4(1)	0	22.51	0	Cochin
नया मैंगलौर	1(1)	0	2.30	0	New Mangalore
तूतीकोरन	1(1)	0	1.21	0	Tuticorin

स्त्रोत : मॉनिटोरिंग एवं श्रॉसो

Source : DGFASLI

कोष्ठकों में दिये गए आंकड़ें घातक क्षतियों को दर्शाते हैं और कुल दुर्घटनाओं की संख्या में शामिल हैं।

Figures in brackets indicate no. of fatal accidents and are included in total no. of accidents

6.1(क) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के कार्य
6.1(a) Working of the Employees State Insurance Act
 सम्मिलित कारखानों एवं कर्मचारियों की संख्या
No. of Factories & Employees covered
 (31 मार्च को) (as on 31st March)

	2014	2015	
केन्द्रों की संख्या	815	830	No. of Centres
सम्मिलित कारखानों की संख्या	669880	723756	No. of Factories covered
सम्मिलित कारखानों में कर्मचारियों की संख्या ('000 में)	17412	17955	No. of Employees in factories covered (in 000's)
बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या ('000 में)	19548	20344	No. of Insured persons (in 000's)
पारिवारिक इकाइयों की संख्या (बीमाकृत व्यक्ति) ('000 में)	19548	20344	No. of Family Units (Insured Persons) (in 000's)
सम्मिलित लाभान्वितों की संख्या ('000 में)	75848	78934	No. of beneficiaries covered (in 000's)

स्त्रोत: को रा० बी० नि०
 Source : ESIC

6 सामाजिक सुरक्षा

6 SOCIAL SECURITY

6.1 (ख) कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय एवं उपस्थिति (31 मार्च को)
6.1(b) ESI Dispensaries and Attendance (as on 31st March)

	2014	2015	
औषधालयों की संख्या			No. of Dispensaries
पूर्णकालिक	1363++	1405	Full Time
अंशकालिक	19	18	Part Time
चलते फिरते	19	19	Mobile
नियोजकों के उपयोग के लिये	17	17	Employer's Utilisation
उपस्थिति			Attendance
(क) संख्या (000 में)			a) Number (in 000's)
बीमाकृत व्यक्ति	20860	21598	Insured Persons
पारिवारिक सदस्य	20693	23263	Family members
(ख) प्रति हजार			b) Per thousand
बीमाकृत व्यक्ति	1094	1083	Insured Persons
पारिवारिक सदस्य	1085	1166	Family members
अस्पतालों में दाखिल किये मामले	1906122	1848618	Cases admitted in Hospital
घर पर दौरा			Home Visits
बीमाकृत व्यक्ति	Insured Persons
पारिवारिक सदस्य	Family members
			स्त्रोत : को रा० बी० नि० Source : ESIC
++ जोड़े गए एक औषधालय भी शामिल है। ++ Included one tie up dispensaries			

6.1 (ग) कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/उपगृहों/अन्य अस्पतालों में उपलब्ध शैयाओं की संख्या (31मार्च को)

6.1(c) Number of Beds available in ESI Hospitals/ Annexes/ other Hospitals (as on 31st March)

	2014	2015	
कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में			In ESI Hospitals
सामान्य	16099	16014	General
प्रसूति	2494	2385	Maternity
तपेदिक	1022	982	T.B.
उपगृह			In Annexes
सामान्य	457	375	General
प्रसूति	0	12	Maternity
तपेदिक	237	147	T.B.
अन्य अस्पतालों में			In Other Hospitals
सामान्य	2377	2102	General
प्रसूति	158	153	Maternity
तपेदिक	344	352	T.B.

स्त्रोत : क० रा० बी० नि०
Source : ESIC

6.1(घ) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत बीमारी एवं प्रसूति लाभ
(31 मार्च को)6.1 (d) Sickness and Maternity Benefits under the ESI
Scheme
(as on 31st March)

	2014	2015	
बीमारी लाभ			Sickness Benefit
दी गई धन-राशि (रुपये लाख में)	22669	25129	Amount paid (Rs. in lakh)
औसतन दैनिक दर (रुपये)	194.25	217.91	Average daily rate (Rs.)
दीर्घकालीन लाभ			Extended Benefit
दी गई धन राशि (रुपये लाख में)	2925.63	3376.69	Amount paid (Rs. in lakh)
प्रसूति लाभ			Maternity Benefit
प्रसवों की संख्या	31194	32874	No. of confinements
नियोजित प्रति 100 महिला कर्मचारियों पर प्रसव दर	10.7	9.78	Rate of confinement per 100 women employees
प्रसूति लाभ के फलस्वरूप दी गई धन राशि (रुपये 000' में)	736279	850216	Amount paid as Maternity benefit (Rs.in 000's)
प्रति प्रसव पर दी गई औसत धनराशि (रुपये)	23603	25863	Average amount paid per confinement (Rs.)

स्त्रोत : को रॉ बी० नि०
Source : ESIC

6.1 (ड) कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के अन्तर्गत अंगहानि एवं आश्रितों को लाभ (31 मार्च को)

6.1 (e) Disablement and Dependants Benefits under ESI Scheme (as on 31st March)

	2014	2015	
अस्थायी विकलांगता लाभ के फलस्वरूप दी गई धन-राशि (रु '000' में)	809965	981673	Amount of temporary disablement benefit paid (Rs.in 000's)
स्थायी विकलांगता के स्वीकृत मामलों की संख्या	12747	11386	No. of permanent disablement cases admitted
स्थायी विकलांगता लाभ का पंजीकृत मूल्य (रुपये 000' में)	2213153	2245061	Capitalised value of permanent disablement benefit (Rs.in 000's)
मृत्यु मामलों की स्वीकृत संख्या	1984	2020	No. of death cases admitted
स्वीकृत आश्रित लाभ दावों का पंजीकृत मूल्य (रुपये 000' में)	1703142	1940335	Capitalised value of dependants benefit claims admitted (Rs.in 000's)

स्त्रोत : को रा० बी० नि०
Source : ESIC

6 सामाजिक सुरक्षा

6 SOCIAL SECURITY

6.1(च) कर्मचारी राज्य बीमा निगम की आय एवं व्यय (31 मार्च को)
 6.1(f) Income and Expenditure of the ESI (as on 31st March)
 (रुपये लाख में) (Rs. in lakh)

	2014	2015	
आय			Income
नियोजकों और कर्मचारियों का अंशदान	963254.11	1086714	Contribution from both employer's and employee's
ब्याज एवं लाभांश	217301.15	260648	Interest and dividends
किराया	5680.35	5447	Rent
शुल्क व अर्थदण्ड	2860.04	2966	Fee & Fine
चिकित्सा शिक्षा	232.04	375.45	Medical Education
विविध	1616.09	2707	Miscellaneous
व्यय			Expenditure
चिकित्सा लाभ	466900.60	571434	Medical Benefit
नकद लाभ	59868.70	61897	Cash Benefit
अन्य लाभ	266.44	256	Other Benefits
प्रशासनिक व्यय	102801.90	121042	Administrative expenses
अस्पतालों आदि के मूल्य ह्रास मरम्मत और अनुरक्षण के लिये व्यवस्था तथा आरक्षित निधि	19089.68	19672.18	Provision for depreciation of hospitals etc., repair and maintenance and reserve funds

स्त्रोत : को रा० बी० नि०
 Source : ESIC

6.2 (क) कर्मचारी भविष्य-निधि योजना के कार्य
(परिधि 31 मार्च को)
6.2(a) Working of the Employees Provident Fund
Scheme (Coverage as on 31st March)

	2013-14	2014-15	
सम्मिलित प्रतिष्ठान वर्ग			Classes of Establishments covered
छूट प्राप्त	3621	4737	Exempted
अमुक्त	792206	856386	Unexempted
योग	795827	861123	Total

सदस्यों की संख्या (लाख में)			No. of Members (in lakh)
छूट प्राप्त	62.15	75.85	Exempted
अमुक्त	1115.98	1508.86	Unexempted
योग	1178.13	1584.70	Total

स्त्रोत : को भो नि० सं०
Source : E.P.F.O

6 सामाजिक सुरक्षा

6 SOCIAL SECURITY

6.2 (ख) कर्मचारी भविष्य-निधि योजना के अंगदाता एवं क्षेत्रवार परिधि
(31 मार्च को)6.2(b) Region-wise coverage and subscribers of the
Employees' Provident Fund Scheme (as on 31st March)

क्षेत्र	कारखाने / प्रतिष्ठान Factories/ Establishments		सदस्य (लाखों में) Members (in lakhs)		Region
	2013 -14	2014- 15	2013- 14	2014- 15	
1	2	3	4	5	1
आन्ध्र प्रदेश	70674	74788	106.57	119.09	Andhra Pradesh
बिहार	8370	10360	7.15	9.48	Bihar
छत्तीसगढ़	10265	11239	10.90	12.33	Chhattisgarh
दिल्ली	48288	53950	111.67	126.57	Delhi
गोवा	4052	4252	11.69	11.20	Goa
गुजरात	72117	76771	84.82	124.14	Gujarat
हरियाणा	38813	41436	61.96	112.71	Haryana
हिमाचल प्रदेश	8261	8896	10.12	11.03	Himachal Pradesh
झारखण्ड	12523	15712	9.43	17.00	Jharkhand
कर्नाटक	55696	60344	149.07	183.28	Karnataka
केरल	22850	24608	24.56	25.93	Kerala

सारणी 6.2 (ख)
Table 6.2 (b)

1	2	3	4	5	1
महाराष्ट्र	125025	132702	231.26	313.79	Maharashtra
मध्य प्रदेश	25217	27588	29.16	35.70	Madhya Pradesh
असम	11172	11861	4.30	7.54	Assam
ओडिशा	19001	20453	21.92	24.99	Odisha
पंजाब	38674	40168	51.36	54.44	Punjab
राजस्थान	27648	30314	11.79	39.92	Rajasthan
तमिलनाडु	91982	99521	165.25	196.33	Tamil Nadu
उत्तराखण्ड	7065	7680	11.17	20.30	Uttarakhand
उत्तर प्रदेश	52648	59456	19.17	66.70	Uttar Pradesh
पश्चिम बंगाल	45486	49024	44.83	72.24	West Bengal
तेलंगाना	Telangana
योग	795827	861123	1178.13	1584.70	Total

स्त्रोत : को भो नि० सं०
Source : E.P.F.O

6 सामाजिक सुरक्षा

6 SOCIAL SECURITY

6.2 (ग) कर्मचारी भविष्य-निधि योजना के अन्तर्गत प्राप्त अंशदान
(31मार्च को)6.2(c) Contributions received under Employees'
Provident Fund Scheme (as on 31st March)
(रूपये करोड में) (Rs. in crore)

	2013-14	2014-15	
वर्ष के दौरान प्राप्त कुल अंशदान एवं अन्य प्राप्तियां			Total contribution and receipts during the year
छूट-प्राप्त	23523.08	28521.12	Exempted
अमुक्त	52179.50	60202.15	Unexempted
योग	75702.58	88723.27	Total
आरोही योग-			Progressive Total
छूट-प्राप्त	169413.30	197934.42	Exempted
अमुक्त	329709.54	329709.54	Unexempted
योग	499122.84	527643.96	Total

स्त्रोत : को भो नि० सं०
Source : E.P.F.O

6 सामाजिक सुरक्षा

6 SOCIAL SECURITY

6.2 (घ) निधि निवेश और कर्मचारी भविष्य-निधि के सदस्यों को अनुमत ब्याज (31 मार्च को)

6.2(d) Investment of Funds and Interest allowed to the Employees' Provident Fund Members (as on 31st March)
(रुपये करोड़ में) (Rs. in crore)

	2013-14	2014-15	
क शून्य निवेश			A Net Investment
1 छूट-प्राप्त प्रतिष्ठान			1 Exempted Estts.
वर्ष के दौरान	33965.68	48318.01	During the year
आरोही योग	192978.91	241296.92	Progressive Total
2 अमुक्त प्रतिष्ठान			2 Unexempted Estts.
वर्ष के दौरान	47055.26	54753.86	During the year
आरोही योग	324704.65	379458.51	Progressive Total
3 कुल निवेश -			3 Total Investment
वर्ष के दौरान	81020.94	103071.87	During the year
आरोही योग	517683.56	620755.43	Progressive Total
ख ब्याज की अनुमानित दर (प्रतिशत)	8.75	8.75	B Rate of Interest allowed (percent)

स्त्रोत : क० भ० नि० सं०
Source : E.P.F.O

6.2 (इ) कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत दिये गये ऋण एवं अग्रिम राशियों सहित धन-वापसी

6.2(e) Refunds including Loans and Advances Granted under the Employees' Provident Fund Scheme
(रूपये करोड़ में) (Rs. in crore)

	2013-14	2014-15	
छूट-प्राप्त प्रतिष्ठान वर्ष के दौरान	16243.37	27939.85	Exempted Estts. During the year
अमुक्त प्रतिष्ठान वर्ष के दौरान	27198.27	28745.50	Un-exempted Estts. During the year
कुल ऋण आदि वर्ष के दौरान	43441.64	56685.35	Total Loans, etc. During the year

स्त्रोत : को भो नि० सं०
Source : E.P.F.O

6 सामाजिक सुरक्षा

6 SOCIAL SECURITY

6.2 (च) कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत दिये गये ऋण एवं अग्रिम राशियों सहित धन वापसी (31मार्च को)

6.2(f) State-wise Refunds including Loans and Advances Granted under the Employees' Provident Fund Scheme (as on 31st March)

(रुपये करोड़ में) (Rs.in crore)

राज्य / क्षेत्र	2013-14	2014-15	State/Region
1	2	3	1
आन्ध्र प्रदेश	2040.91	709.03	Andhra Pradesh
बिहार	159.86	93.47	Bihar
छत्तीसगढ़	142.17	174.40	Chhattisgarh
दिल्ली	1962.85	2273.44	Delhi
गोवा	184.41	185.26	Goa
गुजरात	1514.85	1796.76	Gujarat
हरियाणा	1478.37	1576.98	Haryana
हिमाचल प्रदेश	173.31	194.35	Himachal Pradesh
झारखण्ड	80.67	196.45	Jharkhand
कर्नाटक	3416.23	3861.84	Karnataka
केरल	843.06	1036.60	Kerala

सारणी 6.2 (च)
Table 6.2(f)

1	2	3	1
महाराष्ट्र	7249.79	5843.64	Maharashtra
मध्य प्रदेश	590.48	641.73	Madhya Pradesh
असम	175.97	184.98	Assam
ओडिशा	364.11	370.18	Odisha
पंजाब	905.99	993.73	Punjab
राजस्थान	547.67	558.25	Rajasthan
तमिलनाडु	3312.80	3452.97	Tamil Nadu
उत्तराखण्ड	222.55	275.68	Uttarakhand
उत्तर प्रदेश	1008.88	1147.42	Uttar Pradesh
पश्चिम बंगाल	823.34	1445.34	West Bengal
तेलंगाना	..	1733.01	Telangana
योग	27198.27	28745.50	Total

स्त्रोत : क० भ० नि० सं०
Source : E.P.F.O

6 सामाजिक सुरक्षा

6 SOCIAL SECURITY

6.2(छ) राज्यवार कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत निर्णीत दावे और भुगतान की गई धनराशि (अमुक्त वर्ग)

6.2(g) State-wise Claims settled and Amount Paid under the Employees' Provident Fund Scheme (Unexempted Sector)

(31 मार्च को) (As on 31st March)

राज्य / क्षेत्र	निर्णीत दावे (000 में) Claims settled (in 000's)		दी गई धन राशि (रुपए करोड़ में) Amount Paid (Rs.in crore)		State/ Region
	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	
1	2	3	4	5	1
आन्ध्र प्रदेश	428.53	139.82	1583.96	490.42	Andhra Pradesh
बिहार	23.27	29.99	137.75	184.72	Bihar
छत्तीसगढ़	39.53	42.25	117.63	160.65	Chhattisgarh
दिल्ली	408.92	399.92	1753.93	2441.63	Delhi
गोवा	36.37	37.41	171.14	183.10	Goa
गुजरात	375.65	399.67	1281.55	1717.16	Gujarat
हरियाणा	429.24	445.56	1225.46	1685.48	Haryana
हिमाचल प्रदेश	46.58	52.94	147.04	202.26	Himachal Pradesh
झारखण्ड	62.84	69.21	60.78	212.67	Jharkhand
कर्नाटक	719.43	751.07	3027.46	4302.18	Karnataka
केरल	131.53	140.19	522.59	687.10	Kerala

6 सामाजिक सुरक्षा

6 SOCIAL SECURITY

सारणी 6.2 (छ)
Table 6.2(g)

1	2	3	1	
मध्य प्रदेश	140.29	150.41	426.80	601.21 Madhya Pradesh
महाराष्ट्र	1138.34	1178.27	6698.22	7492.79 Maharashtra
असम(NER)	25.09	31.25	130.20	151.71 Assam(NER)
ओडिशा	79.78	101.37	271.08	409.05 Odisha
पंजाब	216.20	228.32	731.66	950.00 Punjab
राजस्थान	127.70	135.50	460.91	615.63 Rajasthan
तमिलनाडु	733.48	785.17	2780.98	3446.73 Tamil Nadu
तेलंगाना		330.97		1566.77 Telangana
उत्तर प्रदेश	256.92	248.33	716.51	1043.14 Uttar Pradesh
उत्तराखण्ड	75.95	82.69	178.87	229.73 Uttarakhand
पश्चिम बंगाल	293.96	291.41	720.17	1479.12 West Bengal
योग	5789.59	6071.69	23144.70	30253.25 Total

स्त्रोत : क० भ० नि० सं०
Source : E.P.F.O

6 सामाजिक सुरक्षा

6 SOCIAL SECURITY

6.2 (ज) कर्मचारी-भविष्य निधि योजना के अर्न्तगत प्रदान किया गया
चापस न किये जाने वाला अग्रिम धन (अमुक्त वर्ग)

**6.2(h) Non-Refundable Advances granted under the
Employees' Provident Fund Scheme (Un-exempted Sector)**

प्रयोजन	मामलों की संख्या No. of Cases	राशि Amount (रु० लाख में) (Rs. in Lakh)	Purpose
1	2	3	1
2013-14			
1 जीवन बीमा	34527	2094.47	1 Life Insurance
2 आवास	126078	218870.15	2 Housing
3 बीमारी	56831	25501.86	3 Illness
4 अस्थायी बंदी	9738	4602.73	4 Temporary Closure
5 लड़की की शादी और बच्चों की दसवीं के बाद शिक्षा	118556	84366.78	5 Daughter's marriage and post matriculation education of children
6 आपवादिक प्रकृति के कारण क्षतिग्रस्त सम्पत्ति	6 Damaged property due to calamity of exceptional nature
7 कारखानों/ प्रतिष्ठानों में विद्युत आपूर्ति में कटौती	7 Cut in supply of Electricity to the Factory/ Estts.
8 विकलांग सदस्यों को अग्रिम राशि की मंजूरी	8 Grant of advance to members who are physically handicapped
9 अन्य	10600	33373.60	9 Others
योग	356330	368809.59	Total

6 सामाजिक सुरक्षा

6 SOCIAL SECURITY

सारणी 6.2 (ज)
Table 6.2(h)

1	2	3	1
2014-15			
1 जीवन बीमा	30288	1738.02	1 Life Insurance
2 आवास	162764	283333.00	2 Housing
3 बीमारी	75229	32033.80	3 Illness
4 अस्थायी बंदी	6185	3180.30	4 Temporary Closure
5 लड़की की शादी और बच्चों की दसवीं के बाद शिक्षा	134958	105407.00	5 Daughter's marriage and post matriculation education of children
6 आपवादिक प्रकृति के कारण क्षतिग्रस्त सम्पत्ति	0	0	6 Damaged property due to calamity of exceptional nature
7 कारखानों/प्रतिष्ठानों में विद्युत आपूर्ति में कटौती	0	0	7 Cut in supply of Electricity to the Factory/ Essts.
8 विकलांग सदस्यों को अग्रिम राशि की मंजूरी	0	0	8 Grant of advance to members who are physically handicapped
9 अन्य	16799	45015.00	9 Others
योग	426223	470708.00	Total

स्त्रोत : को भ० नि० सं०
Source : E.P.F.O

6.2(अ) कर्मचारी-भविष्य निधि संगठन के अन्तर्गत आय और व्यय
6.2(i) Income and Expenditure under the Employees' Provident Fund Organization

(रुपये करोड़ में) (Rs. in crore)

	2013-14	2014-15	
1 आय			1 Income
क) प्रशासनिक प्रभार, निरीक्षण प्रभार और दण्डविषयक क्षतियां	3138.66	3681.51	a) Administrative charges, Inspection charges & Penal damages
ख) निवेशों पर ब्याज	892.55	1174.78	b) Interest on investments
ग) सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन, प्रशासन व्यय की प्रतिपूर्ति	c) Reimbursement towards Family Pension, Administration Expenses by the Government
घ) अन्य लेखाओं से प्राप्ति	12.83	26.92	d) Receipt from other accounts
ङ) विविध प्राप्तियां	18.01	21.25	e) Misc. Receipt
कुल आय	4062.05	4904.46	Total Income
2 व्यय	1655.55	1766.48	2 Expenditure
3 अधिशेष	2406.50	3137.98	3 Surplus

स्त्रोत : को भ० नि० सं०

Source : E.P.F.O

6.3 अन्नक खान श्रमिक कल्याण निधि के कार्य
6.3 Working of the Mica Mines Labour Welfare Fund

	2013-14	2014-15	
निर्यात पर उपकर की दर (यथा-मूल्य प्रतिशत)	4.5	4.5	Rate of cess on exports (percent <i>ad valorem</i>)
	(रुपये लाख में) (Rs. in lakh)		
आय	2297.00	220.00	Income
व्यय			Expenditure
क) स्वास्थ्य	118.22	129.39	a) Health
ख) शिक्षा	54.99	61.05	b) Education
ग) आवास	c) Housing
घ) जल प्रदाय	d) Water supply
ङ) मनोरंजन	2.78	4.26	e) Recreation
च) प्रशासन	44.16	45.36	f) Administration
योग (क से च)	220.15	240.06	Total (a to f)
शेष निधि	2753.00	2732.94	Balance in Fund

स्त्रोत : म० नि० श्र० क०
Source : DGLW

6 सामाजिक सुरक्षा

6 SOCIAL SECURITY

6.4 खनिज लोहा, मैंगनीज एवं क्रोम खान श्रमिक कल्याण निधि के कार्य

6.4 Working of Iron, Manganese and Chrome Ore Mines
Labour Welfare Fund

	2013-14	2014-15	
निर्यात पर उपकर की दर (रूपये प्रति मिट्टिक टन)	1.00+ 4.00++ 6.00#	1.00+ 4.00++ 6.00#	Rate of cess on export (Rs. per metric tonne)
(रूपये लाख में) (Rs. in lakh)			
आय	3483.00	1514.00	Income
व्यय-			Expenditure
(क) स्वास्थ्य	829.56	823.11	a) Health
(ख) शिक्षा	224.38	225.64	b) Education
(ग) आवास	18.22	17.36	c) Housing
(घ) जल प्रदाय	0	..	d) Water supply
(ङ) मनोरंजन	13.42	17.47	e) Recreation
(च) प्रशासन	242.31	223.51	f) Administration
योग (क से च)	1327.89	1307.09	Total (a to f)
शेष निधि	18724.00	18928.91	Balance in Fund
स्त्रोत : म० नि० श्र० क० Source : DGLW			
+ अयस्क लोहा	+ Iron Ore		
++ अयस्क मैंगनीज	++ Manganese Ore		
# अयस्क क्रोम	# Chrome Ore		

6.5 चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि के कार्य
**6.5 Working of the Limestone and Dolomite Mine
 Labour Welfare Fund**

	2013-14	2014-15	
निर्यात पर उपकर की दर (रूपये प्रति मीट्रिक टन)	1.00	1.00	Rate of cess on export (Rs.per metric tonne)
(रूपये लाख में) (Rs. in lakh)			
आय	6484.00	1460.00	Income
व्यय			Expenditure
क) स्वास्थ्य	676.54	664.52	a) Health
ख) शिक्षा	71.60	65.30	b) Education
ग) आवास	45.12	47.82	c) Housing
घ) जल प्रदाय	0	0	d) Water supply
ङ) मनोरंजन	54.79	45.97	e) Recreation
च) प्रशासन	333.07	360.11	f) Administration
योग (क से च)	1181.12	1183.72	Total (a to f)
शेष निधि	11233.00	11509.28	Balance in fund
स्त्रोत : म० नि० श्र० क० Source : DGLW			

6.6 बीड़ी कर्मकार श्रम कल्याण निधि के कार्य

6.6 Working of the Beedi Workers' Labour Welfare Fund

	2013-14	2014-15	
उपकर की दर (रुपये प्रति हजार)	5.00	5.00	Rate of cess (Rs. Per thousand)
	(रुपये लाख में) (Rs. in lakh)		
आय	15869.00	17532.00	Income
व्यय			Expenditure
क) स्वास्थ्य	7987.10	7852.25	a) Health
ख) शिक्षा	6255.86	6681.31	b) Education
ग) आवास	2176.28	2479.35	c) Housing
घ) जल प्रदाय	0	0	d) Water supply
ङ) मनोरंजन	14.21	13.77	e) Recreation
च) प्रशासन	910.50	1056.15	f) Adminis- tration
योग (क से च)	17343.95	18082.83	Total (a to f)
शेष निधि	(-)32324.00	(-)32874.83	Balance in fund

स्त्रोत : म० नि० श्र० क०
Source : DGLW

6.7 सिनेमा कर्मकार श्रम कल्याण निधि के कार्य

6.7 Working of the Cine Workers Labour Welfare Fund

	2013-14	2014-15	
उपकर की दर (रूपये प्रति फीचर फिल्म)	20000+	20000+	Rate of cess (Rs. per feature film)
	10000++	10000++	
	(रूपये लाख में) (Rs. in lakh)		
आय	681.00	173.00	Income
व्यय			Expenditure
क) स्वास्थ्य	123.44	112.79	a) Health
ख) शिक्षा	21.79	14.41	b) Education
ग) आवास	0	0	c) Housing
घ) जल प्रदाय	0	0	d) Water supply
ङ) मनोरंजन	0	0	e) Recreation
च) प्रशासन	0.90	2.24	f) Adminis- tration
योग (क से च)	146.13	129.44	Total (a to f)
शेष निधि	6.57	7.00	Balance in fund

स्त्रोत : म० नि० श्र० क०

Source : DGLW

- + हिन्दी एवं अंग्रेजी फीचर फिल्म
+ Hindi & English Feature Films
++ सभी अन्य भाषी फीचर फिल्म
++ All other language feature film

6.8(क) कोयला खान भविष्य-निधि के कार्य (31 मार्च को)

6.8(a) Working of Coal Mines Provident Fund
(as on 31st March)

	2014	2015	
सम्मिलित कोयला खाने और आनुपंगिक संगठन(अवधि के अन्त में)	908	903	Coal Mines and ancillary organizations covered (at the end of the period)
सम्मिलित कर्मचारी (000 में)			Employees covered (in 000's)
(क) पंजीकृत सदस्यता (अवधि के अन्त में)	5012	5034	a) Registered membership (at the end of period)
(ख) वर्ष के दौरान सजीव सदस्यता	413	473	b) Life membership during the year
वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान (रुपये लाख में)			Contributions received during the year (Rs. lakh)
क) अनिवार्य	400827.17	417203.76	a) Compulsory
ख) स्वैच्छिक	9545.85	11402.49	b) Voluntary

स्त्रोत : को० सा० भ० नि० आ०
Source : CMPFC

6.8(ख) कोयला खान भविष्य निधि के कार्य (राज्यानुसार वितरण)
6.8(b) Working of Coal Mines Provident Fund
 (State-wise Distribution)

राज्य	अवधि के दौरान सजीव सदस्यता		State
	Live membership during		
	2014	2015	
झारखण्ड	109377	111285	Jharkhand
पश्चिम बंगाल	64907	65528	West Bengal
मध्य प्रदेश	75536	77474	Madhya Pradesh
छत्तीसगढ़	22176	55488	Chhattisgarh
महाराष्ट्र	41650	51500	Maharashtra
आंध्र प्रदेश	70691	72866	Andhra Pradesh
असम	6471	6356	Assam
जम्मू एवं कश्मीर	1709	1720	Jammu & Kashmir
ओड़ीसा	21285	31361	Orissa
दिल्ली	157	135	Delhi
योग	413959	473713	Total

स्त्रोत : को० खा० भ० नि० आ०
Source : CMPFC

6.8(ग) कोयला खान भविष्य-निधि के अन्तर्गत प्रदान किये गए ऋण
और अग्रिम धन (31 मार्च को)

**6.8(c) Loans and advances granted under the Coal
Mines Provident Fund Scheme (as on 31st March)**

	2014	2015	
विवाह अग्रिम			Marriage Advance
(क)-संख्या	6136	6495	a) Number
(ख)-धनराशि (करोड रु में)	121.10	149.24	b) Amount (Rs.in crore)
पश्चीय दसवीं पास शिक्षा अग्रिम			Post Matriculation Education Advance
क)-संख्या	836	996	a) Number
ख)-धनराशि (करोड रु में)	8.23	11.93	b) Amount (Rs.in crore)
गृह निर्माण अग्रिम			House Building Advance
क)-संख्या	9206	8574	a) Number
ख)-धनराशि (करोड रु में)	343.90	378.16	b) Amount (Rs. in crore)

स्त्रोत : को० खा० भ० नि० आ०

Source : CMPFC

6.8 (घ) कोयला खान भविष्य-निधि योजना के अन्तर्गत धन वापसी के दावे (31मार्च को)

6.8(d) Claims for Refunds under the Coal Mines Provident Fund Scheme (as on 31st March)

	2014	2015	
प्राप्त दावों की संख्या	29134	31279	No of claims received
अस्वीकृत दावों की संख्या	419	215	No. of claims rejected/returned
निर्णाय दावों की संख्या	29756	31111	No. of claims settled
वापस की गई धन राशि (रुपये करोड़ में)	4650.80	5176.76	Amount refunded (Rs. in crore)
आरोही योग			Progressive Total
निर्णीत दावे (‘000 में)	1477	1508	Claims settled (000’s)
वापस की गई धन राशि (रुपये करोड़ में)	36620.80	41797.56	Amount refunded (Rs. in Crore)
विचाराधीन दावे	73	26	Claims pending

स्त्रोत : कोल ला० भ० नि० आ०
Source : CMPFC

6.8 (ड.) कोयला खान भविष्य-निधि योजना के अन्तर्गत आय एवं व्यय
(31मार्च को)

**6.8(e) Income and Expenditure under the Coal Mines
Provident Fund Scheme** (as on 31st March)
(रुपये लाख में) (Rs. in lakhs)

	2014	2015	
आय			Income
प्रशासनिक प्रभार	13644.61	15106.37	Administra- tive charges
अन्य प्राप्तियाँ	17229.07	19539.64	Other receipts
योग	30873.68	34646.01	Total
व्यय	7705.33	8027.52	Expenditure
अधिशेष	23168.35	26618.49	Surplus
व्यय अनुपात	24.96	23.17	Expense ratio

स्त्रोत : को० खा० भ० नि० आ०
Source : CMPFC

6.8(च) पारिवारिक पेंशन निधि लाभ (31मार्च को)
6.8(f) Family Pension Fund Benefits (as on 31st March)

	मामलों की संख्या				
	No. of Cases				
	2013-14	2014	2014-15	2015	
	के	तक	के	तक	
	दौरान	Upto	दौरान	Upto	
	During	2014	During	2015	
	2013-14		2014-15		
निर्णीत पारिवारिक पेंशन निधि	4	40772	4	40776	Family pension cases settled
परिवार पेंशन स्कीम के अन्तर्गत निपटाए गए अन्य लाभों के दावे	0	104603	0	104603	Claims for other benefits under Family Pension Scheme settled

स्त्रोत : को०सा०भ०नि०आ०

Source : CMPFC

1. नियोजन

1. Employment

सारणी 1.1: आंकड़े सभी कारखानों से सम्बन्धित हैं जो शक्ति प्रयोग के साथ 10 या अधिक कर्मकार एवं बिना शक्ति के प्रयोग से 20 या अधिक कर्मकार नियोजित करते हैं और वे प्रतिष्ठान जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 85 के अन्तर्गत कारखाना घोषित किया गया है।

Table 1.1: Statistics relate to all factories employing 10 or more workers with the aid of power and 20 or more workers without the aid of power and to the establishments declared as factories by State Governments under Section 85 of the Factories Act, 1948.

सारणी 1.2: प्रस्तुत आंकड़े राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से बागान श्रमिक अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत प्राप्त वार्षिक प्रतिवेदनों/विवरणियों पर आधारित हैं एवं बागान श्रमिकों का दैनिक औसत नियोजन दर्शाते हैं। आंकड़े केवल विवरणियां भेजने वाले बागानों/ईस्टेटों से सम्बन्धित हैं।

Table 1.2 : Statistics furnished are based on the annual reports/returns received from States/Union Territories under the Plantations Labour Act, 1951 and the figures indicate average daily employment in Plantations. The employment data relate only to the plantations/estates submitted returns.

सारणी 1.3: इस सारणी में विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत एकत्रित आंकड़े प्रस्तुत किये गए हैं। ये आंकड़े परिवर्ती अनुक्रिया के कारण अपूर्ण हैं व तुलनात्मक नहीं हैं। यह सूचना विभिन्न राज्य सरकारों से एकत्रित की गई है।

Table 1.3 : The data collected under the various Acts are given in this table. The figures are not complete or comparable over time due to varying response rates from primary units from year to year. The information is submitted by various State Governments.

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग- I)
Explanatory Notes (Part- I)

सारणी 1.4 : श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा वार्षिक आधार पर रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के संचालन का कार्य श्रम ब्यूरो को सौंपा गया। अब तक श्रम ब्यूरो द्वारा पांच वार्षिक रोजगार सर्वेक्षण आयोजित किये गए एवं रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया। श्रम शक्ति की भागीदारी दर, कार्यशील जनसंख्या अनुपात, और बेरोजगारी की दर का आकलन सामान्य प्राचार्य स्थिति के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक की आयु वर्ग वाले व्यक्तियों के लिये सामान्य प्राचार्य स्थिति दृष्टिकोण पर आधारित के लिए निकाली गई है।

Table 1.4 : The ministry of Labour & Employment entrusted the task of conducting employment Unemployment surveys on annual basis to Labour Bureau. So far five annual employment surveys have been conducted by Labour Bureau and reports thereon released. Estimation of Labour Force Participation rate, Worker population ratio, and Unemployment Rate are derived for persons aged 15 years and above based on Usual Principal Status Approach.

2. मजदूरी एवं उपार्जन

2. Wages and Earnings

सारणी 2.1 और 2.2: मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 उद्योगों में नियुक्त कर्मकारों का मजदूरी का भुगतान नियमित करने, उन्हें मजदूरी के भुगतान में देरी का कारण और गैर कानूनी कटौतियों या न्याय असंगत देरी को दूर करने के तीव्र और प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाया गया था। मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 के अन्तर्गत 1982 में मजदूरी की उच्चतम सीमा 1,600/- रुपये निर्धारित की गई थी। यह सीमा दिनांक 9-11-2005 की अधिसूचना संख्या 1577 के तहत 6,500/- रु० प्रतिमाह तक बढ़ाई गई थी तथा दिनांक 8-8-2007 की अधिसूचना 1380 के तहत 10,000/- रु० प्रतिमाह तक बढ़ाई गई थी और अधिसूचना एस औ 2260 (ई) दिनांक 11 सितम्बर 2012 के तहत 18000/- रुपये आगे बढ़ाई गई। 2012 व 2013 के आंकड़े राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, 2008 के अनुसार संकलित किए गए हैं।

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग- I)
Explanatory Notes (Part- I)

Tables 2.1 & 2.2 : The Payment of Wages Act, 1936 was enacted to regulate payment of wages to workers employed in industries and to ensure a speedy and effective remedy to them against illegal deductions and /or unjustified delay caused in paying wages to them. The wage ceiling under Payment of Wages Act, 1936 was fixed at Rs.1,600/- p.m. in 1982. This limit was enhanced to Rs. 6,500/-p.m.vide notification No 1577 dated 9.11.2005 and further enhanced to Rs 10,000/- p.m .vide Notification No.1380 dated 8.8.2007. The wage ceiling has further been enhanced to Rs 18000/- vide notification No SO 2260(E) dated 11th September, 2012. The figures for 2012 and 2013 has been compiled as per National Industrial Classification 2008 .

सारणी 2.3: न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 जहां श्रमिक शोषण हेतु अतिसंवेदनशील है, ऐसे रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण / नियतकालिक संशोधन के लिए सुविधा उपलब्ध कराता है। न्यूनतम मजदूरी पद्धति कर्मचारियों के शोषण को दूर करने हेतु लाभकारी कार्य करती है, जहां अत्यधिक कम मजदूरी का भुगतान है और भिन्न भिन्न सामाजिक समूहों के निर्वाह स्तर में असमानताओं को कम करने में सहायता करती है। इससे न्यूनतम मजदूरी दरों में वैधानिकता के द्वारा संशोधित करती है। यह गरीबी कम करने में सहायता करती है और घोर परिश्रम वाले उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी उपार्जकों की स्थिति में सुधार करती है।

Table 2.3 : The Minimum Wages Act, 1948 provides for fixation/periodic revision of minimum wages in employments where labour is vulnerable to exploitation. The minimum wages system serves a useful purpose in preventing workers' exploitation in terms of payment of unduly low wage and helps in reducing inequalities in the standard of living of different social groups of workers by statutorily prescribing minimum wage rates. This helps in reducing poverty and improving the position of low paid wage earners in the sweated industries.

3. मूल्य

3. Prices

औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार 2001=100 पर जनवरी, 2006 सूचकांक से जारी किया गया, जिसने आधार 1982=100 पर पहली श्रृंखलाओं का स्थान लिया। नई श्रृंखलाओं में कई सुधार किए गए, जैसे केन्द्रों की संख्या में 70 से 78 तक वृद्धि, बाजारों की संख्या में 226 से 289 तक वृद्धि तथा वस्तुओं में 328 से 392 तक वृद्धि। अन्य विवरण हेतु इंडियन लेबर जरनल के अप्रैल, 2006 के अंक का अवलोकन किया जाये।

सारणी 3.1 (क) औद्योगिक श्रमिकों के लिए 2001=100 आधार पर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की वार्षिक औसत तथा मासिक अखिल भारतीय सामान्य और खाद्य सूचकांक चित्रित करती है। सारणी 3.1 (ख) केन्द्रवार वार्षिक औसत तथा 1982 और 2001 श्रृंखलाओं के बीच सभी केन्द्रों (सामान्य) के योजक घटक चित्रित करती है।

All-India Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers on base : 2001=100 was introduced with effect from January, 2006 index, which replaced the earlier series on base: 1982=100. In the new series, various improvements were incorporated such as increase in the number of centres from 70 to 78, increase in number of markets from 226 to 289 and increase in number of items from 328 to 392. For further details reference may be made to April, 2006 issue of the Indian Labour Journal.

Table 3.1(a) depicts annual average of All-India Consumer Price Index Numbers and month-wise All India General and Food index for Industrial Workers on base 2001=100. Tables 3.1 (b) depicts Centre-wise Annual Averages and Linking Factors of all centres (General) between 1982 and 2001 series.

सारणी 3.2: कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों हेतु 1986-87=100 आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को इस सारणी में प्रस्तुत किया गया है।

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग- I)
Explanatory Notes (Part- I)

Table 3.2 : Consumer Price Index Numbers for Agricultural and Rural Labourers on base 1986-87=100 are presented in this table.

4. व्यवसाय संघ

4. Trade Unions

सारणी 4.1 तथा 4.2: ये आंकड़े व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत पंजीकृत एवं विवरणियां भेजने वाले व्यवसाय संघों के हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। वर्ष-प्रतिवर्ष परिवर्तित अनुक्रिया के कारण इन आंकड़ों की परिधि भी अपूर्ण है।

Tables 4.1 & 4.2 : The data refers to trade unions submitting returns and registered under the Trade Unions Act, 1926. The registration under the Act is not compulsory. The coverage of statistics is also incomplete due to varying response rate from year to year.

5. औद्योगिक विवाद

5. Industrial Disputes

सारणी 5.1 से 5.10: औद्योगिक विवादों के आंकड़े राजनीतिक अथवा सहानुभूतिपूर्ण हड़तालों को छोड़कर, कार्य स्थगन में परिणत विवादों से सम्बन्धित हैं जिनमें, 10 या अधिक कर्मकार अन्तर्ग्रस्त हुए हों।

Tables 5.1 to 5.10 : The figures on industrial disputes relate to disputes resulting in work-stoppages and involving 10 or more workers and are exclusive of political or sympathetic strikes.

6. दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं अनुपस्थिति

6. Accidents, Safety and Absenteeism

सारणी 6.1: कारखानों में क्षतियों के आंकड़े दुर्घटनाओं में क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के हैं। औद्योगिक दुर्घटनाओं से होने वाली केवल वही क्षतियां अंकित की जाती हैं, जिनके कारण क्षतिग्रस्त व्यक्ति 48 घण्टे या इससे अधिक अवधि के लिए अपने काम पर उपस्थित न हो सकें। ये आंकड़े केवल विवरणियां भेजने वाले कारखानों के हैं।

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग- I)
Explanatory Notes (Part- I)

Table 6.1 : Figures of injuries in factories relate to number of persons receiving injuries as a result of accidents in factories. Only those injuries resulting from industrial accidents by reasons due to which persons affected are prevented from attending to work for a period of 48 hours or more. The data relate to only factories submitting returns.

सारणी 6.2: सांख्यिकी एकत्रण अधिनियम, 1953 तथा 1959 में उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (ए एस आई) सांख्यिक रूप में संचालित किया जा रहा है। यह स्कीम 1961 में प्रचलित रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा आंकड़ें एकत्रित किए जा रहे हैं। श्रम ब्यूरो श्रम भाग यानि वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण अनुसूची के भाग 1 के भाग 2 और ब्लाक ड के अन्तर्गत एकत्रित आंकड़ों का प्रसार करता है, जिसमें अनुपस्थिती, श्रमिक परिवर्तन, उपार्जन और विनिर्माण क्षेत्र में श्रम लागत शामिल है। स्कीम (श्रम भाग) के उद्देश्य हैं :- क) नियोजन, अनुपस्थिती, श्रमिक परिवर्तन, उपार्जन और विनिर्माण क्षेत्र में श्रम लागत के आधार पर विनिर्माण क्षेत्र में आंकड़ों का निर्माण करना ; ख) श्रम लागत के कई घटकों जैसेकि श्रम क्षेत्र में मजदूरी/वेतन, बोनस, सामाजिक सुरक्षा और स्टाफ कल्याण पर सूचना का प्रसार और विश्लेषण करना।

उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण का क्षेत्र पुरे देश की ओर अग्रसर होता है, जोकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और लक्षद्वीप के संघ राज्य को छोड़कर है। सभी संस्थापनाएं, जो कारखाना अधिनियम, 1948 और बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की स्थितियों) के अन्तर्गत जो भाग 2 एम (i) और 2 एम (ii) में आती हैं, उन्हें वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण में शामिल किया गया है। 1976-77 चक्र से वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के अन्तर्गत आंकड़ें दो स्कीमों यानि (i) जनगणना क्षेत्र (ii) प्रतिदर्श क्षेत्र, के अन्तर्गत एकत्रित किए जा रहे हैं।

Table 6.2 : The Annual survey of Industries (ASI) is being conducted statutorily under the Collection of Statistics Act, 1953 and the Rules framed there under in 1959. The scheme has been in operation since 1961. Under the Scheme, Data is being collected by NSSO. Labour

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग- I)
Explanatory Notes (Part- I)

Bureau is disseminating data collected under Labour Part i.e. Part II and Block E of Part-I of ASI schedule, which includes data on Absenteeism, Labour Turnover, Labour Employment and Labour Cost. The objectives of the Scheme (Labour Part) are :- (a) To build data base on Employment, Absenteeism, Labour Turnover, Earnings and Labour Cost in manufacturing sector; (b) To disseminate information and analyse various components of Labour Cost, such as wage / salary, Bonus, social security and Staff Welfare in this Sector.

The scope of the Annual Survey of Industries extends to entire country except the State of Arunachal Pradesh, Mizoram, Sikkim and Union territory of Lakshadweep. All establishments registered under Section 2m(i) and 2m(ii) of Factories Act, 1948 and Bidi & Cigar Workers (Conditions of employment) Act, 1966 are covered under ASI. From 1976-77 round, data under ASI is being collected under two Schemes viz (i) Census Sector (ii) Sample Sector.

7. सामाजिक सुरक्षा

7. Social Security

सारणी 7.1: ये आंकड़े कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति क्षतियों से सम्बन्धित हैं। अधिसूचित रोजगारों में उन कर्मचारों की क्षतिपूर्ति की जाती है जिनकी दरघटनाओं से मृत्यु हो गई हो या जो तीन दिन से अधिक के लिए असमर्थ हो गये हों। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों में हुई क्षतियों के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत ही किया जाता है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत नहीं। इन आंकड़ों का भौगोलिक क्षेत्र वर्ष प्रति वर्ष परिवर्तित होता रहा है। क्षतिपूर्ति की दरों में 11.5. 2011 से बढ़ोतरी की गई है।

Table 7.1 : Data relate to compensated injuries under the Employees' Compensation Act, 1923. Compensation is payable to workers in scheduled

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग- I)
Explanatory Notes (Part- I)

employments in respect of accidents resulting in death or disablement for more than 3 days. Compensation in case of injuries in establishments covered by the Employees' State Insurance Act is paid under that Act and not under the Employees' Compensation Act. The geographical coverage of data has varied from year to year. The rates of compensation have been enhanced with effect from 11.5.2011.

सारणी 7.2: ये आंकड़े मातृत्व हितलाभ अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली वार्षिक विवरणियों पर आधारित हैं। जो प्रतिष्ठान कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के आवृत्त के अन्तर्गत आते हैं, उनमें प्रसूति लाभ का भुगतान इसी अधिनियम के अन्तर्गत किया जाता है न कि मातृत्व हितलाभ अधिनियम के अन्तर्गत इन आंकड़ों का भौगोलिक क्षेत्र वर्ष प्रति वर्ष परिवर्तित होता रहा है।

Table 7.2 : Data are based on annual returns under the Maternity Benefits Act. In establishments covered by the ESI Act, the maternity benefit is paid under that act and not under the Maternity Benefits Act. The geographical coverage of the figures has varied from year to year.

8. अन्तर्राष्ट्रीय तुलना

8. International Comparison

सारणी 8.1 से 8.5 : इन सारणियों के आंकड़ें अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की वैबसाइट से लिए गये हैं। पाठकों से निवेदन है कि परिसीमाओं, परिधि, सर्वेक्षण ढंग, वर्गीकरण एवं अन्य विवरण से सम्बन्धित टिप्पणियों के लिए आई०एल०ओ० की वैबसाइट (www.ilo.org) के प्रासंगिक खण्डों का अवलोकन करें।

Tables 8.1 to 8.5 : The data in these tables have been taken from the website of the International Labour Organisation. For notes regarding limitations, coverage, survey methods, classifications and other details, the readers are requested to refer to the relevant sections of the website of the International Labour Organisation (www.ilo.org).

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-II)
Explanatory Notes (Part-II)

सारणी 1.1 से 1.2

सारणी में प्रस्तुत आंकड़ें भारत के महापंचायक के द्वारा प्रकाशित आंकड़ों पर आधारित हैं। 2011 जनगणना के अन्तर्गत 35 राज्य/ संघ शासित प्रदेश हैं। 2011 जनगणना के अनुसार 1 मार्च 2011, समय 0.00 को भारत की कुल जनसंख्या 1210.85 मिलियन है जिस में से 833.75 मिलियन ग्रामीण जनसंख्या तथा 377.11 मिलियन शहरी जनसंख्या है।

Tables 1.1 to 1.2

Data furnished in Tables are based on the figures released by the Registrar General of India, Census 2011 covered 35 States/Union Territories. As per Census 2011, the total population of India at 0.00 hours on 1st March, 2011 is 1210.85 million. Of this the rural population is 833.75 million and the urban population is 377.11

सारणी 1.3

श्रम बल (लेबर फोर्स) : श्रम बल के अन्तर्गत वे व्यक्ति आते हैं जो 'कार्यरत'(या नियोजित) थे या 'काम की तलाश में या काम के लिए उपलब्ध'(या बेरोजगार) थे

कामगार (या नियोजित) : वे व्यक्ति कामगार माने गये जो किसी कार्यकलाप में लगे हो या जो किसी कार्यकलाप से सम्बद्ध होने के बावजूद रूग्णता, चोट या अन्य शारीरिक असमर्थता, खराब मौसम, उत्सव, सामाजिक या धार्मिक समारोह या अन्य आकस्मिक स्थिति जिसमें अस्थाई अनुपस्थिति आवश्यक हो, कारणों से अपने कार्य से अस्थायी रूप से अनुपस्थित रहे हों। पारिवारिक कृषि या गैर-कृषि आर्थिक कार्यकलापों के संचालन में सहयोग करने वाले अवैतनिक पारिवारिक सदस्य को भी कामगार माना गया।

काम की तलाश में या कार्य हेतु उपलब्ध (या बेरोजगार): जो व्यक्ति काम की कमी के कारण किसी कार्य में नहीं लग पाए परन्तु वे या तो रोजगार कार्यालय, मध्यस्थ, मित्रों या संबंधियों के द्वारा या भावी नियोजक को आवेदन देकर कार्य की खोज करते रहे या कार्य की वर्तमान शर्तों एवं पारिश्रमिक पर कार्य करने को

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-II)
Explanatory Notes (Part-II)

इच्छुक या उपलब्ध रहे हों।

Table 1.3

Labour Force : Persons who were either 'working' (or employed) or 'seeking or available for work' (or unemployed) constituted the labour force.

Workers (or employed): Persons who were engaged in any economic activity or who despite their attachment to economic activity, abstained from work for reason of illness, injury or other physical disability, bad weather, festivals, social or religious functions or other contingencies necessitating temporary absence from work, constituted workers. Unpaid household members who assisted in the operation of an economic activity in the household farm or non-farm activities were also considered as workers.

Seeking or available for work (or unemployed): Persons who, owing to lack of work, had not worked but either sought work through employment exchanges, intermediaries, friends or relatives or by making applications to prospective employers or expressed their willingness or availability for work under the prevailing conditions of work and remuneration.

2. नियोजन

2. Employment

सारणी 2.1: सार्वजनिक क्षेत्र के नियोजन में रेलों में नियोजन शामिल है, परन्तु विदेशों में स्थित भारतीय मिशनो में काम करने वाले व्यक्ति तथा अंशकालिक कर्मकार इसमें शामिल नहीं हैं। सूचना न भेजने वाले प्रतिष्ठानों के लिये भी अनुमान लगाये गये हैं।

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-II)
Explanatory Notes (Part-II)

Table 2.1 : Employment in public sector includes employment in Railways but excludes the Indian Missions abroad and part-time workers. Estimates have also been made for defaulting establishments.

सारणी 2.2: ये आंकड़ें केवल खान अधिनियम, 1952 की परिधि के अन्तर्गत आने वाली खानों से संबंधित हैं। सामान्यतः ये आंकड़ें उन्हीं खानों से सम्बन्धित हैं जो अपनी वार्षिक विवरणियां भेजते हैं। नियोजित व्यक्तियों की संख्या एवं खानों तथा खदानों से सम्बन्धित अन्य विषयों की सूचना (विशेष तौर पर छूट प्राप्त विषयों को छोड़कर) खान अधिनियम, 1952 के नियम व विनियम के अन्तर्गत बनाये गए सांविधिक प्रावधानों के तहत खान सुरक्षा महानिदेशालय संग्रह करता है।

Table 2.2 : The statistics relate only to mines covered under the Mines Act, 1952. The statistics generally relate to units furnishing their annual returns. Under the statutory provisions of the Mines act, 1952 and rules and regulations framed there under, the Directorate General of Mines Safety collects information regarding the number of persons employed and other matters relating to Mines and Quarries (except those especially exempted).

सारणी 2.3 भारतीय रेलवे रोजगार में अनियत श्रमिकों के अतिरिक्त क्षेत्रीय रेलवे संरक्षण विशेष बल सहित उन सभी पदाधिकारियों को शामिल किया गया है जो प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को चालू लाईन पर सभी प्रकार के एवं क्षेत्रीय रेलवे के निर्माण कार्य में रेलवे बोर्ड के कार्यालयों में तथा इसके अन्य संलग्न एवं अधीनस्थ कार्यालयों में काम कर रहे थे।

डाक विभाग और दूर संचार विभाग के नियोजन आंकड़े उन राजपत्रित अराजपत्रित तथा अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों से सम्बन्धित हैं जो 31 मार्च को काम कर रहे थे।

बीमा में नियोजन के सम्बन्ध में भारतीय सामान्य बीमा सार्वजनिक क्षेत्र संघ तथा जीवन बीमा निगम के द्वारा सूचना प्रेषित की गई है।

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-II)
Explanatory Notes (Part-II)

बैंकों की सूचना अनुसूचित बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक में नियोजन से सम्बन्धित है।

Table 2.3 : Employment in Indian Railways includes all ranks as on 31st March each year on open line and construction on all zonal Railways and in the office of Railway Board and its attached and subordinate offices including Railway Protection Special Force but excluding casual labour.

Employment in Department of Posts and Telecommunication relates to gazetted, non-gazetted and extra Departmental Staff as on 31st March.

In respect of employment in Insurance the information has been furnished by the General Insurance Public Sector Association of India and Life Insurance Corporation.

The information on banks relates to employment on Scheduled Banks, Regional Rural Banks and Reserve Bank of India.

सारणी 2.4 : विभिन्न क्षेत्रों में नियोजन सूचकांकों के संकलन के लिए वांछित आंकड़े उपलब्ध न होने की स्थिति में यथासम्भव अनुमान लगाये गये हैं।

Table 2.4 : In compiling the indices of employment in different sectors, estimates for non-response have been made wherever possible.

3. रोजगार सेवा एवं प्रशिक्षण

3. Employment Service and Training

सारणी 3.1. से 3.3 : ये आंकड़े उन रोजगार कार्यालयों, विश्वविद्यालय रोजगार-सूचना ब्यूरो की सेवाओं पर आधारित हैं जिनकी स्थापना नौकरी की तलाश करने वाले व्यक्तियों के नाम पंजीकृत करने एवं उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए की गई है।

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-II)
Explanatory Notes (Part-II)

Tables 3.1 to 3.3 : Statistics are based on the working of Employment Exchanges, University Employment Information Bureaux set up for registering people who are seeking employment and securing employment for them.

सारणी 3.4: आंकड़े शिल्पकारों के प्रशिक्षण के लिए शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत महानिदेशक रोजगार एवं प्रशिक्षण, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में उपलब्ध सूचना पर आधारित है। शिक्षु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत शिक्षुता प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

Table 3.4 : Statistics are based on information available in DGE&T for training craftsmen under the Craftsmen Training Scheme of the DGE&T, Ministry of Labour and Employment. Apprenticeship Training is also imparted under the Apprentices Act, 1961.

सारणी 3.5: महानिदेशालय कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान सुरक्षा अधिकारियों के लिए पांच श्रम संस्थानों में औद्योगिक सुरक्षा में एक वर्ष के डिप्लोमा कोर्स और चिकित्सा अधिकारियों के लिए एसोसिएट फेलो आफ इन्डस्ट्रीयल हेल्थ पर तीन महीने के पाठ्यक्रम का केन्द्रीय श्रम संस्थान, मुम्बई एवं क्षेत्रिय श्रम संस्थान फरीदाबाद में आयोजन करता है। इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठानों के अनुरोध पर अपने विभिन्न विभागों एवं अन्य इकाइयों के द्वारा पांच श्रम संस्थानों और गोदी सुरक्षा निरीक्षणालयों में औद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित करता है।

Table 3.5 : The Directorate General Factory Advice Service and Labour Institutes conduct one year Diploma Course in Industrial Safety at five Labour Institutes for Safety Officers and 3 months Certificate course of Associate Fellow of Industrial Health at Central Labour Institute, Mumbai and Regional Labour Institute, Faridabad for Medical Officers. Besides this, it also conducts regularly training programmes on Industrial Safety, Health and Environment through its various divisions

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-II)
Explanatory Notes (Part-II)

and other related disciplines at the five Labour Institutes and Dock Safety Inspectorates on requests from establishments.

सारणी 3.6 : दत्तोपन्त थेन्गाडी राष्ट्रीय केन्द्रीय कर्मकार शिक्षा व विकास बोर्ड (भूतपूर्व सी० बी० डब्ल्यू ई) के पास क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय निदेशालयों का एक नेटवर्क है, जिसमें संगठित, असंगठित, ग्रामीण, लघुमान और अनौपचारिक क्षेत्रों के कर्मकारों के लिए यूनिट/ग्राम स्तर के कर्मकार शिक्षा हेतु कार्यक्रम किए जाते हैं।

भारतीय कर्मकार शिक्षा संस्थान, मुम्बई जो एक शीषस्थ प्रशिक्षण संस्थान है बोर्ड के अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम और राष्ट्रीय संघों पर कार्यक्रम संचालित करता है। यह बोर्ड ग्रामीण जागृति कैम्प भी संचालित करता है, जिनमें भूमिहीन श्रमिक, जनजाति श्रमिक इत्यादि भाग लेते हैं। पंजीकृत व्यावसाय संघों और अन्य संस्थानों हेतु उनके अपने कर्मकार कार्यक्रमों के लिए बोर्ड सहायक अनुदान भी प्रदान करता है।

Table 3.6 : The Dattopant Thengadi National Board for Workers Education & Development (erstwhile CBWE) has a network of Regional and Sub-Regional Directorates to undertake Workers Education Programmes at regional and unit/village level for workers in the organised, unorganised, rural, small scale and informal sectors. The Indian Institute of Workers Education, Mumbai an apex-Training Institute conduct national level training programs and National Federations besides the training programmes for the Board's officers / officials. The Board also conducts Rural Awareness Camps being attended by landless labour, tribal labour etc. The Board provides grants in aid to registered Trade Unions and other institutions for conducting their own Worker's Programmes.

4. मजदूरी एवं उपार्जन

4. Wages and Earnings

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-II)
Explanatory Notes (Part-II)

सारणी 4.1 एवं 4.2: कोयला खानों में उपार्जन के आंकड़े प्रति व्यक्ति साप्ताहिक उपार्जन से संबंधित हैं तथा मासिक आधार पर उपलब्ध हैं। उपार्जन आंकड़े दिसम्बर माह में पूरे एक सप्ताह के हैं। धन उपार्जन सूचकांक का संकलन लास्पेयर सूत्र द्वारा किया जाता है।

Table 4.1 & 4.2 : The statistics of earnings in coal mines relate to per capita weekly earnings and are available on monthly basis. The earning figures relate to one complete week during the month of December. Index of money earnings is compiled by Laspeyer's formula.

5. दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं अनुपस्थिति

5. Accidents, Safety and Absenteeism

सारणी 5.1: रेलवे में होने वाली क्षतियों के आंकड़ों में भारतीय रेल कार्य से सम्बन्धित रेल-गाड़ियां एवं रेल-वाहनों के चलने के कारण और कर्मशालाओं में होने वाली क्षतियों की घटनाएं शामिल हैं। रेलवे कर्मचारी को उस समय क्षतिग्रस्त समझा जाता है, जब उसके कारण वह दुर्घटना होने के समय से अगले 48 घण्टों के दौरान काम पर आने में असमर्थ हो।

Table 5.1 : The figures of injuries on Indian Railways are inclusive of those due to movement of trains and railway vehicles connected with railway working and in railway workshops. A railway employee is considered as injured when, because of that, he is prevented from attending to work during the next 48 hours after the occurrence of the accident.

सारणी 5.2: यह सारणी गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों और संचालकों की संख्या दर्शाती है। गम्भीर शारीरिक क्षति को उसे माना जाता है जिसमें किसी भाग की स्थायी

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-II)
Explanatory Notes (Part-II)

हानि अथवा शरीर के किसी खण्ड की या शरीर के किसी भाग अथवा खण्ड के उपयोग अथवा उसकी स्थायी क्षति या असमर्थता अथवा किसी हड्डी का टूटना अथवा हड्डियों के एक या अधिक जोड़ों या हाथ या पैर की उंगलियों के पोरों की हड्डियों का टूटना अथवा सर्व सम्पन्न समग्र रूप की संभाव्यता में सम्मिलित होंगे। गम्भीर क्षतियां वह होती हैं जिनमें कम से कम एक मृत्यु (संघातिकता) शामिल हो।

Table 5.2 : This table presents number of fatalities and number of persons seriously injured. A serious injury is taken as one which involves or in all probability will involve, the permanent loss of any part or section of a body or the use of any part or section of a body, or the permanent loss of or incapacity or the fracture of any bone or one or more joints of bones or any phalanges of hand or foot. Fatal accidents are those in which at least one death (fatality) is involved.

सारणी 5.3 और 5.4: डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विनियम, 1990 के विनियम, 91 के अनुसार 'प्रतिवेदन' योग्य दुर्घटना डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत वह है जिसमें या तो डॉक कर्मकार की मृत्यु हो जाए अथवा दुर्घटना से अगले 48 घण्टों के लिए वह अपने रोजगार का कार्य करने योग्य न रहे और जिसके लिए डॉक कर्मकारों के नियोजकों के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में भर कर निरीक्षक को नोटिस दिया जाना है।

यह अधिनियम और विनियम भारत के सभी मुख्य पत्तनों जैसे मुम्बई, कोलकाता, कोचीन, जवाहरलाल नेहरू पत्तन, कांडला, इन्नौर, चैन्नई, मोरमुगाओ, न्यू मंगलौर, पारादीप, तूतीकोरन और विशाखापटनम पर लागू होते हैं और ये श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के महानिदेशालय, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान के द्वारा ग्यारह पत्तनों पर स्थापित डॉक सुरक्षा निरीक्षणालयों के माध्यम से प्रशासित किए जाते हैं। महा निदेशक डॉक सुरक्षा निरीक्षणालयों के मुख्य निरीक्षक भी हैं।

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-II)
Explanatory Notes (Part-II)

इन्नौर निरीक्षणालय अभी स्थापित नहीं हुआ है। तथापि इन्नौर पत्तन के प्रवर्तन का संचालन डॉक सुरक्षा निरीक्षणालय, चैन्नई से किया जा रहा है।

Tables 5.3 & 5.4 : A 'reportable' accident according to Regulation 91 of the Dock Workers' (Safety, Health & Welfare) Regulation, 1990 framed under the Dock Workers (Safety, Health & Welfare) Act, 1986, is one which either causes loss of life to a dock worker or disables him from work on which he is employed for more than 48 hours following the accident and for which notice is to be given to the inspector in a prescribed form by the employers of the dock workers.

These Acts and the Regulations apply to all major ports of India i.e. Mumbai, Kolkata, Cochin, Jawaharlal Nehru Port, Kandla, Ennore, Chennai, Mormugao, New Mangalore, Paradip, Tuticorin and Vishakapatanam and are administered by the Directorate General Factory Advice Service & Labour Institutes, Ministry of Labour and Employment, Government of India through the Inspectorates Dock Safety set up at the eleven major ports. The Director General DGFASLI is also the Chief Inspector of Dock Safety.

The Inspectorate at Ennore is yet to be set up. However, the enforcement at Ennore port is administered by Inspectorates Dock Safety, Chennai.

6. सामाजिक सुरक्षा

6. Social Security

सारणी 6.1 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 शक्ति से चलने वाले उन गैर-मौसमी कारखानों, जिन में 10 या अधिक कर्मचारी और शक्ति से न चलने वाले उन कारखानों जिनमें 20 या अधिक कर्मचारी नियुक्त हैं, में लागू होता है।

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-II)
Explanatory Notes (Part-II)

अधिनियम में एक योग्य व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत 'उपयुक्त सरकार' अधिनियम की व्यवस्था अन्य श्रेणियों की संस्थापनाओं - औद्योगिक, व्यापारिक, कृषिय एवं अन्य हेतु भी विस्तृत कर सकती है। इन व्यवस्थाओं के अन्तर्गत बहुत सी राज्य सरकारों ने इस अधिनियम की व्यवस्थाओं को संस्थापनाओं की नई श्रेणियों, दुकानों, होटलों, रेस्तराओं, सिनेमा तथा थिएटरों, सड़क मोटर परिवहन उद्यमों और समाचार पत्र संस्थापनाओं, जिनमें 10 नियोजित अथवा अधिक कर्मकार हैं, में लागू किया गया है।

ई० एस० आई० स्कीम को शैक्षणिक संस्थाओं में भी लागू किया गया है एवं कुछ राज्यों द्वारा इससे संबंधित विज्ञप्तियां भी जारी की है। उन कारखानों/संस्थापनाओं के कर्मकार जिनकी मजदूरी 15,000 रु प्रतिमाह (01-05-2010 से प्रभावी) से अधिक नहीं हैं, उन्हें इस अधिनियम के अन्तर्गत शामिल किया गया है। तथापि मजदूरी की सीमा को 15000/- से 21000/- बढ़ाने के लिये प्रस्ताव विचाराधीन है तथा इस की अधिसूचना शीघ्र जारी कर दी जायेगी।

Table 6.1: The Employees' State Insurance Act, 1948 applies to non-seasonal power using factories employing 10 or more persons and non-power using factories employing 20 or more coverable employees for wages.

The Act contains an enabling provision under which the 'appropriate government' is empowered to extend the provisions of the Act to other classes of establishments – industrial, commercial, agricultural or otherwise. Under these provisions most of the State Govts. have extended the provisions of the Act to new classes of establishments namely shops, hotels, restaurants, cinemas including preview theatres, road motor transport undertakings and newspaper establishments employing 10 or more coverable employees.

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-II)
Explanatory Notes (Part-II)

The ESI Scheme has also been extended to Educational institutions and some of the States have already issued the notification in this regard. The employees of these factories/ establishments whose wages do not exceed Rs. 15,000 per month (w.e.f. 01-05-2010) are covered under the Act. Further the proposal for increasing the wage ceiling from Rs 15000/- to Rs 21000/- is in the pipeline and the notification will be issued soon.

सारणी 6.2 : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दुनिया का एक सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा प्रदाता है और कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 को प्रशासित करता है। यह अधिनियम 20 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले परिभाषित वर्ग के उद्योगों पर लागू होता है। ईपीएफओ द्वारा तीन योजनायें कर्मचारी भविष्य निधि योजना, कर्मचारी पेंशन, और कर्मचारी जमा से जुड़ी बीमा चलाई जा रही हैं। इस के अन्तर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारियों को 15,000 रुपये प्रति माह (01-09-2014 से) तक मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं के लिये कानून के तहत दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक हैं। भविष्य निधि परिभाषित योगदान योजना पर आधारित है जहां कर्मचारी एवं नियोक्ता दोनो अनिवार्य रूप से अपने अंश योगदान करते हैं।

परिभाषित योगदान और परिभाषित लाभ का एक मिश्रण पेंशन योजना बनाता है। कर्मचारियों को इस योजना के लिए योगदान करने की जरूरत नहीं है। बीमा योजना एक जमा से जुड़ी योजना है जो कि कर्मचारियों से किसी भी योगदान के बिना 6,00,000 रुपये (24-05-2016 से ढ़ तक का लाभ प्रदान करता है।

नियोक्ता और कर्मचारी दोनों अंशदायी खातों में मजदूरी का 12% योगदान करते हैं। इसके अलावा, नियोक्ताओं को अधिनियम के तहत इस योजना के प्रशासन की दिशा में भी योगदान करना होता है। प्रतिष्ठानों के कुछ वर्ग के लिए योगदान की दर 10% है।

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-II)
Explanatory Notes (Part-II)

Table 6.2 : The Employee's Provident Fund Organisation is one of the world's largest social security providers and administers the Employee's Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1952. The Act applies to defined class of industries employing 20 or more employees. Three schemes run by EPFO are Employees' Provident Fund Scheme, Employees Pension, and Employee Deposit linked insurance. The covered establishments are required to statutorily comply in respect of all their employees drawing wages up to Rs 15,000 per month (w.e.f. 01-09-2014). Provident fund is based on defined contribution scheme where both the employees and the employer contribute their mandate share.

A mix of defined contribution and defined benefit forms the pension scheme. The employees do not have to contribute to this scheme. Insurance scheme is a deposit linked scheme that provides for benefits up to Rs 6,00,000/- w.e.f. 24-05-2016 without any contribution from employees.

The employers and employees both contribute @ 12% of wages to the contributory accounts. Further, the employers also contribute towards administration of the scheme under the Act. The rate of contribution for certain category of establishments is 10%

सारणी 6.3 से 6.7 : अभ्रक, लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, चूनापत्थर और डोलोमाइट खानों, बीड़ी और सिनेमा उद्योगों में नियोजित कर्मकारों के लिए कल्याण सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु श्रम कल्याण निधियां सृजित की गई हैं। उत्पादन अथवा खपत अथवा खनिजों के निर्यात, रुपक फिल्मों के उत्पादन और निर्मित बीडियों पर उपकर की उगाही के द्वारा निधियां सृजित की गई हैं।

Tables 6.3 to 6.7 : Labour Welfare funds are created to provide welfare facilities to the workers employed in Mica, Iron Ore, Manganese Ore, Chrome Ore, Limestone and Dolomite mines, Beedi and Cine Industry.

व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-II)
Explanatory Notes (Part-II)

The funds have been created by levy of cess on production or consumption or export of the minerals, production of feature films and manufactured beedis.

सारणी 6.8 : कोयला खानों या उनसे संबद्ध कार्य में प्रत्यक्ष रूप में या ठेकेदारों द्वारा नियोजित प्रत्येक कर्मचारी के लिए चाहे उसकी मजदूरी की प्रमात्रा कुछ भी हो, कोयला खान भविष्य निधि का सदस्य बनाना आवश्यक है, यदि उसने कोयला खान में नियोजित होने की तारीख से 30 दिन की उपस्थिति पूरी कर ली हो। अनिवार्य अंशदान की दर कुल परिलब्धियों का 12 प्रतिशत है। कर्मचारियों के अनिवार्य अंशदान की कुल राशि के बराबर अंशदान देना नियोजकों के लिए भी आवश्यक है। यदि सदस्य चाहें तो वे अनिवार्य अंशदान के अतिरिक्त स्वैच्छिक अंशदान के रूप में अधिकतम 12 प्रतिशत का और अधिक अंशदान कर सकते हैं।

कोयला खान पारिवारिक पेंशन स्कीम 1971 का परिचालन बन्द हो गया है और इसकी जगह नई कोयला खान पेंशन स्कीम 1998 को 31 मार्च, 1998 से लागू कर दिया गया है।

Table 6.8 : Every employee in or connection with Coal Mines, whether employed directly or through contractors, is required to become a member of the Coal Mines Provident Fund Scheme on putting 30 days regular attendance from the date he is employed in a Coal Mine irrespective of the quantum of his wages. The rate of compulsory contribution is 12% of the total emoluments. Employers are required to contribute an amount equal to the compulsory contribution of the employees. Members, if so desire, may make further contributions maximum of 12% as voluntary contribution in addition to the compulsory contributions.

The Coal Mines Family Pension Scheme, 1971 has ceased to operate and has been replaced by the new Coal Mines Pension Scheme, 1998 which has come into force with effect from the 31st day of March, 1998.

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन०आई०सी० 2008)

NATIONAL INDUSTRIAL CLASSIFICATION (NIC 2008)

सारणीय वर्गीकरण एवं श्रेणी	वर्गीकरण
Tabulation Category and Division	Classification
1	2
क A कृषि, वन विद्या तथा मछली पकड़ना	Agriculture, forestry and fishing
01 फसल तथा पशु उत्पादन, आखेट तथा संबंधित सेवा क्रियाकलाप	Crop and animal production, hunting and related service activities
011 गैर बारहमासी फसलों की पैदावार	Growing of non-perennial crops
012 बारहमासी फसलों की पैदावार	Growing of perennial crops
013 पौध प्रवर्धन	Plant propagation
014 पशु उत्पादन	Animal Production
016 कृषि तथा फसल कटाई के बाद के कार्यकलापों की सहायक गतिविधियाँ	Support activities to agriculture and post-harvest crop activities
02 वन विद्या तथा लॉगिंग	Forestry and logging
021 सिलवीकलचर और अन्य वानिकी गतिविधियाँ	Silviculture and other forest activities
023 गैर लकड़ी वन उत्पादों को इकट्ठा करना	Gathering of non-wood forest products
024 वानिकी के लिए सहायक सेवार्थे	Support services to forestry
03 मछली पकड़ना तथा जल संवर्धन	Fishing and Aquaculture
ख B खनन तथा उत्खनन	Mining and quarrying
05 कोयला तथा लिग्नाइट खनन	Mining of coal and lignite
051 पत्थर के कोयले का खनन	Mining of Hard coal
052 लिग्नाइट खनन	Mining of lignite
06 कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस निकालना	Extraction of crude petroleum and natural gas
061 कच्चे तेल का अवतरण	Extraction of crude petroleum
07 धातु अयस्कों का खनन	Mining of metal ores

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी 2008)
NATIONAL INDUSTRIAL CLASSIFICATION (NIC 2008)

1	2
071	लौह अयस्कों का खनन Mining of iron ores
072	गैर लौह धातु अयस्कों का खनन Mining of non-ferrous metal ores
08	अन्य खनन एवं उत्खनन Other mining and quarrying
081	पत्थर, रेत और मिट्टी का उत्खनन Quarrying of stone, sand and clay
089	खनन एवं उत्खनन क०औ०व०न० Mining and quarrying n.e.c.
09	खनन सहायक सेवा क्रियाकलाप Mining support service activities
091	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के खनन के लिए सहायक गतिविधियाँ Support activities for petroleum and natural gas mining
ग C	विनिर्माण Manufacturing
10	खाद्य उत्पाद विनिर्माण Manufacture of food products
101	मांस का परिरक्षण एवं संसाधन Processing and preserving of meat
102	मछली, कसटेशियनस व मौलस्क का परिरक्षण एवं संसाधन Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs
103	फल एवं सब्जियों का संसाधन एवं परिरक्षण Processing and preserving of fruit and vegetables
104	बसा तथा सब्जियों व पशु तेल का विनिर्माण Manufacture of vegetable and animal oils and fats
105	दुग्ध उत्पादों का विनिर्माण Manufacture of dairy products
106	अनाज स्टार्च एवं स्टार्च संबंधी विनिर्माण Manufacture of grain mill products, starches and starch products
107	अन्य खाद्य पदार्थ विनिर्माण Manufacture of other food products
108	तैयार पशु आहार का विनिर्माण Manufacture of prepared animal feeds
11	पेय पदार्थ विनिर्माण Manufacture of beverages

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन०आई०सी० 2008)
NATIONAL INDUSTRIAL CLASSIFICATION (NIC 2008)

1	2
110	पेय पदार्थ उत्पादन Manufacture of beverages
12	तम्बाकू उत्पाद विनिर्माण Manufacture of tobacco products
120	तम्बाकू उत्पादों का उत्पादन Manufacture of tobacco products
13	वस्त्र विनिर्माण Manufacture of textiles
131	बुनाई कताई एवं कपड़ा तैयार करना Spinning, weaving and finishing of textiles
139	अन्य कपड़ा विनिर्माण Manufacture of other textiles
14	परिधान विनिर्माण Manufacture of wearing apparel
141	फर परिधान छोड़कर अन्य परिधान विनिर्माण Manufacture of wearing apparel, except fur apparel
142	फर से बने उत्पादों का विनिर्माण Manufacture of articles of fur
143	बुनाई व क्रोशिए से बने परिधानों का विनिर्माण Manufacture of knitted and crocheted apparel
15	चमड़ा तथा संबंधित उत्पाद विनिर्माण Manufacture of leather and related products
151	चमड़ा टैनिंग तथा ड्रेसिंग व चमड़ा परिधान, हैंडबैग, जीनसाजी तथा साज आदि का विनिर्माण Tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, handbags, saddlery and harness; dressing and dyeing of fur
152	जूतों का विनिर्माण Manufacture of footwear
16	फर्नीचर को छोड़कर लकड़ी तथा कार्क उत्पादों का विनिर्माण स्ट्रॉ की वस्तुओं तथा प्लेटिंग सामग्री का विनिर्माण Manufacture of wood and products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials
161	आरा मिल व लकड़ी को रंदा मारना Saw milling and planning of wood

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन०आई०सी० 2008)
NATIONAL INDUSTRIAL CLASSIFICATION (NIC 2008)

1	2	
162	लकड़ी के उत्पाद कार्क, स्ट्रॉ और पट्टिका सामग्री का विनिर्माण	Manufacture of products of wood, cork, straw and plaiting materials
17	कागज़ तथा कागज़ उत्पाद विनिर्माण	Manufacture of paper and paper products
170	कागज़ तथा कागज़ से बने विनिर्माण	Manufacture of paper and paper products
18	अभिलिखित मीडिया मुद्रण एवं पुनरुत्पादन	Printing and reproduction of recorded media
181	छपाई तथा छपाई संबंधित अन्य गतिविधियां	Printing and service activities related to printing
182	रिकार्डिड मीडिया का पुनः विनिर्माण	Reproduction of recorded media
19	कोक तथा परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद विनिर्माण	Manufacture of coke and refined petroleum products
191	कोक ओवन उत्पादों का विनिर्माण	Manufacture of coke oven products
192	परिष्कृत पेट्रोलियम विनिर्माण	Manufacture of refined petroleum products
20	रसायन तथा रसायनिक उत्पाद विनिर्माण	Manufacture of chemicals and chemical products
201	मूल रासायन उत्पादन, उर्वरक एवं नाईट्रोजन मिश्रण, प्लास्टिक तथा रासायनिक रबर का मूल रूप में विनिर्माण	Manufacture of basic chemicals, fertilizer and nitrogen compounds, plastics and synthetic rubber in primary forms
202	अन्य रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण	Manufacture of other chemical products
203	मानव निर्मित रेशों का विनिर्माण	Manufacture of man-made fibres
21	औषध, औषधीय रसायन तथा वानस्पतिक उत्पाद विनिर्माण	Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical products

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन०आई०सी० 2008)
NATIONAL INDUSTRIAL CLASSIFICATION (NIC 2008)

1	2
210	औषध, औषधीय रसायन तथा वनस्पतिक उत्पाद विनिर्माण Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemical and botanical products
22	रबड़ तथा प्लास्टिक उत्पाद विनिर्माण Manufacture of rubber and plastics products
221	रबड़ निर्मित वस्तुओं का विनिर्माण Manufacture of rubber products
222	प्लास्टिक निर्मित वस्तुओं का विनिर्माण Manufacture of plastics products
23	अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद विनिर्माण Manufacture of other non-metallic mineral products
231	शीशा एवं शीशा निर्मित वस्तुओं का विनिर्माण Manufacture of glass and glass products
239	अन्य गैर धातु खनिजों का उत्पादन Manufacture of non-metallic mineral products n.e.c.
24	मूल धातु विनिर्माण Manufacture of basic metals
241	मूल लोहा एवं स्टील का विनिर्माण Manufacture of basic iron and steel
242	मूल बहुमूल्य तथा गैर लौह धातुओं का विनिर्माण Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals
243	धातुओं की ढलाई Casting of metals
25	मशीनरी तथा उपकरणों को छोड़कर फैब्रिकेटेड धातु उत्पाद विनिर्माण Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
251	ढांचागत धातु उत्पाद, टैंक, हौज तथा भाप जेनरेटर का विनिर्माण Manufacture of structural metal products, tanks, reservoirs and steam generators
252	हथियार एवं गोला बारूद का विनिर्माण Manufacture of weapons and ammunition

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन०आई०सी० 2008)
NATIONAL INDUSTRIAL CLASSIFICATION (NIC 2008)

1	2	
259	अन्य फैब्रिकेटेड धातु विनिर्माण तथा संबंधित सेवा गतिविधियां	Manufacture of other fabricated metal products; metalworking service activities
26	कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक तथा ऑप्टिकल उत्पाद विनिर्माण	Manufacture of computer, electronic and optical products
261	इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों का विनिर्माण	Manufacture of electronic components
262	कम्प्यूटर एवं संबंधित यंत्रों का विनिर्माण	Manufacture of computers and peripheral equipment
263	दूरसंचार यंत्रों का उत्पादन	Manufacture of communication equipment
264	उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक का उत्पादन	Manufacture of consumer electronics
265	घड़ियां तथा दीवार घड़ियां, माप, परिक्षण, संचालन एवं नियन्त्रण उपकरण का विनिर्माण	Manufacture of measuring, testing, navigating and control equipment; watches and clocks
266	प्रदीप्त, विद्युत औषधिय तथा विद्युत आरोग्यकर यंत्रों का विनिर्माण	Manufacture of irradiation, electro medical and electrotherapeutic equipment
267	दृष्टि यंत्रों एवं उपकरण का विनिर्माण	Manufacture of optical instruments and equipment
268	चुम्बकीय एवं दृष्टि संबंधी मिडिया का विनिर्माण	Manufacture of magnetic and optical media
27	विद्युत उपकरण विनिर्माण	Manufacture of electrical equipment
271	बिजली की मोटरें, जनरेटरों तथा ट्रांसफार्मरों बिजली वितरण व नियंत्रण यंत्रों का विनिर्माण	Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन०आई०सी० 2008)
NATIONAL INDUSTRIAL CLASSIFICATION (NIC 2008)

1	2
272	बैटरी सैल तथा संचायक का विनिर्माण Manufacture of batteries and accumulators
273	विजली के तार तथा तार यन्त्र का विनिर्माण Manufacture of wiring and wiring devices
274	विद्युत रोशनी संबंधित यंत्रों का विनिर्माण Manufacture of electric lighting equipment
275	घरेलू यंत्र विनिर्माण Manufacture of domestic appliances
279	अन्य विद्युत उपकरणों का विनिर्माण Manufacture of other electrical equipment
28	मशीनरी तथा उपकरण विनिर्माण क०ओ०व०न० Manufacture of machinery and equipment n.e.c.
281	सामान्य प्रयोजन मशीनरी का विनिर्माण Manufacture of general purpose machinery
282	विशेष प्रयोजन मशीनरी का विनिर्माण Manufacture of special-purpose machinery
29	मोटर वाहन, ट्रैलर तथा सेमी ट्रैलर विनिर्माण Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers
291	मोटर वाहन विनिर्माण Manufacture of motor vehicles
292	मोटर वाहनों की बाडी ;कोच कार्यद्ध का विनिर्माण ट्रैलर व सेमी ट्रैलर का विनिर्माण Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles; manufacture of trailers and semi-trailers
293	मोटर वाहनों के कलपुर्जों का विनिर्माण Manufacture of parts and accessories for motor vehicles
30	अन्य परिवहन उपकरण विनिर्माण Manufacture of other transport equipment
301	समुद्री जहाजों व नावों का विनिर्माण Building of ships and boats

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी 2008)
NATIONAL INDUSTRIAL CLASSIFICATION (NIC 2008)

1	2	
302	रेलवे लोकोमोटिव एवं रोलिंग स्टॉक विनिर्माण	Manufacture of railway locomotives and rolling stock
303	हवाई जहाज व अंतरिक्ष यानों का एवं संबंधित मशीनरी का विनिर्माण	Manufacture of air and spacecraft and related machinery
304	सैनिक युद्ध गाड़ियों का विनिर्माण	Manufacture of military fighting vehicles
309	यातायात संबंधी उपकरणों का विनिर्माण क०औ०व०न०	Manufacture of transport equipment n.e.c.
31	फर्नीचर विनिर्माण	Manufacture of furniture
310	फर्नीचर विनिर्माण	Manufacture of furniture
32	अन्य विनिर्माण	Other manufacturing
321	आभूषण, बिज्यूटरी तथा संबंधित वस्तुओं का विनिर्माण	Manufacture of jewellery, bijouterie and related articles
322	वाद्ययंत्रों का विनिर्माण	Manufacture of musical instruments
323	खेलकूद संबंधी सामान का विनिर्माण	Manufacture of sports goods
324	खिलौने एवं खेलों का विनिर्माण	Manufacture of games and toys
325	आयुर्विज्ञान एवं दन्त चिकित्सा औजारों का विनिर्माण एवं आपूर्ति	Manufacture of medical and dental instruments and supplies
329	अन्य विनिर्माण क०औ०व०न०	Other manufacturing n.e.c.
33	मशीनरी तथा उपकरणों की मरम्मत तथा स्थापना	Repair and installation of machinery and equipment
331	फैब्रिकेटेड धातु उत्पादों, मशीनरी तथा उपकरण की मरम्मत	Repair of fabricated metal products, machinery and equipment
332	औद्योगिक मशीनरी एवं उपकरणों की स्थापना	Installation of industrial machinery and equipment

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन०आई०सी० 2008)
NATIONAL INDUSTRIAL CLASSIFICATION (NIC 2008)

1	2	
घ D	विद्युत, गैस, भाप तथा वातानुकूलन आपूर्ति	Electricity, gas, steam and air conditioning supply
35	विद्युत, गैस, भाप तथा वातानुकूलन आपूर्ति	Electricity, gas, steam and air conditioning supply
351	विद्युत शक्ति उत्पादन, संचारण तथा वितरण	Electric power generation, transmission and distribution
352	घरेलू फार्म द्वारा गैस निर्माण, गैसीय ईंधन का वितरण	Manufacture of gas; distribution of gaseous fuels through mains
353	भाप तथा वातानुकूलन आपूर्ति	Steam and air conditioning supply
ङ. E	जल आपूर्ति मल जल निकासी, अपशिष्ट प्रबन्धन तथा उपाय गतिविधियां	Water supply; sewerage, waste management and remediation activities
36	जल संग्रहण, अभिक्रिया तथा आपूर्ति	Water collection, treatment and supply
360	जल संग्रहण, उपचार तथा वितरण	Water collection, treatment and supply
37	मल निकासी	Sewerage
370	मल निकासी	Sewerage
38	अपशिष्ट संग्रहण, अभिक्रिया तथा निपटान कार्य ; सामग्री की पुनः प्राप्ति	Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery
381	अपशिष्ट संग्रह	Waste collection
382	अपशिष्ट उपचार और निपटान	Waste treatment and disposal
383	सामग्री वसूली	Materials recovery
39	उपाय गतिविधियां तथा अन्य अपशिष्ट प्रबन्धन सेवाएं	Remediation activities and other waste management services
390	उपचार गतिविधियां तथा अन्य अपशिष्ट प्रबन्धन सेवाएं	Remediation activities and other waste management services

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन०आई०सी० 2008)
NATIONAL INDUSTRIAL CLASSIFICATION (NIC 2008)

1	2
च F	निर्माण
41	भवन निर्माण
410	भवनों का निर्माण
42	सिविल इंजीनियरिंग
421	रेल एवं सड़कों का निर्माण
422	उपयोगी परियोजनाओं का निर्माण
429	अन्य सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं का निर्माण
43	विशेषीकृत निर्माण गतिविधियां
431	विध्वंस और साईट की तैयारी
432	बिजली पाइपलाइन और अन्य निर्माण स्थापना गतिविधियां
433	भवनों को पुरा करना एवं परिष्करण करना
439	अन्य विशेषीकृत निर्माण गतिविधियां
छ G	थोक तथा खुदरा व्यापार मोटर वाहनों तथा मोटर साइकिलों की मरम्मत
45	थोक तथा खुदरा व्यापार एवं मोटर वाहनों तथा मोटर साइकिलों की मरम्मत
451	मोटर वाहनों की बिक्री
452	मोटर वाहनों का रखरखाव एवं मरम्मत
453	मोटर वाहन कल पुर्जे एवं अतिरिक्त सामान की बिक्री

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी 2008)
NATIONAL INDUSTRIAL CLASSIFICATION (NIC 2008)

1	2	
454	मोटर साइकिल एवं संबंधित कल पुर्जे तथा अतिरिक्त सामानों की मरम्मत, रख रखाव एवं बिक्री	Sale maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories
46	मोटर वाहनों तथा मोटर साइकिलों को छोड़कर थोक व्यापार	Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles
461	अनुबंध या शुल्क के आधार पर थोक बिक्री	Wholesale on a fee or contract basis
462	कृषिगत कच्चेमाल एवं जीवित पशुओं की थोक बिक्री	Wholesale of agricultural raw material and live animals
463	खाद्य पेय एवं तम्बाकू की थोक बिक्री	Wholesale of food, beverages and tobacco
464	घरेलू सामान की थोक बिक्री	Wholesale of household goods
465	मशीनरी, उपकरण और आपूर्ति की थोक बिक्री	Wholesale of machinery, equipment and supplies
466	अन्य विशेषीकृत थोक बिक्री	Other specialized wholesale
469	गैर विशेषीकृत थोक व्यापार	Non specialized wholesale trade
47	मोटरवाहनों तथा मोटर साइकिलों को छोड़कर खुदरा व्यापार	Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles
471	गैर विशेषीकृत दुकानों में खुदरा बिक्री	Retail sale in non specialized stores
472	विशेषीकृत दुकानों में खाद्य, पेय एवं तम्बाकू की बिक्री	Retail sale of food, beverages and tobacco in specialized stores
473	विशेषीकृत दुकानों में मोटर वाहन ईंधन की खुदरा बिक्री	Retail sale of automotive fuel in specialized stores
475	विशेषीकृत दुकानों में अन्य पारिवारिक उपकरणों की खुदरा बिक्री	Retail sale of other household equipment in specialized stores

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन०आई०सी० 2008)
NATIONAL INDUSTRIAL CLASSIFICATION (NIC 2008)

1	2	
476	विशेषीकृत दुकानों में सांस्कृतिक एवं मनोरंजन के सामान की खुदरा बिक्री	Retail sale of cultural and recreation goods in specialized stores
477	विशेषीकृत दुकानों में अन्य सामान की खुदरा बिक्री	Retail sale of other goods in specialized stores
ज H यातायात तथा भंडारण		Transportation and storage
49	थल परिवहन तथा नल तन्त्र परिवहन	Land transport and transport via pipelines
491	रेल के माध्यम से परिवहन	Transport via railways
492	अन्य भूमि परिवहन	Other land transport
493	नल तंत्र परिवहन	Transport via pipeline
50	जल परिवहन	Water transport
502	अन्तर्देशीय जल परिवहन	Inland water transport
51	वायु परिवहन	Air transport
511	यात्री हवाई परिवहन	Passenger air transport
512	भाड़ा हवाई परिवहन	Freight air transport
52	परिवहन हेतु गोदाम तथा सहायक गतिविधियां	Warehousing and support activities for transportation
521	माल भंडारण एवं संग्रहण	Warehousing and storage
522	यातायात सहायक गतिविधियां	Support activities for transportation
53	डाक तथा कोरियर क्रियाकलाप	Postal and courier activities
झ I आवास तथा खाद्य सेवा गतिविधियां		Accommodation and Food service activities
55	आवास	Accommodation
551	अल्पकालिक आवास गतिविधियां	Short term accommodation activities

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन०आई०सी० 2008)
NATIONAL INDUSTRIAL CLASSIFICATION (NIC 2008)

1	2
56	खाद्य तथा पेय पदार्थ सेवा गतिविधियां Food and beverage service activities
561	रेस्तरां और मोबाईल भोजन सेवा गतिविधियां Restaurants and mobile food service activities
562	इवेंट खानपान एवं अन्य खाद्य सेवा गतिविधियां Event catering and other food service activities
ज J सूचना तथा संचार Information and communication	
58	प्रकाशन गतिविधियां Publishing activities
581	पुस्तकों पत्रिकाओं के प्रकाशन एवं अन्य प्रकाशन गतिविधियां Publishing of books, periodicals and other publishing activities
582	साफ्टवेयर प्रकाशन Software publishing
59	चलचित्र, दृश्य तथा टेलीविज़न कार्यक्रम उत्पादन, आवाज़ रिकार्डिंग तथा संगीत प्रकाशन गतिविधियां Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities
591	चलचित्र, विडियो एवं टीवी कार्यक्रम गतिविधियां Motion picture, video and television programme activities
592	ध्वनि रिकार्डिंग और संगीत प्रकाशन गतिविधियां Sound recording and music publishing activities
60	प्रसार तथा कार्यक्रम क्रियाकलाप गतिविधियां Broadcasting and programming activities
61	दूरसंचार Telecommunications
612	बेतार दूरसंचार गतिविधियां Wireless telecommunications activities
62	कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सलाहकारी और संबंधित गतिविधियां Computer programming, consultancy and related activities
620	कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग, सलाह-कारी और संबंधित गतिविधियां Computer programming, consultancy and related activities

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन०आई०सी० 2008)
NATIONAL INDUSTRIAL CLASSIFICATION (NIC 2008)

1	2
63 सूचना सेवा गतिविधियां	Information service activities
631 आंकड़ें प्रक्रिया, होस्टिंग एवं संबंधित गतिविधियां; वेब पोर्टल	Data processing, hosting and related activities; web portals
ट K वित्तीय तथा बीमा गतिविधियां	Financial and insurance activities
64 बीमा तथा पेंशन निधिकरण को छोड़कर वित्तीय तथा सेवा गतिविधियां	Financial service activities, except insurance and pension funding
65 आवश्यक सामाजिक सुरक्षा को छोड़कर बीमा, पुनः बीमा तथा पेंशन निधिकरण	Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security
66 अन्य वित्तीय क्रियाकलाप	Other financial activities
ड L स्थावर सम्पदा गतिविधियां	Real estate activities
68 स्थावर सम्पदा गतिविधियां	Real estate activities
इ M व्यावसायिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी गतिविधियां	Professional, scientific and technical activities
69 कानूनी तथा लेखा गतिविधियां	Legal and accounting activities
692 लेखा, बहीखाता एवं लेखा परीक्षा गतिविधियां, कर परामर्श	Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy
70 मुख्यालय के क्रियाकलाप प्रबंधन परामर्श गतिविधियां	Activities of head offices; management consultancy activities
701 मुख्य कार्यालय की गतिविधियां	Activities of head offices
71 वास्तुशिल्प तथा अभियंत्रिकी क्रियाकलाप तकनीकी जांच तथा विश्लेषण	Architecture and engineering activities; technical testing and analysis

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी 2008)
NATIONAL INDUSTRIAL CLASSIFICATION (NIC 2008)

1	2	
711	वस्तुशिल्प एवं अभियंत्रिक गतिविधियां और संबंधित तकनीकी परामर्श	Architectural and engineering activities and related technical consultancy
712	तकनीकी जांच एवं विश्लेषण	Technical testing and analysis
72	वैज्ञानिक अनुसंधान तथा प्रगति	Scientific research and development
721	प्राकृतिक विज्ञान एवं अभियंत्रिक पर अनुसंधान और प्रयोगात्मक विकास	Research and experimental development on natural sciences and engineering
722	सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी पर अनुसंधान एवं प्रयोगात्मक विकास	Research and experimental development on social sciences and humanities
73	विज्ञापन तथा बाजार अनुसंधान	Advertising and market research
731	विज्ञापन	Advertising
74	अन्य व्यावसायिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी गतिविधियां	Other professional, scientific and technical activities
741	विशेष डिजाइन गतिविधियां	Specialized design activities
742	छायाचित्र गतिविधियां	Photographic activities
749	अन्य व्यावसायिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी गतिविधियां क०औ०व०न०	Other professional, scientific and technical activities n.e.c.
75	पशु चिकित्सा गतिविधियां	Veterinary activities
750	पशु चिकित्सा गतिविधियां	Veterinary activities
ढ N	प्रशासनिक तथा सहायक सेवा गतिविधियां	Administrative and support service activities
77	किराये तथा लीज संबंधी गतिविधियां	Rental and leasing activities
78	रोजगार गतिविधियां	Employment activities
79	पर्यटन एजेंसी, टूर ऑपरेटर तथा अन्य आरक्षण सेवा गतिविधियां	Travel agency, tour operator and other reservation service activities

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन०आई०सी० 2008)
NATIONAL INDUSTRIAL CLASSIFICATION (NIC 2008)

1	2	
80	सुरक्षा तथा जाँच गतिविधियां	Security and investigation activities
81	भवन तथा भूदृश्य क्रियाकलाप सेवाएं	Services to buildings and landscape activities
811	संयुक्त सुविधा सहायक गतिविधियां	Combined facilities support activities
813	परिदृश्य देखभाल एवं रख रखाव सेवा गतिविधियां	Landscape care and maintenance service activities
82	कार्यालय प्रशासनिक, कार्यालय सहायक तथा अन्य व्यापार सहायक क्रियाकलाप	Office administrative, office support and other business support activities
829	व्यवसाय सहायक सेवा गतिविधियां क० औ० च० न०	Business support service activities n.e.c.
ण O	लोक प्रशासन तथा रक्षा आवश्यक सामाजिक सुरक्षा	Public administration and defence; compulsory social security
84	लोक प्रशासन तथा रक्षा आवश्यक सामाजिक सुरक्षा	Public administration and defence; compulsory social security
841	समुदाय की आर्थिक एवं सामाजिक नीति एवं राज्य का प्रशासन	Administration of the State and the economic and social policy of the community
842	पूर्ण रूप में समुदाय की सेवा का प्रावधान	Provision of services to the community as a whole
त P	शिक्षा	Education
85	शिक्षा	Education
852	माध्यमिक शिक्षा	Secondary education
थ Q	मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य गतिविधियां	Human health and social work activities

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन०आई०सी० 2008)
NATIONAL INDUSTRIAL CLASSIFICATION (NIC 2008)

1	2	
86	मानव स्वास्थ्य गतिविधियां	Human health activities
861	अस्पताल गतिविधियां	Hospital activities
862	चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा अभ्यास गतिविधियां	Medical and dental practice activities
869	अन्य मानव स्वास्थ्य गतिविधियां	Other human health activities
87	आवासीय देखरेख गतिविधियां	Residential care activities
872	मानसिक मंदता, मानसिक स्वास्थ्य और द्रव्यों के सेवन के लिये आवासीय देखरेख गतिविधियां	Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse
88	गैर आवासीय सामाजिक कार्य गतिविधियां	Social work activities without accommodation
881	बुजुर्ग एवं विकलांगों के लिए आवास के बिना सामाजिक कार्य गतिविधियां	Social work activities without accommodation for the elderly and disabled
छ R	कला, आमोद तथा प्रमोद	Arts, entertainment and recreation
90	सर्जनात्मक, कलाएं तथा मनोरंजन गतिविधियां	Creative, arts and entertainment activities
900	रचनात्मक कला और मनोरंजन गतिविधियां	Creative, arts and entertainment activities
91	पुस्तकालय, अभिलेख, संग्रहालय तथा अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां	Libraries, archives, museums and other cultural activities
92	जुआ तथा पणन (बाजी लगाने संबंधी) गतिविधियां	Gambling and betting activities
920	जुआ और सट्टेबाजी गतिविधियां	Gambling and betting activities
93	खेलकूद क्रियाकलाप तथा आमोद एवं प्रमोद गतिविधियां	Sports activities and amusement and recreation activities
931	खेलों की गतिविधियां	Sports activities

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी 2008)
NATIONAL INDUSTRIAL CLASSIFICATION (NIC 2008)

1	2
932	अन्य आमोद एवं प्रमोद गतिविधियां Other amusement and recreation activities
ध S	अन्य सेवा गतिविधियां Other service activities
94	सदस्य संगठनों के क्रियाकलाप Activities of membership organizations
95	कम्प्यूटर तथा व्यक्तिगत तथा पारिवारिक वस्तुओं की मरम्मत Repair of computers and personal and household goods
951	कम्प्यूटर एवं संचार उपकरण की मरम्मत Repair of computers and communication equipment
952	निजी व्यक्तिगत और घरेलू सामान की मरम्मत Repair of personal and household goods
96	अन्य व्यक्तिगत सेवा गतिविधियां Other personal service activities
960	अन्य व्यक्तिगत सेवा गतिविधियां Other personal service activities
न T	नियोक्ताओं के रूप में परिवारों के क्रियाकलाप परिवारों के स्व प्रयोग हेतु गैर विभेदकारी वस्तुओं- तथा सेवाओं के उत्पादन संबंधी क्रियाकलाप Activities of households as employers; undifferentiated goods- and services producing activities of households for own use
97	घरेलू कार्मिकों के नियोक्ताओं के रूप में परिवारों के क्रियाकलाप Activities of households as employers of domestic personnel
98	निजी परिवारों के स्वयं के उपभोग के लिए गैर विभेदकारी माल एवं सेवा उत्पादक गतिविधियां Undifferentiated goods and services producing activities of private households for own use
982	निजी परिवारों के स्वयं के उपभोग के लिए गैर विभेदकारी सेवा उत्पादक गतिविधियां Undifferentiated service-producing activities of private households for own use
प U	अतिदेशीय संगठनों तथा निकायों की गतिविधियां Activities of extraterritorial organizations and bodies

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन०आई०सी० 2008)

NATIONAL INDUSTRIAL CLASSIFICATION (NIC 2008)

1	2	
99	बहिःक्षेत्रीय संगठनों तथा निकायों की गतिविधियां	Activities of extraterritorial organizations and bodies
990	बहिःक्षेत्रीय संगठनों और निकायों की गतिविधियां	Activities of extraterritorial organizations and bodies

स्त्रोत : के० सा० का०

Source : C.S.O

प्रकाशन से सम्बंधित श्रम सांख्यिकी विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारीगण
Officers and Staff of Labour Statistics Division associated with
the publication

सर्वश्री / S/Shri	
एच एस राघव H S Raghav	निदेशक Director
आर सी जरयाल R C Jarial	सहायक निदेशक Assistant Director
ओंकार नाथ मिश्र Onkar Nath Mishra	अन्वेषक श्रेणी I Investigator Grade I
रवि सूद Ravi Sood	अन्वेषक श्रेणी II Investigator Grade II
राज कुमार Raj Kumar	अन्वेषक श्रेणी II Investigator Grade II
रणजीत कुमार Ranjeet Kumar	अन्वेषक श्रेणी II Investigator Grade II
अजय कुमार Ajay Kumar	अन्वेषक श्रेणी II Investigator Grade II

© भारत सरकार
© Government of India
नियंत्रक प्रकाशन
Controller of Publication

पी डी एल बी-163.2015 (द्विभाषी)
PDLB - 163.2015 (Bilingual)
125 - 2016 (डी एस के-III)
125 - 2016 (DSK-III)

मुल्य : ` 140.00

Price : ` 140.00

2017

नियंत्रक प्रकाशन, सिविल लाइन्स, दिल्ली के लिए
मुद्रण इकाई, श्रम ब्यूरो शिमला 171 004 के द्वारा मुद्रित
Printed by Printing Unit, Labour Bureau, Shimla 171004
For Controller of Publications, Civil Lines, Delhi